(1100/GG/SNB)

… (*Interruptions*)

Q. 301

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Speaker, Sir, I am sure the hon. Minister is very well aware of the entire issue. Hence, I do not want to dwell too deep into it. I will get directly into the question.

I agree with the reply of the hon. Minister that these companies are Board-governed entities. But the notification issued by the Finance Ministry, Department of Financial Services bearing no. S-11012/4/2014-institutions.1 dated 23rd September, 2014 directing insurance companies including the National Insurance Company that when company transfers female employees, they have to be accommodated where the husband is stationed was issued keeping in view the genuine hardships and feelings of insecurity being faced by female employees. My question is this. Why the National Insurance Company is not following this notification?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जितनी भी पब्लिक सैक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वे ज्यादातर बोर्ड गवर्न्ड एंटिटीज़ हैं। उनकी अपनी ट्रांसफर एण्ड मोबैलिटी पॉलिसीज़ हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि किसी महिला अधिकारी या कर्मचारी को पॉलिसी के अनुसार, अगर ऐसा कोई विशेष स्पेसिफिक केस है, उसकी आप जानकारी दे सकते हैं, लेकिन कुल-मिला कर यदि देखा जाए, इसमें सरकार कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करती है। अगर इनके 56,798 कर्मचारी हैं, तो उनमें से केवल 604 लोगों की की ट्रांस्फर्स हुई हैं, जो कि मात्र एक प्रतिशत ही है। अगर कहीं पर उनकी जो पॉलिसी है, उसके अनुसार कहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ स्पेसिफिक केस है, you can give it to us. We will look into that. We will ask the insurance company concerned to look into that.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, the second question that I have is that it is strange that the National Insurance Company does not consider Delhi as a Metro city when all other insurance companies are considering Delhi as a Metro city. I would like to know the reasons behind this.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इंश्योरेंस कंपनीज़ ऐसा क्यों नहीं मानती हैं, उनसे पूछ कर हम माननीय सदस्य को जानकारी दे देंगे।

SHRI SUDIP BANYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, there are reports of private companies using unethical methods to grab motor insurance in particular which is a very big sector depriving the public sector companies a level playing field. I would like to know what the Government and the Regulator are doing in

this regard in the interest of the public sector companies and also the general public at large.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग चार पब्लिक सैक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिनका 45 प्रतिशत शेयर इंश्योरेंस सैक्टर में है। इंश्योरेंस सैक्टर में अगर सबसे बड़ा वॉल्यूम किसी का है तो वह मोटर व्हीकल का है, उसके बाद हैल्थ और बाकी क्षेत्र आते हैं। उस क्षेत्र में जो कम्पीटिशन मार्केट ड्रिवन है, उसमें अगर प्राइवेट कंपनी का कोई बैटर प्रोडक्ट होता होगा, तो कंज्यूमर उस तरफ जाता होगा। ये कंपनीज़ उस पर बैटर काम कर सकें, कंपीट कर सकें, इसीलिए मर्जर का निर्णय भी लिया गया था। जो तीन सरकारी पब्लिक सैक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनको मर्ज करने का निर्णय अभी विचाराधीन है। पिछले बजट में भी कहा गया था।

(इति)

(1105/KN/RU)

(प्रश्न 302)

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में विकास एवं उन्नयन के लिए कई कदम उठाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि आपने जो आंकड़े दिए हैं, वे ठीक हैं, पर क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है कि छात्र किस सब्जेक्ट में जाना चाहें और कितने रोज़गार उस क्षेत्र में हैं, ताकि उनको रोज़गार मिल सके?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, स्वाभाविक है कि जब छात्र प्रवेश के लिए आता है तो उसकी काउंसलिंग भी होती है। जहाँ वह प्रवेश चाहता है, यदि उसके अनुरूप वह विषय मिलता नहीं है तो उसकी काउंसलिंग होती है और अच्छे से होती है। जहाँ तक माननीय बोहरा जी ने दूसरा सवाल किया है तो उनकी नौकरियों की जो व्यवस्था है, उसमें हमने कुछ प्रतिशत लिख कर भी दिया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आज पूरी दुनिया में हमारे संस्थानों से निकलने वाले बच्चे अपने शिखर पर पहुँचते हैं। जहाँ विश्व के शीर्ष पर हमारी तीन संस्थाएँ रैकिंग में आई हैं- आईआईटी, मुम्बई, आईआईटी, दिल्ली और आईसीएआर, बैंगलुरु। इन संस्थानों से गूगल के सीईओ श्री सुन्दर पिचई, आईआईटी खड़कपुर से हैं। श्री शांतनु नारायण एडोब के पद्मश्री भी हैं, वे हैदराबाद से हैं। श्री सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, श्री राकेश अरोड़ा, अल्टो नेटवर्क के सीईओ हैं, श्री दिनेश सी पालीवाल, हर्मन इंटरनेशनल के सीईओ हैं और राजीव सूरी, नोकियो के सीईओ हैं। श्रीमन्, माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले जो छात्र हैं, वे बहुत क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने यह भी कहा था कि संस्थानों में ही बाहर की कम्पनियाँ जॉब के लिए आती हैं। वर्ष 2017-18 में लगभग साढ़े तीन लाख, वर्ष 2018-19 में लगभग चार लाख और इस समय भी लाखों की तादाद में इन छात्रों को वे कम्पनियाँ लेती हैं। आज दुनिया की शीर्ष 500 कम्पनियाँ हैं, उनमें से 200 कम्पनियों में सर्वाधिक हिन्दुस्तान के आईटी के छात्र हैं।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार निजी क्षेत्र में चलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई कदम उठा रही हैं, ताकि विद्यार्थी इन कॉलेजों में से निकल कर नौकरी पाने में, अपना काम करने में सक्षम हों। गत वर्षों में, अभी आपने बताया है कि चार लाख के लगभग छात्रों को नौकरियां मिली हैं, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जो छात्र कॉलेज से निकल कर जाता है, क्या उसके लिए कम्पनियों में ऐसी व्यवस्था की गई है, जैसे सीए इंटर्नशिप करते हैं, ऐसे ही छात्र निकल कर ऐसा कोई काम कर सके, ताकि उसको नौकरी मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक ही प्रश्न पूछें। आपने दो प्रश्न पूछ लिए। माननीय मंत्री जी।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन् माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र से समन्वय की दिशा में हर संस्थान में एक प्रकोष्ठ को स्थापित किया है। इसके साथ-साथ इनकी गुणवत्ता बढ़ सके, जब इंजीनियरिंग करके छात्र बाहर निकलता है तो उसको फिनिंश

करने की योजना है, उसको और व्यवस्थित करने की योजना होती है। इसलिए हम लोगों ने दो चीज़ें विशेष कर, क्योंकि आपने यह भी कहा है कि क्या कोई फिनिशिंग स्कूल की स्थापना होगी, श्रीमन्, उस दिशा में हम लोगों ने कैरियर लॉन्चर एजुकेट, यूनिवर्सल एजुकेशन, ऐथेनस और टाइम इन चार संस्थाओं के साथ टेंडर किया है, इनके साथ हमारा अनुबंध हुआ है। जो तीसरे और चौथे वर्ष के छात्र हैं, उनको बाकायदा ट्रेंड करते हैं। इतना ही नहीं, आपकी जो चिंता है कि वे छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे तरीके से आगे कैसे निकल सकते हैं।

(1110/CS/NKL)

हम लोगों ने गेट ट्रेनिंग के लिए गेट अकादमी, गेट कोच, इंजीनियरिंग अकादमी और गेट फोरम, ऐसी 4 संस्थाओं के साथ समन्वय किया है ताकि रोजगार के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें छात्रों को शिखर तक पहुँचाने की कोशिश कर सकें।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you so much, Sir, for giving me this opportunity.

I listened attentively to the hon. Minister. There is one statistic which he has mentioned in his reply and also another statistic which he has not mentioned. Both of them are very serious.

The first one is this. The study by the India Skills Report shows that only 57 per cent of our engineering graduates are employable. There is another picture which he has not mentioned, and it is this. In detailed studies done by multiple people including the organisation which I had the privilege to head, that is, All India Professionals Congress which did a study of 10,000 engineers, it shows that 60 per cent of our country's engineering graduates end up in doing jobs which do not even require an engineering degree. It is because there is such a major mismatch between what is taught in the majority of our engineering colleges and what the marketplace wants. Employers come back and say that these people are not qualified to work for us. Even big companies like Tata, TCS and Infosys have set up campuses in which they are re-educating the children, whom they have already hired not on the job training but just teaching them what they should have learnt in college. Will the hon. Minister using AICTE or whatever means he wishes kindly take some serious steps to completely transform the engineering curricula of our country in order to ensure that it matches the demands of the workspace? Can we ensure, therefore, that this question about finishing school is not the right point but the right point is how do we enhance employability and what kind of skills can we give to our people which

is actually needed so that they can get real jobs and we do not have to advise them to fry *pakoras* on the side? Thank you.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, शशि थरूर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और निश्चित ही जो उनकी चिंता है, वही चिंता मंत्रालय की भी है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि हमारे एआईसीटीई ने इन सारे पाठ्यक्रमों में तब्दीली की है और अनिवार्य रूप में की है। हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण पहल की है, एक तो हम 'निसस' आधारित मॉडल पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, जो शुरू हो गया है। पाठ्यक्रम के भाग के अनुरूप अनिवार्य इंटर्नशिप कर रहे हैं, अनिवार्य रूप में कॉलेज उन उद्योगों के साथ समन्वय करेगा। यह भावी योजना तैयार करके इसके साथ 10-15 ऐसे बिन्दु बनाए हैं, जिसकी वर्तमान में जरूरत है। जो पिछले 10-20 सालों से पढ़ाया जा रहा था, आज उसकी जरूरत नहीं है।

श्रीमन्, हम शिक्षकों के कौशल को भी विकसित कर रहे हैं कि वे अत्याधुनिक तरीके से पूरी दुनिया के साथ समन्वय करके यह देखें कि आज हम कहाँ भाग रहे हैं। आपकी चिंता है कि नये पाठ्यक्रमों के साथ छात्रों को जोड़ना, तो यह हमने शुरू कर दिया है। उद्योगों के साथ अनिवार्य रूप में कम से कम 5 समझौते हम लोगों ने कर दिए हैं ताकि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेज के साथ वे पहले से ही जुड़ जाएं और जो उनको जरूरत है, जो आपकी चिंता है, ताकि वे वहीं से उन छात्रों के साथ जुड़कर उनकी तैयारी करवाना शुरू करें। हमने ऐसे 50-52 और यदि आप कहेंगे तो मैं उनके बारे में बता सकता हूँ।...(व्यवधान) शशि थरूर जी ने जो दूसरी बात 57 प्रतिशत वाली कही है, ये 57 प्रतिशत वे हैं, जो हमारे परिसरों से होकर जा रहे हैं। जो उसके बाद एम.टेक कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत और अब तो इस देश के अंदर, वर्ष 2013 से पहले मात्र 3 मोइबल कंपनियाँ थीं, आज कुल 268 मोबाइल कंपनियाँ हो गई हैं। पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने दक्षिण कोरिया के प्रधान मंत्री जी के साथ संयुक्त रूप से एक समझौता किया था।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): उसका इसके साथ क्या सम्पर्क है?...(व्यवधान) इन्होंने गलत जवाब दिया है।...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, एक वर्ष में एक करोड़...(व्यवधान) वही सम्पर्क है, ...(व्यवधान) रोजगार का सम्पर्क है।...(व्यवधान) यह रोजगार का सम्पर्क है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उसकी गलतियों को आपके सामने रखना चाहता हूँ।...(व्यवधान) यह बड़ी अजीब बात है।...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, यदि रोजगार पूछा जा रहा है कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, तो मेरा मेक इन इंडिया पूरी दुनिया में नम्बर एक होगा और उसकी शुरूआत कर दी गई है।...(व्यवधान) हमारे ये छात्र वहाँ जाएंगे।...(व्यवधान) उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।

(इति)

(1115/RV/SRG)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, इनके क्वैश्चन की गलतियों को मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूं।…(व्यवधान) सर, इन्होंने वर्ष 2018 में ‘Number of students graduated’ में ‘Not available’ कहा।…(व्यवधान)

(प्रश्न 303, 313 एवं 314)

श्री रामदास तडस (वर्धा): माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। भारत के लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि और संकल्प से सांसद आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2014 के बाद कार्यान्वित हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी लोकप्रिय योजना के लिए विशेष तौर पर निधि का प्रावधान करना अत्यंत आवश्यक है। केन्द्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं और सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू करने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं।

क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि सी.एस.आर. फण्ड के माध्यम से सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए सम्बन्धित परिसर की कम्पनी को सरकार के माध्यम से कोई दिशानिर्देश जारी करने के लिए विचार किया गया है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, सी.एस.आर. के प्रति माननीय सांसद बहुत गम्भीर हैं क्योंकि पहली तारीख को भी इनका प्रश्न सी.एस.आर. से सम्बन्धित था और आज पन्द्रह तारीख को भी इनका प्रश्न है। सांसद आदर्श ग्राम योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे गांवों का विकास होगा, ऐसा माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है। लेकिन, कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत सी.एस.आर. के जो अपने नियम हैं, उसमें शिड्यूल-7 के अन्तर्गत दिया गया है कि आप किन-किन योजनाओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं, चाहे वह सांसद आदर्श ग्राम योजना हो या कोई दूसरी योजना हो, कोई भी कम्पनी वहां पर अपने पैसे खर्च कर सकती है और शिड्यूल-7 में जितने प्रोग्राम्स दिए गए हैं, उनके अन्तर्गत कोई भी कार्य अगर माननीय सांसद जी अपने क्षेत्र में कराना चाहें तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसे कम्पनियां स्वयं करती हैं। जिन कम्पनियों की नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो, टर्न ओवर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो या वे पाँच करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉफिट कमाती हैं तो उन्हें पिछले तीन सालों के एवरेज के दो प्रतिशत से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते है और इसमें सरकार का सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं है।

श्री रामदास तडस (वर्धा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह प्रश्न इसलिए पूछता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत-सी कम्पनियां हैं, लेकिन वहां मुझे सी.एस.आर. फण्ड ही नहीं मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कम्पनियों के माध्यम से सांसद आदर्श ग्राम योजना के महत्वपूर्ण कार्य के लिए सी.एस.आर. फण्ड निधि उपलब्ध कराई जाए। यदि यह उपलब्ध करायी जाती है तो सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कम्पनियों के सन्दर्भ में अपने माध्यम से दिशानिर्देश देने के लिए उचित कदम उठाए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले कहा कि माननीय सांसद जी इसके प्रति बहुत गम्भीर हैं, क्योंकि पन्द्रह दिनों के अन्दर ही इनका दूसरी बार यह प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सांसद जी ने आपको इसका कारण बता दिया है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, इसलिए मैं उसी विषय पर आने वाला हूं कि प्राथमिकता उसी क्षेत्र को देनी है जहां पर वह कम्पनी काम कर रही है। यह नियम के अनुसार भी है।

माननीय अध्यक्ष: कम्पनी वह फण्ड वहां नहीं दे रही होगी, तभी तो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। आप बस डायरेक्शंस दे दें कि वे इनके यहां काम करें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सरकार सीधे तौर पर कहीं हस्तक्षेप नहीं कर सकती, निर्देश जारी नहीं कर सकती।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ आँकड़े बताना चाहता हूं। वर्ष 2014-15 में 380 पी.एस.यूज़. ने 2816 करोड़ रुपये खर्च किए। जो नॉन पी.एस.यूज़. हैं, ऐसी 16,405 कम्पनियों ने 7,249 करोड़ रुपये खर्च किए। इससे बढ़ कर वर्ष 2016-17 में 407 कम्पनियों ने 3,285 करोड़ रुपये खर्च किए और 21,063 कम्पनियों ने 10,956 करोड़ रुपये खर्च किए।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I would like to take this opportunity to expand on the answer given effectively by the Minister of State on this matter. The idea of Sansad Adarsh Gram Yojana, which the hon. Prime Minister brought in 2014, was to make sure that the Member of Parliament, irrespective of whether he represents through the Lok Sabha or the Rajya Sabha, would adopt such villages which are in desperate need of help, essentially using the Member of Parliament's knowledge of the various schemes which already exist so that he, by adopting that village, will make sure that the existing programmes and the schemes reach that village and using such existing programmes, these villages will stand out as exemplary villages.

(1120/SRG/RV)

So, it is all right for a Member of Parliament to also access resources from the CSR, but it is not the funding which is the matter, there it is more the adoption, ensuring you are sitting and talking with the concerned people, stakeholders there, the Gram Panchayat there, and making sure what has not reached them through the existing scheme reaches them. So, the core idea is to make sure that the Member of Parliament, through his awareness, access, Parliament, Government, is able to bring the village up to the speed with the rest of them.…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको बाद में मौका दूंगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न संख्या 313 एवं 314 एक नेचर के हैं, इसलिए मैं इन प्रश्नों को क्लब कर रहा हूं।

प्रश्न संख्या 313 - श्री एच. वसंतकुमार।

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): Social responsibility is the most important thing for the development of agriculture, roads, water supply, etc. It is connected with the CSR activity. I would like to know from the Minister whether the money under CSR can be used in other areas also. I also would like to know whether they have adjusted the pending amount, which they are having in the corporate office, for the next year.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके नियम के शिड्यूल-7 के अन्तर्गत बड़े विस्तार से कहा गया है कि किस क्षेत्र में आपको पैसे खर्च करने हैं। इसका दायरा बढ़ाया गया। इसमें तीन-चार अमेंडमेंट्स की गई हैं। भारत सरकार ने जो सी.एस.आर. का पोर्टल बनाया है, उसमें 500 कम्पनियों ने कहां पैसे खर्च किए, इसकी विस्तार से जानकारी दी गयी है। यह पैसा सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सीधे तौर पर खर्च नहीं होता है, लेकिन किसी भी कम्पनी को अगर अपने क्षेत्र में विकास के काम करने हैं, तो अलग-अलग कम्पनीज़ अपनी सी.एस.आर. कमेटीज के माध्यम से सालाना रिपोर्ट तैयार करती हैं, उसमें पैसे खर्च करती हैं और अपने रिटर्न के माध्यम से यह बताती हैं कि इन पैसों को किस क्षेत्र में खर्च किया गया।

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): The corporate office, from the net profits, are supposed to spend under CSR. But it is not possible to pre-plan the amount and all those things. Whatever profit they may be having, they are able to spend that money for the development of the nation. How can they pre-plan that thing?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन कम्पनियों को पता है कि उनकी नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये है, वे उस दायरे में आती हैं, जिन कम्पनियों की 1000 करोड़ रुपये की टर्नओवर है, वे उस दायरे में आती हैं, जिन कम्पनियों का प्रॉफिट पाँच करोड़ रुपये से ज्यादा का है, वे उस दायरे में आती हैं। उनके तीन सालों के एवरेज का दो प्रतिशत पैसा खर्च करना है। जो कम्पनियां इसके अन्तर्गत आती हैं, वे अपनी प्लानिंग पहले से ही करती हैं। सी.एस.आर. कमेटी अलग से बनाई हुई है और इसके कम्प्लायंस के लिए, सेन्ट्रलाइज्ड स्क्रूटनी के लिए केन्द्र सरकार ने भी अपने यहां मैकेनिज्म बना रखा है। इसके प्रॉस्क्यूशन के लिए सी.एस.पी.एम. है, जिसे हम सेन्ट्रलाइज्ड स्क्रूटनी एण्ड प्रॉस्क्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं। इसे भी शुरू किया गया है। वर्ष 2015-16 से हमने इसकी जानकारी जुटानी शुरू की है और सभी कम्पनियों को इसे लागू करने के प्रति हमने सबको जागरुक किया है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कई माननीय सदस्य यहां नए हैं। वे यहां पहली बार आए हैं। इसलिए सी.एस.आर. गाइडलाइंस की एक कॉपी आप सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: जी, माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल – उपस्थित नहीं।

श्री कल्याण बनर्जी।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): CSR is basically spent by the companies or related factories situated in the area for the development of that area. That is the basic concept of Corporate Social Responsibility. Let us take the case of Eastern Coalfields Ltd.

(1125/KKD/MY)

Mines are there and company is situated. So, construction of roads, etc., in and around the locality is the basic intention of the Corporate Social Responsibility.

I am talking about the Central PSUs. Nowadays, we are seeing that a company is situated at one place but the money is going to a different State. It has happened in 15th Lok Sabha also. Let me tell you the case of a company, Durgapur Steel Plant of Steel Authority of India, which is situated at Durgapur. The monies of CSR Funds were sent to Nagpur where nothing was there. This is one of the points.

Sir, I am talking about only the Central PSUs and not about the private companies. From the Central Public Sector Undertakings' CSR Funds, monies are going to Prime Minister's Relief Fund and Prime Minister's other development funds. I do not have any problem here. But I am also saying that in that case, why should this money not go to the Chief Minister's Relief Fund also? Why should all States not get it? Why should it only go to the Prime Minister's Relief Fund?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद जी को थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। पहली बात यह है कि सी.एस.आर. के प्रोविज़न के अंतर्गत प्राइऑरिटी स्थानीय क्षेत्र को देनी है और यह तय है। जहां माइनिंग होती है, वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माइनिंग फाउंडेशन बनी हुई है। वहां पर 10 प्रतिशत पैसा देना पड़ता है, जो वर्ष 2015 के बाद की कंपनीज़ हैं और जो उससे पहले की हैं, उनको 30 प्रतिशत देना पड़ता है।

अगर आप पिछले साल का ही आंकड़ा देखें, वर्ष 2016-17 का आंकड़ा देखें, तो कुल मिलाकर 7,860 करोड़ रुपये सी.एस.आर. में खर्च किये गये और मात्र 8 करोड़ 70 लाख रुपये, केवल 8.69 करोड़ रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए दिये गये, जो शायद एक प्रतिशत से भी कम हो। यह एक प्रतिशत भी नहीं होता है, 0.01 प्रतिशत भी नहीं होगा। यह आरोप लगाना कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए दिया गया और मैं दूसरी बात कहूं कि अगर यह होगा तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी इस देश के लोगों के लिए ही खर्च होता है।

माननीय अध्यक्ष: यह अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने में क्या दिक्कत है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात कहूं कि यह समाज की भलाई के लिए है। समाज की जो ओवरॉल रिस्पॉन्सबिलिटी है, उसके लिए यह पैसा है और इस क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया गया है।

श्री दिलीप घोष (मेदीनिपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां संस्थाओं को जो सी.एस.आर. फंड मिलता है, डीएम उसको नो ऑब्जेक्शन नहीं देता है, वहां पैसा पड़ा हुआ है। लोग काम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वहां काम नहीं होता है। मैं वहां तीन साल तक विधायक रहा, वहां की नगरपालिका ने डीएम को लिखकर दिया कि हम विधायक को पैसा खर्चा नहीं करने देंगे, फिर उनके …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) को कौन पैसा देगा? यहां एक प्रकार से बोलना और वहां दूसरी प्रकार से करना, यह कैसे हो सकता है? वहां की प्रशासन सरकारी पैसा खर्च करने के लिए परमिशन नहीं देती है। इसको मैंने अनुभव किया है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह सी.एस.आर. के बजाय अपनी पूर्व की बातें कर रहे हैं। …(व्यवधान) मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने कहना चाहा कि पश्चिम बंगाल में सी.एस.आर. तो दूर की बात है, बल्कि जो विधायक निधि का पैसा था, वह भी खर्च नहीं हो पाता था।…(व्यवधान) यह पहले सदस्य नहीं है, मुझे लगता है कि कि अधीर रंजन जी ने पहले भी कहा कि वे दिशा कमेटी की मीटिंग्स नहीं कर पाते थे। यह राज्य का विषय है, लेकिन माननीय सांसदों का अधिकार है कि स्थानीय कमेटी उस दिशा में देखे। यह सी.एस.आर. से रिलेटेड नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने बड़ा गंभीर विषय उठाया कि अगर पश्चिम बंगाल में एक विधायक तथा सांसद के नाते पैसा खर्च नहीं हो, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): After 15th Lok Sabha, DISHA has not been constituted.

माननीय अध्यक्ष: मैंने अधीर रंजन जी की बात पर … *(Not recorded)* को आग्रह कर दिया है कि उन्हें 'दिशा' कमेटी की मीटिंग में बुलाए।

(इति)

(प्रश्न 304)

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): माननीय अध्यक्ष जी, देश के गरीबों के लिए हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। उज्ज्वला योजना एक बहुत ही उपयोगी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सभी व्यक्तियों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के हरदोई, सीतापुर, कानपुर नगर, इन तीनों जनपदों में अत्यधिक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को आज तक इस योजना के अंतर्गत कितने गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं तथा इस क्षेत्र में अभी तक कितने परिवार ऐसे रह गए हैं, जिनको गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना बाकी है?

(1130/CP/RP)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपने संसदीय क्षेत्र के एक जिले के बारे में पूछा है। मैं उनको निर्दिष्ट रूप में इसकी जानकारी दूंगा। उन्होंने एक और प्रश्न इसी के साथ जोड़ कर उठाया है कि कब तक सम्पूर्ण आबादी को, गरीबों को एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सभी सदस्य साथियों को सूचित करना चाहूंगा कि बहुत तेजी से प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना सफलता के साथ आप सभी के सहयोग से इंप्लीमेंट हुई है। हम लोग इसमें शत-प्रतिशत की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, एक नंबर के राज्य में 7 करोड़ 40 लाख कनेक्शन्स लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ही अकेले लगभग 1 करोड़ 34 लाख 49 हजार कनेक्शन्स आज की डेट में लग चुके हैं। अगर आप सभी की मदद रहेगी, तो आने वाले समय में हम मिश्रिख जाएंगे और शत-प्रतिशत कनेक्शन्स लगाने की खुशियां मनाएंगे।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): महोदय, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के लिए प्रधान मंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 14 किलो का गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया है। इसकी कीमत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों के लिए असहनीय है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए पांच किलो का सिलेण्डर उपलब्ध कराए जाने हेतु कदम उठाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप ये छोटे सिलेण्डर कब तक गरीब परिवारों को उपलब्ध कराएंगे?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, 14 किलो सिलेण्डर का मूल्य आज के दिन 637 रुपए है। इसी महीने में जिसने सिलेण्डर खरीदा है, उसको तीन दिनों के अंदर 142 रुपये सब्सिडी लौटाई गई है, यानी इफेक्टिव रेट 494.35 रुपये है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को तुलनात्मक जानकारी दूंगा कि एलपीजी के बदले हम लकड़ी, उपले और अन्य प्रकार के प्रदूषणकारी ईंधन जलाते हैं। उसकी एक स्टडी आई है। कई संस्थाओं ने स्टडी की है कि उसी मात्रा की ऊर्जा के लिए, जो आज 494 रुपये में मिल रही है, लगभग साढ़े 850 रुपये से 1,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह एलपीजी अन्य ऊर्जा से महंगी नहीं है। 14 किलो और 5 किलो सिलेण्डर के बारे में आपने सुझाव दिया है। जब प्रधान मंत्री जी ने ग्राम स्वराज अभियान का एक सघन मोबिलाइजेशन किया, उस समय एक फीड बैक आया कि 14 किलो वाला सिलेण्डर खरीदना गरीबों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। पांच किलो वाले सिलेण्डर की पहले से ही व्यवस्था थी, उसको और तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने चुनाव क्षेत्र में यदि आप पांच किलो कनवर्जन में थोड़ी रुचि लेंगे, तो हम आपकी तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में पांच किलो वाले सिलेण्डर चले जाए, जिससे गरीबों के लिए सहूलियत रहेगी।

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (जामनगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के विजन से आज हम गर्व से यह बात बोल सकते हैं कि गरीब महिलाओं और बहनों को सशक्त करने वाली अगर विश्व की सबसे बड़ी कोई योजना है, तो वह उज्ज्वला योजना है। हमारे देश में 6 करोड़ से ज्यादा बहनों को आज इस योजना के माध्यम से लाभ हो रहा है। धुएं से बहनों के स्वास्थ्य को जो हानि पहुंचती थी, उसे सुधारने के लिए और बहनों की जो सामाजिक परिस्थिति थी, उसे ज्यादा सशक्त करने के मूलभूत उद्देश्य से माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस समग्र योजना की घोषणा की थी।

मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से अभिनन्दित करना चाहती हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना को इम्प्लीमेंट किया। आज विश्व में सबसे ज्यादा लाभार्थी उज्ज्वला योजना में हैं। इस योजना की मानिटरिंग का जो मैकेनिज्म है, उसकी जो सस्टेनिबिलिटी है, उसे भी माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इस योजना का जो उद्देश्य था, क्या बहनों का स्वास्थ्य और उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आया है, क्या इस दिशा में कोई स्टडी हुई है? अभी एक रिपोर्ट आई थी कि आज 27 करोड़ बीपीएल परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं।

(1135/NK/SMN)

उस दिशा में क्या उज्ज्वला योजना ने उनको स्वास्थ्य और गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में कुछ कंट्रीब्यूट किया है? क्या इससे बहनों को कुछ बेनिफिट हुआ है, यही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्या ने उज्ज्वला योजना में एलपीजी के लाभ के बारे में पूछा है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इसकी स्वीकृति इस पवित्र गृह में दी है। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना आज विश्व में महिला सशक्तीकरण की एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है। महिलाओं के नाम पर कनैक्शन होने से उनका इम्पॉवरमेंट भी हुआ है। इससे तीन-चार प्रकार के फायदे हुए हैं। इससे पर्यावरण को फायदा होता है, महिलाओं को रोजगार में फायदा होता है। कई प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें सबसे उल्लेखनीय रिपोर्ट इन दिनों आईआईएम अहमदाबाद से आई है। डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी बनी है। यूएन की अभी एक मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इन्डेक्स में एक समीक्षा आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में इन दिनों कई प्रकार के इन्टरवेन्शन्स हुए हैं जिसमें एलपीजी भी एक कारण है, इससे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर आने में फायदा हुआ है।

सबसे रोचक स्टडी इंडियन चेस्ट सोसायटी और चेस्ट रिसर्च फाउन्डेशन ने किया है, वे भारत में चेस्ट कन्जेशन के बारे में निरंतर स्टडी करते रहते हैं, यह ऑटोनोमस बॉडी है। उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के कारण गरीबों में चेस्ट कन्जेशन में बीस प्रतिशत की कटौती आई है। यह उज्ज्वला योजना की सबसे बड़ी स्वीकृति है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि और कल्याणकारी नीतियों की उपलब्धि है।

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, the Prime Minister Ujjwala Yojana is a laudable scheme. But as per the definition of LPG connection, it has to include LPG cylinder, regulator and a stove. लेकिन अभी केवल सिलेंडर और रेग्युलेटर दिया जाता है। स्टोव को इन्कलूड करते हैं या नहीं? यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, स्टोव एलपीजी कनैक्शन का पार्ट नहीं है। सिलेंडर, रेग्युलेटर और पाइप तीनों एलपीजी कनैक्शन का पार्ट हैं। ग्राहक क्वालिटी को देखते हुए स्टोव अपनी मर्जी से खरीद सकता है। इस सरकार ने उसकी भी चिंता की है। स्टोव मैन्युफ्रैक्चरर के साथ बैठ कर उज्ज्वला योजना के लिए टिकाऊ, क्वालिटी और सस्ते स्टोव का अरेंजमेंट किया है। सरकार अभी कंपनियों के माध्यम से एक लांग टर्म एमआई के रूप में रखा है। अभी फिलहाल लोगों को यह मुफ्त में मिलता है।

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Sir, my question is not directly linked to the wonderful Ujjawala scheme which has been in force. I have a question to the hon. Minister with slight deviation. Kindly pardon me for the deviation but it is an important question to the hon. Minister.

There is a proposal for blending 10 per cent ethanol with petrol by 2022. But in 2018, all ethanol imports were banned. With the growing demand for industrial consumption as well as human consumption and with the reduction in sugarcane-ethanol production in India, how are we going to achieve the target of 10 per cent by 2022? Are there any alternative measures that are there in the thinking process of the Government as it is very important environmentally to the nation?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन अगर आप अनुमति देंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रश्न उठाया है, जिसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। प्रधान मंत्री जी ने जब देश की जिम्मेवारी ली, देश में एथेनॉल प्रोक्योरमेंट की पेट्रोल में ही ब्लेन्डिंग होती है। देश में लगभग तीन हजार करोड़ लीटर पेट्रोल सलाना खपत होती है। उसकी एक परसेंट से कम ब्लेन्डिंग होती है। हमारी सरकार की एक स्पेसिफिक नीति किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। कुछ मित्रों को लगता है कि एमएसपी देने से ही आमदनी दोगुनी होती है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। हमारी सोच है कि उसकी मूल आमदनी में वैल्यू एडिशन करने से उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। एथेनॉल उसमें एक कारगर कदम है। हमारा एथेनॉल प्रोक्योरमेंट जो एक परसेंट से कम था, वह बढ़कर छह परसेंट हो चुका है।

(1140/SK/MMN)

माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं उनको विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तटीय इलाकों में कुछ बिचौलिए, मिडलमैन, ट्रेडर्स बैठे हैं, यह नीति उनकी इम्पोर्ट लॉबी के लिए नहीं है। शुगरकेन हो या अन्य, धीरे-धीरे सरकार रॉटन पटेटो, रॉटन गेहूं, टूटे

हुए चावल और बॉयोमास में से इथनॉल निकालने की टेक्नोलॉजी में से इथनॉल बनाएगी। इथनॉल, जो बिचौलियों के माध्यम से होती है, उसके लिए हमारी नीति नहीं है।

(इति)

(प्रश्न 305)

श्री अर्जुन साव (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी की अधिसूचना में अनुसूचित जाति और जनजातियों का उल्लेख है। ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं, जिनकी प्रचलित जातियां अधिसूचना में प्रकाशित जातियों से मिलती-जुलती हैं, लेकिन थोड़ी भिन्नता है। इस कारण बहुत बड़ा वर्ग आरक्षण के लाभ से वंचित होता है, देश भर में उन जातियों को जोड़ने के लिए प्रस्ताव होता रहता है, मांग होती रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन जातियों को क्या अधिसूचना में जोड़ने का विचार किया जा रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुण्डा): माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर में वैसे स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से और किस प्रकिया के अधीन इन जातियों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ विषय जो सरकार की जानकारी में हैं और कई राज्यों से इस सारे संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। राज्य सरकार से प्राप्त अनुशंसा और रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय आरजीआई को सारी सूचनाएं उपलब्ध कराती है और उन सूचनाओं के आधार पर बाकी की कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद की जाती है। ऐसे कई मामले हैं जिन पर सरकार गंभीरता से देख रही है, विचार कर रही है।, इसमें कई प्रकार के सिनोनिम्स हैं। कैडस्टराल सर्वे के डाटा से लेकर जब ब्रिटिश रूल था, उस समय की एन्थ्रोपोलिजिकल रिपोर्ट के अनुसार ट्राइबल्स सम्मिलित नहीं हो पाए। ऐसी चीजों का अध्ययन करते हुए केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है ताकि सब चीजों को संशोधित करके ठीक किया जाए। पर्यायवाची शब्द के रूप में या कुछ जगह अक्षरों में परननसिएशन के कारण, कई राज्यों की अपनी बोली और डॉयलाग के कारण शब्दों में थोड़ा-बहुत अंतर आ जाता है, इस विषमता को दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस पर लगातार बैठक चल रही है।

श्री अर्जुन साव (बिलासपुर): छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में केंद्र सरकार कब तक निर्णय लेगी और कब तक लोगों को इसका लाभ मिलेगा?

श्री अर्जुन मुण्डा: माननीय अध्यक्ष जी, यह कई राज्यों का विषय है, एक राज्य का नहीं है। कई राज्यों का विषय होने के कारण इस पर लगातार कार्य चलता रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The issue is relating to the modalities that had been prepared by the Government initially in 1999 and subsequently amended in 2002.

आज जिस विषय पर यह प्रश्न बार-बार उठाया जा रहा है, वह मोडेलिटीज़ के ऊपर ही है। आपने कहा कि सिनोनिम्स है, स्पैलिंग्स में कुछ एल्फाबे्टस इधर-उधर हो जाते हैं, परननसिएशन में अलग हो जाता है, इस हिसाब से यह लिस्ट से छूट जाता है। ओडिशा सरकार ने 21 प्रस्ताव भेजे हैं, जैसे छत्तीगढ़ से 28 हैं और झारखंड से 10 प्रस्ताव हैं। These are the three major tribal-dominated States.

(1145/SK/VR)

आपने उत्तर में दिया है कि तीन साल हो चुके हैं, और कितने साल लगेंगे? आपने जो मोडेलिटीज़ बनाई हैं, क्या आप मोडेलिटीज़ को कम नहीं कर पाएंगे? आपने जो व्यवस्था बनाई है, क्या इसे त्वरित ढंग से करा नहीं पाएंगे? सरकार अपने हिसाब से डिक्लेयर नहीं कर रही, आरजीआई को कहा गया है कि वह मोडेलिटीज़ तय करे। In Odisha, Saara is a tribal caste. Sabara and Saara are tribals. Just because their pronunciation is different, they are out from the list of Scheduled Tribes. How long will it take? Should you fix a timeframe that within this much of time the Registrar General of India (RGI) will finalise and declare it, and notify the Government to come to the House for passing it as a Bill to make a law.

श्री अर्जुन मुण्डा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बुधवार को आरजीआई और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ऑफिशियल मीटिंग हुई थी। इन सब चीजों पर चर्चा होने के बाद कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके, किया जाएगा। मंत्रालय महसूस करता है कि इसमें बहुत लोगों को कठिनाई हो रही है, इसे हम जल्दी से जल्दी कराएंगे।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (बारदौली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे देश के आदिवासियों की वर्तमान समस्याओं पर प्रश्न उठाने का मौका दिया।

माननीय मंत्री ने अच्छा जवाब दिया है, मैंने पूरा उत्तर देखा है। सभी राज्य सरकारें और भारत सरकार ट्राइबल डैवपलमेंट के लिए बहुत अच्छी योजनाएं ले कर आई है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में, जो असल में आदिवासी नहीं हैं, वे झूठे प्रमाण-पत्र लेकर आदिवासी सूची में शामिल हो रहे हैं। ऐसा होने के कारण ओरिजनल आदिवासियों के अधिकार समाप्त होते जा रहे हैं। वे लोग जो असल में आदिवासी नहीं हैं, नकली आदिवासी प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षा संस्थानों, कई योजनाओं से लेकर पेट्रोल पम्प आदि के लाभ ले रहे हैं। सरकार भी आदिवासियों का जीवनस्तर उठाने का प्रयास कर रही है। अगर यह सिलसिला चालू रहेगा तो आदिवासियों को जन्म से जो अधिकार मिले हैं, नहीं मिलेंगे, इससे आदिवासी तो आदिवासी ही रह जाएंगे। सरकार इनकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहती है?

श्री अर्जुन मुण्डा: माननीय अध्यक्ष जी, जब इस तरह का कोई विषय आता है तो उस पर जांच होती है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 242 में जो अधिसूचित हैं, उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाता है।

(इति)

(प्रश्न 306, 307 और 312)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 306।

श्री प्रवीन कुमार निषाद – अनुपस्थित।

श्री अजय निषाद – अनुपस्थित।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 306 और 307 को क्लब कर देते हैं।

श्री जुगल किशोर शर्मा।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का मौका दिया। राजौरी-पुंछ की पहाड़ियों पर सात जिले हैं, ये जिले इस क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इनकी मान्यता आदिकाल और महाभारत काल से है। इन जिलों के आसपास का क्षेत्र पर्यटन और आस्था से जुड़ा हुआ है। देश भर के पर्यटक इन जिलों का आनंद उठा सकें, इसलिए मेरी मांग है कि पर्यटन के नाते इन जिलों को डैवलप किया जाए ताकि यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सके। इसके लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठाने वाले हैं?

(1150/MK/SAN)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं। वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं और जम्मू-कश्मीर से आते हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि पर्यटन मंत्रालय राज्य के प्रस्तावों पर विचारों करता है। उन्होंने जो कहा है, मैं उसका उत्तर दूंगा कि हम पर्यटन अवसंरचना बनाने का काम करते हैं, लेकिन राज्य के सहयोग से संवर्द्धन, मार्केटिंग एवं कौशल विकास का काम भी करते है। लेकिन, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी वहां जो चालू योजनाएं हैं, उसमें इनको जानकारी होगी कि पीएमआरपी, 2004 के तहत प्रस्तावित 12 विकास प्राधिकरण, 3 सर्किट और 50 पर्यटक गांव की स्थापना तथा वूलर झील का संरक्षण है। आपने तालाब की बात की है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पैसे आवंटित हुए, लेकिन उस समय जो राज्य सरकार थी, उसने इस पैसे का उपयोग नहीं किया। यू.सी. अभी वापस नहीं आया है। प्राय: भारत सरकार यह तय करती है कि जब पहली योजना पूरी हो जाए, तब किसी दूसरी योजना के लिए पैसा रिलीज़ करेंगे। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन है, मैं उनके प्रस्ताव पर जरूर विचार करूंगा। राज्य सरकार प्रस्ताव को भेजे और साथ में यूटिलाइजेशन सटिफिकेट भिजवाने की कोशिश करे, ताकि भारत सरकार को कोई असुविधा नहीं हो।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा दो प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार के पास भेजे गये हैं। एक प्रोजेक्ट राजौरी में- शक्कर मार्ग, सेवेन लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं और दूसरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ गंगा घाट सुन्दरबनी है। इन प्रोजेकट्स में काफी विलम्ब हो चुका है। इन प्रोजेक्ट्स पर कब काम शुरू होगा ताकि इस क्षेत्र

में भी पर्यटन का डेवलपमेंट हो? इससे बाहर के जो पर्यटक हैं, वे भी उस स्थान पर आएंगे तो इससे वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो विचाराधीन परियोजनाएं हैं, उनमें एक इको टूरिज्म का एडवेंचर एंड इको परिपथ जम्मू, जिसमें रणजीत सागर बांध, नगरौटा, सोनमर्ग, दुधपठारी है। इको टूरिज्म की दूसरी योजना, जिसमें अखनूर, सांबा, गुलाबगढ़ और सुन्दरबनी है। विरासत परिपथ में, झेलम रिवर फ्रंट, रेनवारी, और जोगी लंकार, ये तीन परियोजनाएं हमारे पास प्रस्तावित हैं। इसके अलावा हिमालयन परिपथ की पांच योजनाएं हैं। हमने राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा है, लेकिन हमारे पास राज्य सरकार की तरफ से कोई डीपीआर या अन्य कोई जानकारी पूरी तरह से नहीं आई है।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मुझे पहली बार प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए जरूर यह कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश से ही है और मेरे संसदीय क्षेत्र में उनका आना जाना अक्सर होता रहता है। इसलिए मैं बहुत आशा के साथ आज इस विषय को आपके माध्यम से यहां पर रखना चाहती हूं।

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर में मैं अपने क्षेत्र की पर्यटन विकास की संभावनाओं को ढूंढ़ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिलीं। मेरा बस इतना ही निवेदन है कि मध्य प्रदेश के भिंड क्षेत्र में 10 वीं शताब्दी काल के कई मन्दिर और स्तूप स्थापित हैं। उदाहरण के तौर पर, चन्देल में भगवान शिव का मन्दिर, परडी का चतुर्भुज भगवान विष्णु का मन्दिर, जो पांचवी शताब्दी का है, माना की गुफाएं हैं, बीरबल की अराध्य देवी चंडी मां का मन्दिर है और रीवा के गढ़ में, अध्यक्ष जी, मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगी, 37 फीट की भगवान भैरव की प्रतिमा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहती हूं कि क्या इन अत्यंत पुरातन स्थलों को विशेष पर्यटन स्थल बनाकर इनके गौरव को स्थापति करने की कोई योजना है? यदि है तो क्या है और नहीं है तो कब तक संभावना है? मैं इसमें एक लाइन और भी जोड़ना चाहती हूं कि कम से कम ग्रामीण परिपथ थीम में ही इस योजना को जोड़ दिया जाए, तो मैं बहुत आभारी रहूंगी।

(1155/YSH/RBN)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: मैं माननीय सदस्या जी को धन्यवाद करता हूं। मध्यप्रदेश में वन्य जीव सर्किट, बौद्ध सर्किट, विरासत सर्किट और इको सर्किट चल रहे हैं। इनमें से प्रस्तावित और विचाराधीन बौद्ध सर्किट का मामला था, जो सांची और बुद्धवापी में नहीं आता, लेकिन रामायण सर्किट सतना उसमें आता है। पहले उत्तरप्रदेश में 51 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी मध्यप्रदेश सरकार ने 51 करोड़ का प्रस्ताव हमें भेजा है। इसे मंत्रालय देखेगा और उस पर काम करेगा। माननीय सदस्या को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उनको लगे हुए हिस्से अमरकंटक का साइड सलेक्शन हुआ है और उस पर काम चल रहा है। अब मैं उनके तीसरे प्रश्न पर आता हूं।

अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी है कि एक बहुत बड़ा खनन वहां पर ई.एस.आई. कर रही है। मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई बात कहूंगा तो मैं उसकी जानकारी सदन को दूंगा। मुझे गर्व है कि

सिंगरौली के हिस्से में 10वीं शताब्दी की जो चीज मिली है, मैं उसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ई.एस.आई उस बारे में नहीं दे, तब तक मुझे लगता है कि सदन में इसके बारे में नहीं कहना चाहिए। लेकिन चाहे बाणभट्ट जी की जन्मभूमि हो, जहां पर मैं खुद गया था, मैंने जिन चीजों को वहां देखा था, उसके लिए मैंने निर्देशित किया है कि उसकी पर्याप्त जानकारी आए। ई.एस.आई. उस पर काम कर रही है, जब उसके परिणाम आएंगे, तो मैं आपके माध्यम से उनको सदन के पटल पर रखूंगा।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): मैं मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख इन तीनों जगहों पर टूरिज्म का काम बहुत ज्यादा है। हम छ: मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो इन तीनों क्षेत्रों से आते हैं, अगर मंत्री जी हम सबके साथ मीटिंग करें तो हम अपने टूरिज्म के मिसाइल्स सामने रख सकेंगे।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, यह अच्छा सुझाव है। मैं इस पर जरूर विचार करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 312 को भी इसके साथ क्लब किया जाता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री सुनिल बाबूराव मेंधे (भन्डारा-गोंदिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां का 44 प्रतिशत भाग जंगल से व्याप्त है। वहां कोका और नागजीरा दो टाइगर रिजर्व फोरेस्ट भी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पयर्टन मंत्रालय की ओर से उनके विकास करने के लिए कोई योजना है? अगर नहीं है तो वह योजना कब तक बनाने वाले है।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, वास्तव में एक समय पीआईडीडीसी एक योजना चलती थी, और उसके बंद होने के बाद हमने उसके लिए जो राशि रिलीज की थी। उसको महाराष्ट्र सरकार ने अपना अंशदान देकर पूरा किया है। अगर सदस्य चाहेंगे, तो मैं उसकी डिटेल्स उनको दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार जब तक प्रस्ताव नहीं देगी, तब तक हम अपनी तरफ से कोई इनिशियेट नहीं कर सकते हैं। जो पिछली परियोजना थी, उसको राज्य सरकार ने पूरा किया है। राज्य सरकार से मैंने जानकारी मांगी है और उन्होंने बकायदा डिटेल्स दी है कि चाहे नवेगांव बांध हो, खम्म तालाब हो आदि, सभी उन्होंने पूरे किए है। हमारे पास जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आया है, उससे भारत सरकार का मंत्रालय सहमत है।

श्री सुनिल बाबूराव मेंधे (भन्डारा-गोंदिया): मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने जब इन्फोर्मेशन निकाली तो महाराष्ट्र राज्य की ओर से पूर्व भाग का जो डी.पी.आर. बनाया जा रहा है और जहां तक जगल व्याप्त एरिया है और बफर जोन के जो लोग वहां रहने वाले है, उनके लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वहां पर सरकार अपना कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि उसकेलिए कोई निधि उपलब्ध कराई जाए, जिससे रोजगार प्राप्त हो।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, मधु सरंचना के लिए पैसा देते हैं, यह मैंने आपके माध्यम से सदन को बताया है, इसकी पूरी तरह से वन पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति ली जाती है, कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वह राज्य सरकार का मामला है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह कोई प्रोजेक्ट बनाकर भेजे, मैंने भी उस स्थान को व्यक्तिगत रूप से देखा है। मेरा क्षेत्र छिंदवाड़ा और सिवनी बॉर्डर से सटा है। मैं वहां गया हूं, लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि राज्य सरकार को प्रस्ताव देना होगा। और वे फारेस्ट एनवायरमेंट की परमिशन लेते है और अगर वे योजना को स्वीकृति देते हैं तो मैं उसमें पूरी मदद करूंगा।

SHRI LORHO S. PFOZE (OUTER MANIPUR): Mr. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to put a supplementary question during the Question Hour.

I want to ask the Minister what projects the Government has taken up for promotion of tourism in the North-East India, especially in my parliamentary constituency, Outer Manipur.

(1200/SM/RAJ)

Sir, the lack of other resources in North East has forced us to develop only this particular available resource, that is tourism. We think that this is a very important issue and our Minister is very well acquainted with North-East, especially Manipur. I would like to know from him about this.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर के सांसद का अभिनंदन करता हूं। मैं मणिपुर के उन क्षेत्रों से परिचित हूं। पिछले साढ़े तीन वर्षों में मेरा मणिपुर के उन क्षेत्रों मे जाना हुआ है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर परिपथ में, मणिपुर में पर्यटक परिपथ विकास के लिए इम्फाल और खोंगजोम, माननीय सदस्य के क्षेत्र में इम्फाल नहीं है, लेकिन खोंगजोम है और वह पूर्वोत्तर परिपथ का हिस्सा है। अगर उसमें उनको लगता है कि कुछ और सुझाव देने की जरूरत है तो वह दें, मैं उनकी मदद करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

(1200/SM/RAJ)

Sir, the lack of other resources in North East has forced us to develop only this particular available resource, that is tourism. We think that this is a very important issue and our Minister is very well acquainted with North-East, especially Manipur. I would like to know from him about this.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर के सांसद का अभिनंदन करता हूं। मैं मणिपुर के उन क्षेत्रों से परिचित हूं। पिछले साढ़े तीन वर्षों में मेरा मणिपुर के उन क्षेत्रों मे जाना हुआ है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर परिपथ में, मणिपुर में पर्यटक परिपथ विकास के लिए इम्फाल और खोंगजोम, माननीय सदस्य के क्षेत्र में इम्फाल नहीं है, लेकिन खोंगजोम है और वह पूर्वोत्तर परिपथ का हिस्सा है। अगर उसमें उनको लगता है कि कुछ और सुझाव देने की जरूरत है तो वह दें, मैं उनकी मदद करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

संसद भवन परिसर में स्वच्छता अभियान के बारे में

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि महात्मा गांधी जी के 150वीं जयन्ती वर्ष में उनकी प्रेरणा से संसद भवन परिसर में 13 और 14 जुलाई को स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें माननीय मंत्रीगण, संसद सदस्यगण, लोक सभा सचिवालय एवं अन्य एजेंसियों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने शनिवार और रविवार को अपनी छुट्टी कैंसिल करके, इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारा प्रयास 'स्वच्छता अभियान' के इस संकल्प को संसद से देश के कोने-कोने, हर गांव, शहर तक ले जाना है।

इस अभियान के प्रति जनता को जागरूक बनाने में संसद सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप लोग आए, आपने सक्रियता से हिस्सा लिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद, बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके सक्रिय सहयोग से, लोकतंत्र के इस मंदिर में स्वच्छता अभियान के माध्यम से हम यह संदेश जनता तक पहुंचाने में सफल हो सकेंगे और महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत का सपना एवं माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प 2 अक्टूबर, 2019 तक निश्चय ही पूर्ण कर पाएंगे।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। यद्यपि ये महत्वपूर्ण हैं तथापि अभी सभा में व्यवधान डालना उचित नहीं है। इसलिए मैं इन सभी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं को अनुमति प्रदान नहीं करता हूं।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, एक मिनट, यह बहुत गंभीर मुद्दा है।…(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-2020 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

*****

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-20 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

******

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2019-2020.

*****

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STEEL (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Engineers India Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2019-2020.

*****

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-2020 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

*****

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2019-2020 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2019-2020 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (निजामुद्दीन बस्ती स्मारक समूह के लिए धरोहर उपविधियां) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(15) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

******

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINITER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for the year 2019- 2020.

*****

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2019-2020.

******

(1205/AK/IND)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BABUL SUPRIYO): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the year 2019-2020.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority Manipur, Imphal, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority Manipur, Imphal, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jharkhand Secondary Education Project Council, Ranchi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jharkhand Secondary Education Project Council, Ranchi, for the year 2017-2018.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Book Trust, India, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Book Trust, India, New Delhi, for the year 2017-2018.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Kerala, Trivandrum, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Kerala, Trivandrum, for the year 2017-2018.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jharkhand Education Project Council, Ranchi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jharkhand Education Project Council, Ranchi, for the year 2016-2017.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan, Goa, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan, Goa, for the year 2017-2018.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Kerala, Trivandrum, for the years 2014-2015 to 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Kerala, Trivandrum, for the years 2014-2015 to 2016-2017.

(14) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tamil Nadu Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Chennai, for the years 2014-2015, 2015-2016 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tamil Nadu Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Chennai, for the years 2014-2015, 2015-2016 and 2017-2018.

(16) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jharkhand Education Project Council, Ranchi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jharkhand Education Project Council, Ranchi, for the year 2017-2018.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2019-2020.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) to Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

1. S.O.983(E) published in Gazette of India dated 22nd February, 2019, regarding amalgamation of Pragathi Krishna Gramin Bank and Kaveri Grameena Bank as Karnataka Gramin Bank.
2. S.O.984(E) published in Gazette of India dated 22nd February, 2019, regarding amalgamation of Sarva U.P. Gramin Bank and Prathama Bank as Prathama U.P. Gramin Bank.

3. S.O.985(E) published in Gazette of India dated 22nd February, 2019, regarding amalgamation of Assam Gramin Vikash Bank and Langpi Dehangi Rural Bank as Assam Gramin Vikash Bank.
4. S.O.986(E) published in Gazette of India dated 22nd February, 2019, regarding amalgamation of Baroda Gujarat Gramin Bank and Dena Gujarat Gramin Bank as Baroda Gujarat Gramin Bank.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) to Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

1. The Saurashtra Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. HO/PER/2018/3471 in Gazette of India dated 6th December, 2018.
2. The Saurashtra Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. HO/PER/2018/3471 in Gazette of India dated 6th December, 2018.
3. The Central Madhya Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees) Services (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. 488 in Gazette of India dated 12th December, 2018.
4. The Central Madhya Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. 488 in Gazette of India dated 12th December, 2018.
5. The Mizoram Rural Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. PSN-MRB/2018-19/01 in Gazette of India dated 4th January, 2019.
6. The Mizoram Rural Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. GZT-MRB/PSN/2018-19/01 in Gazette of India dated 4th January, 2019.
7. The Pallavan Grama Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. PGB/service (Amendment) Regulations/2018-19 in Gazette of India dated 21st December, 2018.

8. The Pallavan Grama Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. PGB/Pension/2018-19 in Gazette of India dated 21st December, 2018.

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/15 in Gazette of India dated 8th May, 2019.
2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Third Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/58 in Gazette of India dated 31st December, 2018.

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

1. The Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.343(E) in Gazette of India dated 1st May, 2019.
2. The Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of General Manager and Assistant General Manager) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1175(E) in Gazette of India dated 5th December, 2018.
3. The Investor Education and Protection Fund Authority (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1023(E) in Gazette of India dated 11th October, 2018.
4. The Investor Education and Protection Fund Authority (Form and Time of Preparation of Annual Report) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1024(E) in Gazette of India dated 11th October, 2018.
5. The Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of

Deputy General Manger, Private Secretary, Personal Assistant, Stenographer, Senior Secretariat Assistant and Junior Secretariat Assistant (JSA) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.793(E) in Gazette of India dated 21st August, 2018.

(6) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) to (v) of (5) above.

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985:-

1. S.O.1350(E) published in Gazette of India dated 13th March, 2019, together with an explanatory memorandum declaring the substances, mentioned therein, salts and preparations thereof to be manufactured drugs.
2. S.O.1351(E) published in Gazette of India dated 13th March, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. S.O.1055(E) dated 19th October, 2001.
3. S.O.1352(E) published in Gazette of India dated 13th March, 2019, together with an explanatory memorandum making further amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
4. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.215(E) in Gazette of India dated 13th March, 2019.

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

1. G.S.R.1236(E) published in Gazette of India dated 27th December, 2018, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 82/2017-Cus.(N.T.), dated 24th August, 2017.
2. The Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Amendment Regulations, 2019 published in

Notification No. G.S.R.158(E) in Gazette of India dated 27th February, 2019.

3. The Courier Imports and Exports (Clearance) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.159(E) in Gazette of India dated 27th February, 2019.
4. The Sea Cargo Manifest and Transhipment (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.165(E) in Gazette of India dated 27th February, 2019.
5. The Shipping Bill and Bill of Export (Forms) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.239(E) in Gazette of India dated 25th March, 2019.
6. G.S.R.277(E) published in Gazette of India dated 1st April, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/97-Cus.(N.T.), dated 2nd April, 1997.
7. The Handling of Cargo in Customs Areas (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.278(E) in Gazette of India dated 1st April, 2019.
8. The Shipping Bill (Electronic Integrated Declaration and Paperless Processing) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.326(E) in Gazette of India dated 25th April, 2019.
9. The Customs (Supplementary Notice) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.429(E) in Gazette of India dated 18th June, 2019.
10. S.O.1974(E) published in Gazette of India dated 18th June, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in two notifications, mentioned therein.

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 24 of the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017:-

1. G.S.R.74(E) published in Gazette of India dated 29th January, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to notify the date on which the provisions of the Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 shall come into force.

2. G.S.R.366(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to notify amendment in Constitution of Authority for Advance Ruling in the Union Territories (without legislature).
3. G.S.R.367(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to notify Constitution of Appellate Authority for Advance Ruling in the Union Territories (without legislature).
4. G.S.R.463(E) published in Gazette of India dated 29th June, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to specify retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of person who shall be entitled to claim refund of applicable central tax paid on inward supply of such goods.

(10) A copy of the Notification No. G.S.R.460(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th June, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to specify retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of person who shall be entitled to claim refund of applicable central tax paid on inward supply of such goods under Section 166 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017.

(11) A copy of the Notification No. G.S.R.461(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th June, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to specify retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of person who shall be entitled to claim refund of applicable integrated tax paid on inward supply of such goods under Section 24 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017.

(12) A copy of the Notification No. G.S.R.464(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th June, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to exempt any supply of goods by a retail outlet established in the departure area of international airport, beyond the immigration counters, to an outgoing international tourist from the whole of the goods and services

tax compensation cess under Section 13 of the Compensation Cess Goods and Service Tax Act, 2017.

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

1. G.S.R.444(E) published in Gazette of India dated 23rd June, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of definitive anti-dumping duty on the import of 'Ductile iron pipes', originating in, or exported from China PR upto and inclusive of 9th October, 2019.
2. G.S.R.449(E) published in Gazette of India dated 24th June, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive countervailing duty on import of new/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks, originating in, or exported form the People's Republic of China for a period of five years (with effect from 24.06.2019) based on recommendations of investigations conducted by the directorate General of Trade Remedies.
3. G.S.R.450(E) published in Gazette of India dated 24th June, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to further extend the levy of anti-dumping duty till 09.07.2019 on imports of "Paracetamol", originating in, or exported form the China PR, in pursuance of order of Hon'ble High Court of Gujarat dated 20.06.2019 in the matter of Special Civil Application No. 5278/2019.

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): अध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मोटर यान (संशोधन) विधेयक

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर-14, श्री नितिन गडकरी जी।

1209 बजे

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह) (सेवानिवृत्त): महोदय, मैं नितिन गडकरी जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रो. सौगत राय। सौगत राय जी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और 35 साल तक इन्होंने प्रोफेसरशिप की है।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Thank you, Sir. I rise to oppose the introduction of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019.

At present, the issue does not concern the legislative competence because of the fact that the subject is in the Concurrent List and the Parliament can make a law defining powers available to the States. It is mainly due to the reason that some of the States are concerned about new provisions, which empower the Centre to formulate a National Transport Policy through a process of consultation and not concurrence.

Under the new amendments, changes in the Motor Vehicles Act will enable the Central Government to formulate schemes for the national multi-nodal and inter-State movement of goods and passengers for rural mobility and even last-mile connectivity.

(1210/SPR/VB)

This will take away the powers of the State Governments, which have been making changes as per the requirements, suiting their local conditions as well as the needs of the local population in the hinterland. Moreover, it also takes away the powers of the States so far as providing rural connectivity as a social service instead of profitable routes for operation of such services.

Sir, this will put the people living in rural and far flung areas to disadvantage because the private operators refuse to cater to their needs

because of low profits or losses due to scarcely populated regions spread across the Himalayan belt and tribal areas of Central Indian States. That is why, I oppose this Bill which infringes on the rights of the States, and takes away the powers of the States to improve road connectivity in the rural areas.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I also rise to oppose the introduction of the Bill. However, not in its entirety but I oppose only a few provisions. I think, it does not comply with the established constitutional provisions. I must appreciate that the Minister has burnt midnight oil to make it a comprehensive and a robust Bill. However, certain loopholes are identified.

We all know that it is a long overdue legislation. I would simply draw the attention of the concerned Minister to Clause 33 where the Bill provides that the Central Government may modify any permit issued under the Act. It may also modify the scheme for national multimodal and interstate transportation of goods or passengers, and issue or modify license under such schemes. These permits and schemes must be for specific purposes listed in the Bill, and include last mile connectivity, rural transport and improve freight movement.

I would like to say that before taking any such action, the Central Government should consult the State Governments. So, I would propose to the Minister that he should take the State Governments into confidence before the introduction of this legislation.

Secondly, the Clause 17 of the Bill provided that, for a new motor vehicle, the dealer would apply for the registration of vehicle if the dealer is situated in the same State where the vehicle is being registered. Here, my objection is with respect to empowering the dealer or the registering authorities because it would be against public interests. These two issues I thought it prudent to raise in this House, and for Minister's consideration.

इसके साथ-साथ, यह भी सही है कि आज मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 के बारे में डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के तहत चर्चा होने वाली है। हिन्दुस्तान में रोज़ाना सड़क दुर्घटनाओं में चार हजार लोगों की मौतें हो जाती हैं। मुझे हैरानी होती है कि अगर रोज़ाना इतनी मौतें हो जाएं, खासकर दिल्ली और नोएडा को देखिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ खूनी रोड्स बन चुके हैं। इसे भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे।

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Speaker, Sir, I rise to oppose the amendments to the Motor Vehicles Act. We seek to oppose very important clauses where the Government has brought amendments to the Bill.

In Clause 5(c), you have increased the time limit for renewal of licence from one month to one year after the expiry. This means that you will have people with an expired driving licence driving for one year after the licence has expired. This is detrimental to road safety as well as to the lives of others who may be on the road.

(1215/PC/UB)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप जवाब देना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप चर्चा के समय बात कर लीजिएगा।

…(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं मैडम के सब सवालों का जवाब दूंगा। यह बिल पिछली लोक सभा के समय पास हुआ था, उसके बाद यह बिल राज्य सभा में पास नहीं हो पाया था। इस बिल के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जब यह बिल तैयार हुआ तो कुछ सम्माननीय सदस्यों ने और कुछ लोगों ने इस बिल पर आपत्ति उठाई थी। उस समय यूनुस खान राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने इस बिल को जांचा और उन्होंने रिक्मेंड किए हुए बिल की कॉपी मुझे दी, जो मैंने पार्लियामेंट में पेश की।

पार्लियामेंट में पेश करने के बाद दोनों सदनों के द्वारा आदेश हुआ, जिसके बाद यह बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास भी गया और जॉइंट सलेक्शन कमेटी के पास भी गया। दोनों कमेटियों की रिपोर्ट के बाद यह बिल राज्य सभा में गया, लेकिन उस समय राज्य सभा में यह बिल पास नहीं हो पाया। आज मैंने फिर से एक बार वही सेम बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है। …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : अगर फिर यह बिल पास नहीं हुआ? …(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : प्रोफेसर सर, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे जानकारी है कि यह सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है। यह सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। यह सब्जेक्ट कॉनकरेंट लिस्ट में है। इसलिए कॉनकरंट लिस्ट में होने के कारण इस पर लेजिस्लेशन करने का अधिकार भारत सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है।

मैं सबसे पहले आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, जिसका आपने उल्लेख भी किया था। जो स्टेट इसको लागू करना चाहता है, वह कर सकता है। जो स्टेट इसको लागू नहीं करना चाहता है, उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई मैन्डेटरी नहीं है। इस बिल के द्वारा किसी भी प्रकार से हम स्टेट के कोई भी अधिकार लेना नहीं चाहते हैं। हम उनके अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहते हैं।

स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है। नई गाड़ी खरीदने के बाद ऐसा नियम है कि वह गाड़ी आरटीओ ऑफिस में ले जानी पड़ती है। उस गाड़ी को देखने के बाद आरटीओ उस पर ठप्पा लगाकर उसका रजिस्ट्रेशन करता है। मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता कि गाड़ी ले

जाने में और लाने में क्या होता है। …(व्यवधान) इसलिए हमने यह कहा कि डीलर उसको रजिस्टर करेगा और आरटीओ ऑफिस जो काम करेगा, उतना पैसा उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। …(व्यवधान) हमने इसमें स्टेट का कोई भी अधिकार नहीं लिया है। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। …(व्यवधान) क्या इसको चुस्त-दुरुस्त करने की कोई व्यवस्था है? …(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : पहली बात यह है कि मैं हर चर्चा के लिए तैयार हूं। …(व्यवधान) सम्माननीय सदस्य जो-जो बातें मेरे ध्यान में लाकर देंगे, उनको हम सुधार देंगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चर्चा के समय डीटेल्ड डिबेट कर लेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): It is a practice that you have to consult the State Governments. Their opinion should also be taken…(*Interruptions*).

श्री नितिन जयराम गडकरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से वही बता रहा हूं। 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने स्वीकृति देने के बाद, उन्होंने सूचनाओं को स्वीकारते हुए यह बिल तैयार किया। इसके बाद जॉइंट सलेक्शन कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी ने छ:-छ: महीने तक इस बिल की स्क्रीनिंग की।

मैं एक बार फ्रस्ट्रेट भी हुआ हूं, क्योंकि उस विषय का आपने उल्लेख किया। हमारे यहां हर साल डेढ़ लाख मौतें होती हैं और पांच लाख एक्सीडेंट्स होते हैं। 30 परसेंट लाइसेंस बोगस हैं। दिल्ली का एक आदमी जयपुर में जाकर लाइसेंस लेता है, मुंबई में जाकर लाइसेंस लेता है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। …(व्यवधान) वर्ल्ड में सबसे आसानी से अगर किसी देश में लाइसेंस मिलता होगा तो उस देश का नाम हिन्दुस्तान है। …(व्यवधान) इस विषय में कोई सजा नहीं होती है। …(व्यवधान) लोग स्कूटर चलाते समय नंबर प्लेट पर हाथ रखते हैं और पुलिस के सामने से देखते हुए आगे जाते हैं, पर कोई चिंता नहीं करते हैं। …(व्यवधान) कानून के प्रति सम्मान भी नहीं है और डर भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। …(व्यवधान) 50 रुपये या 100 रुपये के फाइन की कोई चिंता नहीं करता है। …(व्यवधान) इसीलिए लोगों की जान बचाने के लिए हम यह बिल लाए हैं। …(व्यवधान) मैं आपसे भी बोल चुका हूं कि यह मेरे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है। मैं इसे स्वीकारने में संकोच नहीं करता हूं। …(व्यवधान) पांच साल तक कोशिश करने के बाद भी केवल 3.5-4 परसेंट ही एक्सीडेंट्स कम हुए। …(व्यवधान) इसमें तमिलनाडु एक अपवाद है। तमिलनाडु ने 15 परसेंट एक्सीडेंट्स कम कर के लोगों की जान बचाई है। …(व्यवधान) इसलिए तमिलनाडु ने जो प्रयोग किया है, वही प्रयोग करने के लिए हम आप सबकी सहमति और अनुमति से आगे जाएंगे। …(व्यवधान) प्रोफेसर साहब , यह हर जगह लिखा है। …(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए।

मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी बात राज्य के ऊपर बंधनकारक नहीं है। …(व्यवधान) मैं लंदन ट्रांसपोर्ट का एक मॉडल देखकर आया, जहां डबल डेकर बस को नो-ऑपरेटर्स चलाते हैं। …(व्यवधान) हम अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस को सुधारना चाहते हैं, इलैक्ट्रिक बसेज़ को लाना

चाहते हैं। ...(व्यवधान) अब इलैक्ट्रिक बसेज़ की शुरुआत हुई है। कल मैंने इथेनॉल से चलने वाली बाइक को इनॉगरेट किया, हम उसी तरह टैक्सी बनाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) जिस राज्य को ये नई-नई बातें स्वीकार करनी हैं, वे स्वीकार करें और जिसको ये बातें स्वीकार नहीं करनी हैं, वे न करें।

(1220/PC/KMR)

यह मैनडेटरी नहीं है। ...(व्यवधान) हम स्टेट का कोई भी अधिकार नहीं लेना चाहते हैं। ...(व्यवधान) मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस बिल पर चर्चा कीजिए। चर्चा में मैं आपके साथ बैठूंगा। Either convince me or be convinced by me. अगर आप मुझे कनवेंस करें, तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं। ...(व्यवधान) लोगों की जान बचाने के लिए इस बिल को आप पास कीजिए। ...(व्यवधान) देश में डेढ़ लाख लोग एक्सीडेंट्स से मर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं भी इससे ग्रस्त हूं। मेरा पैर चार जगह टूटा था। मेरी पांच सालों तक कोशिश करने के बाद भी यह बिल नहीं आ पाया। मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। जॉइंट सलेक्शन कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टियों के सदस्य थे। मैं दो-तीन मीटिंग्स में उनके पास गया, हमारे सेक्रेट्री भी गए। ...(व्यवधान) इसके बाद 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने भी इस बिल को देखा। इसके बावजूद आप सब नए चुनकर आए हुए लोग हैं, आप सब मेरे साथ बैठिये। आप लोग पब्लिक इंट्रेस्ट में जो कहेंगे, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। लोगों की जान बचाने के लिए आप इस बिल को स्वीकार करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह) (सेवानिवृत्त): अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

SURROGACY (REGULATION) BILL

1222 hours

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके नोटिस का टाइम ओवर हो गया है, फिर भी आप एक मिनट बोलना चाहे तो बोल लें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको स्पेशल अनुमति दे रहा हूं। आपके नोटिस का टाइम ओवर हो गया है, फिर भी आप बोल सकते हैं।

…(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, as far as the procedural objection is concerned, under your direction 19B of the Directions by the Speaker, no Bill shall be introduced until its copies have been made available to the Members at least two days before the Bill is proposed to be introduced in the House. This Direction has not been complied with, Sir. We have not had the Bill for two working days. And I must say the Minister has to give special reasons for not doing so or defer the Bill.

Then, I have three substantive objections. First, it prevents same sex couples from having surrogate children even though there is credible scientific research to show that same sex parents are as good as heterosexual parents. Second, it violates the Puttaswamy judgment of the Supreme Court. The first one violates article 14 because it treats equals unequally, and the second one

violates article 21 because of the Right to Privacy. And finally, requiring married couples to wait for five years after their marriage in order for them to be eligible for surrogacy, I am afraid, is an unreasonable restriction on their reproductive rights and violation of their Right to Life under article 21.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को इसकी कॉपी प्रोवाइड कर दी गई थी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I introduce the Bill.

नियम 377 के अधीन मामले - सभा पटल पर रखे गए

1223 बजे

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्य अपने वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं, इसके लिए 20 मिनट का समय है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज ज़ीरो आवर नहीं है।

…(व्यवधान)

Re: Infiltration in Assam

श्री दिलीप साईकिया (मंगलदाई): मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदेई सहित पूरे असम में अवैध घुसपैठ एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन गई है। जिस सम्बन्ध में सरकार अपने स्तर पर गंभीर प्रयास कर रही है। लेकिन बे-रोकटोक घुसपैठ अब एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। वर्ल्ड-माइग्रेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार, पिछले साल बांग्लादेश–भारत कोरिडोर घुसपैठ के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा गलियारा बन गया है। इतना ही नहीं असम में वोटर सूची में जिस तरह से वोटरों की संख्या बढ़ी है वह भी देश के लिए काफी खतरनाक है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में लगभग तीन लाख वोटरों की संख्या बढ़ चुकी है। असम के स्थानीय लोगों के अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन हो रहा है। इस घुसपैठ के कारण असम के स्थानीय लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक अधिकारों का भी व्यापक रूप से हनन हो रहा है। बढ़ती घुसपैठ से वन्य भूमि, आरक्षित भूमि तथा नदी किनारे डूब क्षेत्र की भूमि पर भी कब्जा बढ़ रहा है। अतः यह घुसपैठ देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक हो सकती है।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए देश व्यापी कठोर कानून लागू कर इस समस्या को खत्म करने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Irrigation project for Kolar Constituency

SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Good percentage of Kolar constituency in Karnataka comprises of agricultural lands, which produce various horticulture and agricultural products. But the main problem being faced by the farmers in Kolar area is drought. This is due to the absence of water resources in the area. As a result of drought, most of the agricultural lands are useless and the harvests are not fruitful, sometimes it leads to famine. If there is an irrigation project in Kolar area, the area can overcome from drought. So I kindly request the government to allocate fund for an 'Irrigation projects' for Kolar area.

(ends)

Re: Need to set up a Mega Food Park in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): बिहार राज्य एक पिछड़ा राज्य है। इसी राज्य अन्तर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज है जो अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र है। यहां पर पिछड़ेपन की मार सबसे अधिक यहां कि किसानों को झेलनी पड़ती है। इसलिए हमारे संसदीय क्षेत्र के किसानों को अधिक से अधिक सुविधा और साधन उपलब्ध कराने की अति आवश्यकता है ताकि वो अच्छा जीवन जीते हुए हम सभी देशवासियों को भी जीने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते रहें।

किसानों की सुविधा को बढ़ाते हुए उनके आय को दोगुना करने के लिए आज हमारी सरकार भी संकल्पबद्ध है। ऐसे में हमारे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजना के तहत एक मेगा फूड पार्क की स्थापना हो जाती है तो किसानों की आय में वृद्धि, उनके उत्पादित माल को अधिक से अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने, भंडारण के अभाव में औने-पौने दामों पर खाद्यान्न बेचने की उनकी मजबूरी, उनके उत्पादित फल-सब्जी, मछली आदि को भी अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने में अधिक से अधिक मदद मिल सकेगी। इसके अलावा मेगा फूड पार्क की स्थापना से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलने का अवसर उपलब्ध होगा।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार अन्तर्गत मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाये।

(इति)

Re: Clearance to Jhalawar airport

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): There is no airport connectivity to the Hadauti region. Jhalawar is the only district which has the capacity to land airplanes due to its airport infrastructure. But this airport has not got the clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Therefore, I urge the Ministry to give the necessary permission in this regard. This will help tiger tourism and also help students from other parts of the country to reach Kota area. It will also help evacuation of any sick person.

Therefore, I urge the Ministry to give the necessary clearance.

(ends)

Re: Need to set up a Passport Seva Kendra in Morbi district of Gujarat

श्री विनोद लखमशी चवाड़ा (कच्छ): महोदय, कच्छ में सम्मिलित नव–निर्वाचित मोरबी जिले के लिए पासपोर्ट सेवा शुरू की जाए।

(इति)

Re: Need to extend train no. 64589 and train no. 64160 upto Etawah and Phaphund respectively

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्टेशनों के विस्तारीकरण न होने के कारण यात्रियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान हेतु स्टेशनों की दूरी का विस्तारीकरण करने के लिए काफी दिनों से स्थानीय जनता द्वारा मांग की जा रही है। कानपुर से फफूद ईएमयू इंटरसिटी गाड़ी संख्या 64589 जिसका रात्रि ठहराव फफूद है, इस स्टेशन को विस्तारित करके इटावा तक ठहराव किया जाये, जो सुबह इटावा से कानपुर जायेगी और आगरा से इटावा ईएमयू इंटरसिटी गाड़ी संख्या 64160 जो आगरा से चलकर इटावा जाती है, जिसका रात्रि ठहराव इटावा है, इसे विस्तारित करके फफूद तक किया जाये, जिसका ठहराव फफूद रेलवे स्टेशन पर होगा, जो सुबह फफूद रेलवे स्टेशन से आगरा जायेगी। इन स्टेशनों का विस्तारीकरण हो जाने से मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा के लोगों को आगरा जाकर चिकित्सीय उपचार कराने और कानपुर जाकर व्यापार करने एवं शासकीय कर्मचारियों व आमजन के लिए सुगम और व्यापारिक दृष्टि से सहज हो सकेगा। साथ ही रेलवे के राजस्व में काफी बढ़ोत्तरी हो सकेगी।

(इति)

Re: Need to establish an Agriculture college in Abusar, Jhunjhunu district, Rajasthan

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): कृषि विज्ञान केन्द्र आबुसर, झुंझुनू (राजस्थान) पर कृषि महाविद्यालय खोला जाये। मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझुनू (राजस्थान) कृषि विज्ञान केन्द्र आबुसर, जो सन 1992 में झुंझुनू जिले में स्वामी केशवनानन्द (राजस्थान) कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीन स्थापित हुआ, उसके तहत कुल 72 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है। इसमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे बिल्डिंग, कृषि यंत्र, ट्रेक्टर, टयूबवैल, विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक, बीज उत्पाद फार्म, बीज प्रसंस्करण संयंत्र, उद्यानिकी व कृषि प्रदर्शनी इकाई सहित अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हैं। फलस्वरूप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने इस केन्द्र को 2005-06 में राष्ट्रीय स्तर के बेस्ट केपी के अवार्ड से भी नवाजा है। अतः कृषि विज्ञान केन्द्र पर कृषि महाविद्यालय खोले जाने हेतु निवेदन प्रस्तुत है।

(इति)

Re: Need to shut down or shift coal dumping yard situated in Lohardaga district, Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के गांव बड्कीचांपी गॉव में चल रहे कोयला डम्पिंग यार्ड की वजह से क्षेत्रीय जनता को हो रही समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

बड़कीचांपी गांव में पिछडे डेढ़ से 2 साल से कोयला डंपिंग यार्ड का कारोबार चल रहा है, डंपिंग यार्ड के कारोबार से आसपास के गांव के हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की जान माल का भी नुकसान हो रहा है, स्थानीय लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव हो रहा है साथ हजारों गाड़ियों के आवागमन से अक्सर दुर्घटना होती रहती है। इसके संचालन से स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं प्रदूषण रोकने के लिए डंपिंग यार्ड कंपनी द्वारा कोई उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं, स्थानीय लोगों ने कई बार इसका विरोध किया है, परंतु न कंपनी द्वारा और न ही प्रशासन द्वारा इसका कोई संज्ञान लिया गया। लगातार खनन नीति के नियमों का उलंघन करते हुए, स्थानीय जनता के जीवन से खिलवाड़ करते हुए यह डम्पिंग यार्ड का कार्य चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए जनता की मांग पर इस डपिंग यार्ड को जनहित में बंद कर दिया जाए अथवा अविलंब अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।

(इति)

Re: Need to make Sariswa river in Bihar pollution free

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): नमामि गंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत रक्सौल की जीवनदायिनी सरिसवा नदी को शामिल कर प्रदूषणमुक्त करना अति आवश्यक है। सरिसवा नदी नेपाल से निकलती है तथा बीरगंज (नेपाल) के कल। कारखानों द्वारा जहरीले दूषित अवशेषों को नदी में बहाए जाने से सरिसवा नदी का पानी काली जहरीली दुर्गधयुक्त एवं जानलेवा बन चुका है। इस नदी के पानी पीने से पशु-पक्षी मर रहे हैं तथा नदी के किनारे बसे ग्रामीण गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। यह नदी रक्सौल होते हुए सिकरहना/बुढ़ी गंडक में मिलते हुए गंगा में मिलती है। गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने हेतु नेपाल से निकलने वाली सरिसवा नदी के साथ-साथ अन्य नदियों का प्रदूषण मुक्त होना अति आवश्यक है।

(इति)

Re: Water problem and drought situation in Ahmednagar, Maharashtra

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): A dry spell during monsoons has aggravated the ongoing water crisis in Maharashtra to calamitous proportions. As per data provided by Office of Nashik Divisional Commissioner, due to drought, water scarcity has affected more than 15 lakh people in my Parliamentary Constituency of Ahmednagar. The occurrence of drought coupled with climate change has resulted in adverse impact on farmers who are under severe distress due to crop failure & residents of Ahmednagar are facing severe water crisis. There is an urgent need for the Government to announce a special financial assistance for Ahmednagar to tackle drought & promote water conservation techniques such as rainwater harvesting to replenish the existing groundwater table which has been depleting with the passage of time. I request the government to take measures to solve the issue of drought & water crisis in Ahmednagar.

(ends)

Re: Regarding alleged dereliction of duties by officials of Electricity Department

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने तथा लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग करता हूँ।

(इति)

Re: Need to include Kol caste of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Tribes

श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): सन् 1931 की जनगणना में कोलारिया जाति के साथ अन्य 1 1 जातियों के साथ कोल जाति को भी सम्मिलित किया गया था। संविधान संशोधन 2003 में कोल जाति को छोड़ अन्य सभी शेष जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड, प्रयागराज, मिर्जापुर व सोनभद्र में लाखों कोल दयनीय स्थिति में निवास करते हैं। कई पत्थर के अस्थायी घरों में रहते हैं, कई खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। यह अशिक्षित जाति सिलिका सैण्ड व पत्थर की खदानों में मजदूरी करते हैं। टी.बी. व सिलिकोसिस की जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने सर्वे कर रिपोर्ट दी थी कि सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्तर से कोल अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित करने • योग्य हैं। 2002 से 2013 के बीच 5 बार उक्त प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया परंतु किसी न किसी कारण वह अस्वीकार होता रहा। 2014 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रस्ताव यह कहकर वापस कर दिया कि पहले 4 बार के परीक्षण पश्चात इस विषय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि इस विषय पर पुनः विचार कर अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश की कोल जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किया जाय।

(इति)

Re: Need to promote water-harvesting and solar energy system

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): महोदय, वर्तमान समय में शहरों का विकास और शहरों की समस्यायें दोनों साथ-साथ चलती हैं। मैं, अगर अपने शहर की बात करूं तो विकास के साथ आने वाली समस्यायें एक साथ चलती दिखाई देती हैं। हमारे पास कुदरती रिसोर्सेज पानी, जमीन, जो सालों से है, वही है। भू-जल कम हो रहा है और जमीन के टुकड़े पर निर्भर रहने वालों, बसने वालों का अनुपात बढ़ रहा है। यातायात जनसंख्या के अनुपात में तीव्रगति से बढ़ रहा है। हमारे यहां हर घर में कम से कम दो टू-व्हीलर हैं। शायद हर पांचवे घर में साथ में एक फोर व्हीलर भी होगा। उसी प्रकार रहने की व्यवस्था को देखें तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उनके मुख्यमंत्री काल से हर परिवार को घर का स्वप्न के चलते उनको करीब 15 साल के कार्यकाल में और प्रधानमंत्री पद के पांच साल के कार्यकाल में लोगों का अपने घर का स्वप्न करीब-करीब पूर्णता की ओर बढ़ता दिखाई देता है। स्मार्ट सिटी में सूरत को शामिल करने के बाद विकास की गति तेजी से बढ़ी है। पर मेरी विनती है कि शहरों में हर सरकारी, अर्ध सरकारी इमारत, स्थानिक • संस्थायें, जो संस्थायें सरकारी अनुदान से चलती हैं, स्कूल, कॉलेज, हस्पताल को वॉटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर पॉवर से युक्त होने का अभियान चलाया जाये। हस्पतालों में सोलर पॉवर अपनाने का आग्रह इसलिए भी करना चाहिये जिससे कि उनकी व्यवस्था में व्यवधान न आये और पॉवर जाने की स्थिति में हादसा टाला जा सके। जो यातायात की समस्या है, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का अभियान चलाया जाये। स्कूल-कॉलेजों में कम्युनिटी शिक्षा को नागरिक अधिकार एवं जिम्मेदारी की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये। (इति)

Re: Need to set up a Kendriya Vidyalaya in Kheda Parliamentary Constituency of Gujarat

SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA): I wish to draw you attention towards the fact that there is no Kendriya Vidyalaya in my Parliamentary Constituency i.e. Kheda, Gujarat. I continuously followed it up with the Ministry, but till date no positive action or response has been received. I am facing a lot of problems as I have no option but to recommend admissions in Kendriya Vidyalayas near my constituencies. The needy and genuine people of my Constituency are not getting admissions due to far distance of Kendriya Vidyalayas from their place. If the Ministry is facing any difficulty in Gujarat in getting land or any other issue, then please share the same with me so that I could also request the State Government to provide the same and help accordingly. I am again requesting and urging you to open at least one Kendriya Vidalaya in my Kheda Parliamentary Constituency, Gujarat at the earliest.

(ends)

Re: Need to make Hooghly river pollution-free

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Hooghly river is one of the main tributaries of Ganga in West Bengal that is being polluted day in day out. Ganga gets most polluted in West Bengal. My constituency is named after the Hooghly river and I feel sad as my constituency contributes a lot to this pollution. The main reason for pollution is the dumping of untreated sewage in the river. Around 20 canals dump their waste directly into the river. The holy river turns murky grey when it passes through the Dakshineshwar temple. Chandannaagar, a part of my constituency dumps most of its untreated sewage directly into the river. This is harming the aquatic life and also polluting the environment. The State Government is allowing the closed leather mills of Kanpur to open near the banks of the holy river that is polluting the river further. I would like to urge this house to take proper and prompt corrective measures to ensure that Hooghly becomes pollution free.

(ends)

Re: Need to establish a Railway station in Bhandara, Maharashtra

श्री सुनिल बाबूराव मेंधे (भन्डारा-गोंदिया): मेरे निर्वाचन क्षेत्र भंडारा रेलवे स्टेशन के संबंध में एक विषय है। भंडारा काफी पुराना शहर है लेकिन नज़दीकी रेलवे स्टेशन शहर से 12 किलोमीटर दूर है। भंडारा एक डिस्ट्रिक प्लेस है जहां की आबादी करीब 1 लाख के ऊपर है। यहां बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग के साथ किसान, विद्यार्थी वर्ग रहता है और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भंडारा में ब्रॉड गेज ट्रैक और रेलवे स्टेशन के लिए 30 साल पहले ही लैंड एकवायर्ड करके रखी है मगर इन 30 सालों में अभी तक ना रेलवे स्टेशन बना कोई ट्रेन चलती है। मेराआपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम लोकल ट्रेन वहां से चलाई जाए और वहां एक स्टेशन बनाया जाए जिससे कि भंडारा जैसे डिस्ट्रिक प्लेस को कनेक्टिविटी मिल सके।

(इति)

Re: Need to revise target of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) for Kerala

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Kerala has lost very heavily in its due share under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana I and II. The state was sanctioned only 2624 Km in PMGSY and a meagre 570 Km under PMGSY II. For unknown reasons, this target was set significantly lower than its actual road length which is 52,000 Km calculated in the District Rural Road Plan (DRRP) and revised by the Government of Kerala. Now, in the phase III announced in 2019 Budget, the Centre had earlier informed the target will be conceived based on DRRP set for phase II and not on actual core network. This would only benefit those States which got higher target allocation in PMGSY. Considering the substantial loss in Kerala's share of PMGSY, I request the Hon'ble Minister of Rural Development to reallocate the target for Kerala, considering the wide rural network and less consumption of diesel in the State.

(ends)

Re: Construction of sea wall along the coastline of Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Kerala has very long coastline and thousands of families living along the coast depend on fishing for their livelihood. The life and property of poor fisherfolk are always at risk during the monsoon. Houses are being washed away and people live in deep and constant fear. It is almost impossible to relocate them. There is around 40 kms of coastal area in my constituency and the problem occurs very often in villages like Anchuthengu and Edava. The only solution for sea erosion is construction of sea walls and Pulimuttu. But the coast is very high and the state alone cannot afford it. I request the Government to extend all possible assistance to the state of Kerala for completing the seawall along the entire length of its long coastline. I also request the newly formed Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries to provide financial assistance to fishermen during monsoon season. (ends)

Re : Need to save Cordite Factory Aravankadu in Tamil Nadu by increasing its production target

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): The production target for Cordite Factory Aravankadu (CFA) has been reduced to Rs. 132 crore for this current fiscal year as against the target of Rs. 275 crore for the last fiscal year. Thus Factory is not in a position to use its full production capacity. This has badly affected the normal life of 2000 employees including 362 women employees. This has also resulted in shutting down of many of the chemical plants and machineries. The Cordite Factory Aravankadu is manufacturing Double Base and Triple Base Propellant for the production of Bi-Modular Charge System and other propellants as per the indent received from our Armed Forces through Ordnance Factory Board, Kolkata. Presently, CFA is producing BMCS propellant 500T as against its capacity of 1000T. These propellants are sent to Ordnance Factory Nalanda, Bihar for assembling the modules. Ordnance Factory at Nalanda is having capacity of making 2 lakh modules per year whereas Army requirement is about 7 lakh modules per year. Before the commencement of Nalanda Factory, CFA itself was assembling the modules because CFA has the capacity to meet the target of Army. Moreover, presently Armed Forces are importing BMCS from foreign countries which is increasing import bill for Defence purposes. This goes contrary to 'Make in India' motto. I, therefore, urge upon the Government of India to kindly allow CFA to start the BMCS Module Filling which costs half the price of imported price and also meet the quantity requirement of our armed forces.

(ends)

Re : Upgrading Rajahmundry Airport to International Airport

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): The Rajahmundry airport is a domestic airport located at a distance of 16 km north of Rajahmundry in the Madhurapudi area in Andhra Pradesh. Besides the commercial low cost flights to Hyderabad, the air strip is also extensively used by the helicopters of ONGC and other government agencies for its offshore oil exploration operations.

Sprawling on an area of 366 acres of land, the airport at Rajahmundry has been operational since the British period. It was served by Vayudoot between 1985 and 1994 and by VIF Airways in 1995. The new terminal at the Rajahmundry airport was inaugurated on 16th May, 2012 and AAI plans to extend the existing runway from 1,749 metres to 3,125 metres in order to enable landing of aircraft like Airbus A320. Limited by runway length, presently airlines operate smaller 70 seat ATR turbo-prop aircraft and Bombardier from Rajahmundry. Rajahmundry is a hub to Godavari district which has a population of nearly one crore. Therefore, A.P. State Government proposed International Cricket Stadium in Rajahmundry. The nearest international airport connecting Rajahmundry to the rest of the world is the Vishakhapatnam airport, which is 200 km away. There is one terminal at the Rajahmundry airport which has the capacity of holding 150 passengers during peak hours. There is only one gate at the terminal serving both arriving as well as departing passengers. Proposals for the expansion of this airport are under progress and I understand that the Government has sanctioned about Rs. 80 crore for its expansion.

I request the Government to upgrade it to international airport as lakhs of people from West Godavari and East Godavari are working in the Gulf countries so that they could travel to Rajahmundry directly from the Gulf and other countries too. (ends)

Re : Safety and security of women in Delhi

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): When it comes to women safety, Delhi is the most dangerous city. If the capital of India is not safe even during daytime, then it is unfortunate. Rape cases have become very common in the National Capital. Roads are not safe. I urge the Government to formulate an effective policy for safety and security of women in Delhi.

(ends)

Re: Promoting generic medicines in the country

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): आज भी हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे और मध्यम वर्ग में रहते है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे सब से बड़ी चिंता इलाज मे खर्च होनेवाले पैसे की होती है। इलाज एव दवाईया मे पैसे खर्च होते है। ऐसे में दवाईयाँ भी महंगी होती है। जेनेरिक दवाईया सस्ती होती है, एव ब्रांडेड दवाईयाँ, और जेनेरिक दवाईया इनमे गुण एक जैसे ही होते है FDA की अनुमति भी इसके बिक्री करने पर होने से इन दवाईयों की इन दिनों दुकानो मे बिक्री हो रही है। अत: ज्यादा से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन की दुकाने देश में खोलने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि देश में ज्यादा से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन की दुकाने खोली जाय और डॉक्टर को आदेशित कर जेनेरिक मेडिसिन मरीज के लिए प्रिसक्राईब करने की अनुमति दी जाए, साथ ही डॉक्टर मरीज को जेनेरिक मेडिसिन प्रिसक्राईब कर रहे है अथवा नही इसे सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी बनाई जाए। इससे देश के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले एवं मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा।

(इति)

Re: Need to accord special category status to Bihar

श्री महाबली सिंह (काराकाट): बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफी समय से उठ रही है। हर स्तर पर इस मांग को उठाया गया है। लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है। बिहार में उद्योग धन्धे का घोर अभाव है। रोटी-रोजगार के लिए बिहार की एक बड़ी आबादी हर दिन राज्य से बाहर जाने को विवश है। ऐसे में यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बड़े पैमाने पर उद्योग धन्धे खुलेंगे तथा लोगों के लिए रोजगार के अवसर का सृजन होगा।

यह मुद्दा लोगों के मौलिक जीवन यापन से जुड़ा है। अतः बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

(इति)

Re : Need to amend rules of compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) fund

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Frequent death of elephants due to electrocution (both deliberate and accidental) have been reported in Elephant Movement Areas across the State of Odisha despite the fact that the Energy Department, Government of Odisha has taken various initiatives in three phases from its own budget to prevent such deaths of elephants. Further, the Department of Energy has requested the Department of Forest & Environment, Government of Odisha to fund the Phase- IV of such initiatives to strengthen electrical infrastructure in Elephant Movement Areas across the State. But, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has expressed its inability to fund the said initiatives unless the rules for CAMPA Fund are amended suitably. I, therefore, urge upon the Union Government to amend the rules for CAMPA fund to enable the Department of Forest & Environment, Government of Odisha to fund the Phase-IV initiatives of Department of Energy, Government of Odisha taken to prevent deaths of elephants from electrocution across the State.

(ends)

Re : Adequate compensation to land oustees

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): According to Central Housing Policies, rehabilitation prior to eviction is necessary for land acquisition by the State.

However, in Tanda, Ambedkarnagar, people have been evicted three times without being rehabilitated. The issue is that even if the government is paying them the required compensation, people are unable to acquire land and house because of the meagre compensation of Rs. Nine lakhs paid to them.

In the quest for development, we as a nation, are creating homeless people and despair. This is not just an urgent matter because of the lives and livelihoods of millions across the nation who have fallen victims to the mandatory land acquisition by the State. The matter questions the almost existence of the State. Whom does it serve? To whom does its law apply? Will it ever submit the status quo and serve it people? (ends)

Re : Approval to Industrial Corridors in Telangana

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Industrial growth shapes up the overall economic health of any State which, in turn, helps the State to take up social sector schemes and programmes to ultimately achieve the objective of holistic development of the State. So, dedicated industrial corridors are set up so as to attract and promote industries in a particular area or corridor.

With this objective, Telangana Government proposed to create Hyderabad-Nagpur Industrial Corridor and submitted DPR. Commerce Ministry gave approval for Hyderabad-Nagpur and Hyderabad-Warangal Industrial Corridors in 2016. But, since then, Commerce Ministry has not taken projects forward to get the final approval of the Cabinet. The proposed Corridors will accommodate oil refining, textiles, handlooms, handicrafts, paper units, mining, engineering, livestock, agro-based industries, poultry and other small and medium enterprises. The identified segments have the potential to generate employment opportunities to lakhs of people and also push economic activity in and around the Corridor. The advantage of these Corridors is the presence of several professional colleges and other educational institutions which help to churn out manpower. Secondly, the Corridors are all the more important because they boost the economic activity in Ranga Reddy, Nizamabad, Nalgonda, Warangal, Medak and Adilabad districts.

Hence, I request Minister of Commerce and Industry to immediately prepare a Cabinet Note on this, get the approval of the Union Cabinet and complete it in a fixed time-frame.

(ends)

Re: Need to set up an Airport in Vaishali, Bihar

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): प्रजातंत्र की जननी महावीर की जन्मभूमि एवं महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि वैशाली एक गौरवशाली स्थान है जहां आये दिन दुनियाभर के बौद्ध धर्मावलम्बी आते रहते हैं लेकिन इन्हें वैशाली तक आने के लिए हवाई मार्ग से कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। बगल के मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में भी कोई हवाई अड्डा नहीं है। ऐसी स्थिति में इन्हें पटना से सड़क मार्ग से ही लम्बी एवं थकाऊ यात्रा करनी पड़ती है। वैशाली पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है, जहां दुनिया भर के पर्यटक साल भर आते रहते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि वैशाली में एक हवाई अड्डा का निर्माण कराया जाए।

(इति)

Re : Night landing facilities at Lashadweep airport

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Lakshadweep is a major international tourist destination but still doctors refuse to serve in the union territory's health sector. And due to this so many patients during their critical stages are shifted from Lakshadweep to other hospitals in the country. Presently there are no night landing facilities available for helicopters or planes in Lakshadweep. Due to this there is always delay for timely evacuation of patients.

No aircraft is permitted to land at night at an airport which does not have night landing facility and the flight operations.

(ends)

विशेष उल्लेख

1224 बजे

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : स्पीकर सर, बात यह है कि इसी सदन में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कुछ दिन पहले मेरे एक सवाल पर - जो इश्यू मैंने रेज़ किया था - सदन को आश्वस्त किया था कि हमारे हिन्दुस्तान की जो निशक्त फौजे हैं, उनकी पेंशन पर टैक्स लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इस विषय को ध्यान में रखते हुए अगले दिन वे सही कदम उठाएंगे, लेकिन आज भी इस बारे में इस सदन में आकर हमारे रक्षा मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।

सर, हमारी फौज जोखिम उठाते हुए हिन्दुस्तान की रक्षा करती हैं, हम सबकी रक्षा करती है। ये फौजें निशक्त हो जाती हैं, आसक्त हो जाती हैं, उनको सुविधा मुहैया कराना ज़रूरी है। …(व्यवधान) यह हमारा कर्तव्य है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय रक्षा मंत्री जी का राज्य सभा में प्रश्नकाल में हैं।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : स्पीकर सर, हमारी फौजों के निशक्त जवानों को पेंशन में जो छूट दी जाती थी, उस छूट को बरकरार रखना चाहिए। इस विषय पर हमारे रक्षा मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था, फिर भी आज तक कोई हल नहीं निकला।

(1225/SNT/SPS)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, in the Parliament, some questions are normally allowed to be raised on the floor of the House with mild variations again and again. But ten advisories have been sent to the Government of West Bengal by the Government of India in ten days. This is hurting the parliamentary democratic system. Sir, why is the Government of West Bengal being targeted? That is our question. If any Member asks any question, that is sent to the State Government. In the last ten days, ten advisories have been sent by the Government of India to the Government of West Bengal. It is butchering the parliamentary democratic process. Why is the Government of West Bengal being targeted in such a manner? …(*Interruptions*) Sir, we will not allow it. We strongly protest against it.

Sir, I would draw your attention that you must take care of it and the questions should not be allowed to be repeated again and again in this manner. …(*Interruptions*) The Government should be careful about sending advisories to the State Government. The Government should restrain itself. …(*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, even to conduct the all-India examinations like IAS, IFS, the Government of India had released a notification on 5th March, 2013, during the Government of Dr. Manmohan Singh that the candidates can write all-India examinations in Hindi, in English or in any of the 22 languages as established in the Eighth Schedule of the Constitution. …(*Interruptions*) Sir, I have to plead my case. But to my surprise and shock, the day before yesterday, the Postal Department has conducted the examination for C & D employees at Chennai, Madurai, Coimbatore and Trichy to select 986 candidates, only in English and Hindi, but not in any regional language. The regional aspirations have not been taken into account by this Government. How can it be so?

Sir, the Government's notification is there. In spite of it, this Government has ignored the aspirations of the people of Tamil Nadu. …(*Interruptions*)

1228 hours

RE: BUSINESS OF THE HOUSE

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 17, हम अभी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 को लेते हैं।

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Speaker Sir. On Friday, hon. Speaker was not in the Chair. I had raised a very serious matter regarding procedure, that is, Rule 220 and Rule 221 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. When a financial business is being listed in the List of Business, it is the bounden duty of the House to transact the financial business first. Then only, the legislative business shall be taken up. Rule 220 is very specific about the introduction of the Bill. That is why these two Bills, namely, Surrogacy (Regulation) Bill and Motor Vehicles (Amendment) Bill have been introduced. Introduction of the Bill is permitted as per Rule 220 of the Rules of Procedure.

As per Rule 221 of the Rules of Procedure, it is very clear that it is the bounden duty of the House to first transact and complete the financial business, and then only, the Bill can be taken up. So, I am seeking a direction from the hon. Speaker. Let the convention of the House, let the procedure of the House, let the rules of the House be complied with. I am seeking a ruling or a direction from the hon. Chair. With these words, I conclude.

Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष: अब आपको सभी प्रोफेसर के रूप में जानने लगे हैं।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am doing a professorial job now. I am teaching parliamentary procedure to the Members of the ruling party. Sir, Rule 220 states that:

> "Notwithstanding that a day has been allotted for financial business under rules 207, 208, 218 or 219, a motion or motions for leave to introduce a Bill or Bills may be made and a Bill or Bills may be introduced on such day before the House enters on the business for which the day has been allotted".

(1230/GM/SPS)

Secondly, Rule 221 states:

> "In addition to the powers exercisable under these rules, the Speaker may exercise all such powers as are necessary for the purpose of…."

माननीय अध्यक्ष: यह एक सिमिलर सब्जेक्ट है।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Don't be cruel, Sir. Let me complete,

> "The speaker may exercise such powers as are necessary for the purpose of the timely completion of all financial business..."

In the history of Parliament, not once during the discussion on financial business, a Bill has been allowed to be discussed. Only once, a debate under Rule 193 was allowed while financial business was going on. So, the Government is surreptitiously bringing in a Bill in the midst of financial business. Today, the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Road Transport and Highways for 2019-20 was included in the List of Business. The hon. Minister has to state why suddenly the National Investigation Agency (Amendment) Bill is being brought. This is totally irregular, illegal and violative of Parliamentary procedures and rules. Please don't allow the discussion on this Bill even if the Home Minister is present.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रेमचन्द्रन जी और प्रोफेसर सौगत राय जी को सुना। ये रूल 220 और 221 का हवाला का दे रहे हैं। हमें आर्टिकल 118 कॉन्स्टीट्यूशन को भी देखना पड़ेगा। हाउस इस मामले में सुप्रीम है और आपकी चेयर की अध्यक्षता में बी.ए.सी की बैठक में भी इन चीजों पर चर्चा हुई। मेरा यह कहना है कि रूल्स हैं, लेकिन रूल 221 में लिखा हुआ है
- timely completion of financial business. टाइमली कम्पलीशन का मतलब हुआ कि हम 17 तारीख को बुलेटिन कर देंगे। जब बिज़नेस टाइमली कम्पलीट हो जाएगा और बीच में कोई इम्पोर्टेंट बिल आता है तो हम उसे आपकी अनुमति से ले रहे हैं। सरकार का आपसे अनुरोध है कि आप इसे अलाऊ करें।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, कॉन्स्टीट्यूशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। रूल 389 साफ कहता है कि,

"All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct."

यदि यह स्पीकर का डायरेक्शन है तो इसके बाद चर्चा का कोई सवाल ही नहीं है। स्पीकर ने यह डायरेक्शन दी है। अभी हमारे मेघवाल साहब ने कहा है कि वह 17 तारीख को पूरा कर देंगे, बात खत्म हुई। इसमें चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: प्लीज माननीय सदस्य बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Shri Nishikant Dubey has rightly suggested that it is the discretion of the Speaker and the Rule 389 can be taken into account and can be used. But the problem is that it is the convention of the House that the legislative business will have importance only after the financial business has been transacted. Hon. Speaker, Sir, it is up to you to decide whether the financial business or legislative business is more important as far as this Government is concerned.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने आपके सभी पक्ष सुने। मेरी कोशिश रही है कि वित्त विधेयक हो या डिमाण्ड हो, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय दिया है। जब रेलवे की डिमाण्ड्स थीं तब भी मैंने आपको पर्याप्त समय दिया और उस दिन हाउस रात के 12 बजे तक चला था। आज भी रोड ट्रांसपोर्ट पर चर्चा है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। आपके समय की कोई कटौती नहीं होगी। सदन जितनी देर बैठना चाहेगा, उतनी देर इस सदन में चर्चा होगी।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, सवाल व्यवस्था का है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जितना फाइनेंस बिल जरूरी है, उतने ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं। इसलिए नियम 220 में यह स्पष्ट है कि कभी भी किसी वस्तु पर स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है कि आप फाइनेंस बिल के बीच में कोई बिल नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं आज व्यवस्था दे रहा हूं कि इसको कार्य सूची में शामिल कर लिया गया है, इसलिए इस बिल पर चर्चा के लिए मैं माननीय मंत्री जी को आग्रह करता हूं।

(1235/KDS/RK)

NATIONAL INVESTIGATION AGENCY (AMENDMENT) BILL

1235 बजे

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, on behalf of Shri Amit Shah, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the National Investigation Agency Act, 2008, be taken into consideration."

अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद एक गंभीर चिंता का विषय है। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए एक खतरनाक समस्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे प्रमुख लोग भी आतंकवाद के शिकार बने हैं। इसलिए आतंकवाद के विषय पर जो इन्वेस्टिगेशन देश में होनी है, प्रॉसीक्यूशन होनी है, उसको ठीक करने के लिए वर्ष 2008 में एक बिल लाया गया था, which meant for reinforcing intelligence set up, checking the infiltration, capacity building of special police forces in the States, constitution of National Security Guard hubs, establishment of NIA for investigation of terrorism related issues.

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2008 में इसी संसद में एनआईए का बिल लाया गया। वर्ष 2009 में एनआईए का काम भी शुरू हो गया। आज अलग-अलग तरीकों से आतंकवादी हमारे देश पर हमला करना चाहते हैं, सारी दुनिया में हमला करना चाहते हैं। इसीलिए हम एनआईए को मजबूत करना चाहते हैं। अलग-अलग देशों में अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं। पहले आतंकवाद से संबंधित इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉसीक्यूशन विषय स्टेट गवर्नमेंट के पास रहते थे। चूंकि आतंकवाद एक स्टेट, एक जिले, एक स्थान तक सीमित नहीं है, आतंकवाद इंटर स्टेट का इशू हो गया है, इंटरनेशनल इशू हो गया है। अलग-अलग देशों से लोग आकर भारत में और पूरी दुनिया में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम इस एनआईए बिल को और शक्तिशाली और मजबूत बनाना चाहते हैं। इसमें कुछ सैक्शन्स में अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं। We want to empower NIA with extra territorial jurisdiction for investigation of terrorist offences taking place outside India.

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी एम्बेसीज़ हर देश में हैं, हर देश में लाखों की संख्या में एनआरआईज़ हैं। हमारे एनआरआईज़, हमारी एंबेसीज़, हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारी फ्लाइट्स पर कभी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दुनिया के किसी भी देश में जाकर के इन्वेस्टीगेट नहीं कर सकती हैं। इसीलिए हम एनआईए के लिए यह अधिकार चाहते हैं कि यदि कहीं भी भारत की संपत्ति पर, भारत के नागरिकों पर आतंकी गतिविधियां हों, तो एनआईए उन देशों

में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। अत: मैं आपके माध्यम से यह अमेंडमेंट बिल संसद के सामने रख रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा यह कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारा एनआईए कॉन्स्टीट्यूट होने के बाद देश को अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। एनआईए अच्छे काम भी कर रही है। One of the best organizations होने के नाते सारी दुनिया में भी एनआईए का नाम हो गया है। हमारे देश में एनआईए की स्थापना होने के बाद इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी आठ ब्रांचेज़ देश भर में भी हैं, जिसमें जम्मू, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, रायपुर, मुंबई व कोच्चि हैं। एनआईए में लगभग 272 केसेस रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं, जिसमें आज तक 52 केसेस का जजमेंट हो गया। उसमें 46 केसेज़ में कन्विक्शन्स भी हो गए हैं। हमारे एनआईए में जितने भी केसेज़ हुए हैं, उसमें ऑलमोस्ट 90% टेररिस्टों को कन्वक्शिन हो गया है। आप सभी को मालूम है कि एनआईए के पास एक बहुत बड़ा केस है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का सीनियर ऑपरेटर यासीन भटकल था, उसे कैपिटल पनिश्मेंट मिली है।

(1240/SJN/PS)

हैदराबाद में जो बम ब्लास्ट के केस दिलसुखनगर में सचिवालय के सामने और बोधगया में हुए थे, ऐसे केसों में भी सजा दी गई है। इसीलिए, हम उसको और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। इसमें जो जजों की नियुक्ति है, वह स्पेशल कोर्ट के द्वारा हो। यह क्यों हुआ है? अगर रूटीन कोर्ट में जाएंगे, तो सालों तक इन केसों का निपटान नहीं होता है। इसीलिए, एसआईए में स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है। कभी किसी जज का प्रमोशन हो जाता है, कभी किसी जज का रिटायरमेंट हो जाता है, कभी किसी जज का ट्रांसफर हो जाता है। नए जज की नियुक्ति के लिए हमें हाई कोर्ट के जीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखनी पड़ती है। उनके सुझाव आने के बाद हमें नोटिफिकेशन देना पड़ता है। उस नोटिफिकेशन को देने के बाद जज की नियुक्त होती है। इसमें लगभग दो-तीन महीने लग जाते हैं। एक स्पेशल कोर्ट के जज का ट्रांसफर और प्रमोशन हो जाता है, फिर उसमें तीन-चार महीने लग जाते हैं। We would like to clarify that special judges of the NIA court will continue to be appointed by the Chief Justice of the High Court concerned. Only the process is being simplified to avoid delay as our Government wants to ensure that terrorists get punished quickly as per law. हम उनको कोर्ट के द्वारा जल्दी सजा देना चाहते हैं। इसीलिए, स्पेशल कोर्ट का जज चीफ जस्टिस के द्वारा नियुक्त हो। यह कन्टिन्यूअस प्रोसेस है। A court is a continuing process. इसीलिए, जो डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट हैं, हम उसको प्रपोज कर रहे हैं। स्पेशल जजों का अपाइंटमेंट चीफ जस्टिस के द्वारा हो, इसलिए मैं आपके और संसद के सामने यह रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी आतंकवाद के विषय पर स्पेशल कोर्ट का गठन करें। यह सुविधा हम राज्य सरकारों को भी देना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें हम एक्स्प्लोज़िव को भी लाना चाहते हैं। The Explosive Substances Act, 1908, इसमें एनआईए जो इन्वेस्टीगेशन

करती है, उसमें हमने जिन केसों को डेजिग्नेट किया है, हम उन केसों को उसके अंदर ही कर सकते हैं। आज देश में अलग-अलग जगहों पर एक्स्प्लोज़िव संगठन हैं। उसकी जानकारी भी एनआईए को होनी चाहिए। कौन लोग हैं, जो इल्लीगल तरीके के एक्स्प्लोज़िव और एक्स्प्लोज़िव मैटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हैं। यह सब कुछ एनआईए को मालूम होना चाहिए। इसी दृष्टि से हम एक्स्प्लोज़िव एक्ट पर एनआईए को पूरा अधिकार देना चाहते हैं। देश में जहां कहीं भी एक्स्प्लोज़िव संगठन हैं, जिनके मैटेरियल को पकड़ा जाता है, उसे मालूम करने के लिए हम एनआईए को यह अधिकार दे रहे हैं।

अध्यक्ष जी, आज जो यूनाइटेड नेशन्स ने बोला है, उसने तीन विषय के बारे में बताया है, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, और ह्यूमेन ट्रैफिकिंग। आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बहुत बड़ी समस्या दुनिया में भी है और भारत में भी है। इसीलिए, ह्यूमेन ट्रैफिकिंग सिर्फ एक स्टेट से संबंधित नहीं है। इसमें बांग्लादेश से संबंधित लोग हैं, नेपाल से संबंधित लोग हैं। देश के अंदर अलग-अलग राज्यों में हैं। आज देश के सामने ह्यूमेन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें भी ठीक तरीके से सजा नहीं मिल पा रही है। इसीलिए, एक सेन्ट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम जिम्मेदारी देना चाहते हैं और वह जिम्मेदारी एनआईए को देना चाहते हैं। हम ह्यूमेन ट्रैफिकिंग के विषय पर एनआईए को जिम्मेदारी दे रहे हैं। मैं संसद के सामने आपके माध्यम से यह अमेंडमेंट रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, जो आर्म्स एक्ट है, उसमें जो प्रॉहिबिटेड आर्म्स हैं, वे देश के अलग-अलग जगहों में दिख रहे हैं। उसमें भी एक एक्ट के माध्यम से हम एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार देना चाहते हैं। जो प्रॉहिबिटेड आर्म्स हैं, वे आर्म्स जिनके पास भी हों, हम एनआईए को उन पर इन्वेस्टीगेशन करने का अधिकार देना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, आज साइबर टेरेरिज्म एक चैलेंज है। आज साइबर टेरेरिज्म की समस्या देश के ही सामने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भी है। साइबर टेरिरिज्म उत्तर प्रदेश और केरल में देखने को मिला है। इस विषय की ओर सरकार का ध्यान गया है। साइबर टेरिरिज्म के अंतर्गत एक ही घर में बैठकर विदेशों से बातचीत कर सकते हैं।

(1245/RC/GG)

इसीलिए हम एनआईए को साइबर टैररिज्म के बारे में भी एक अधिकार देना चाहते हैं। इसीलिए यह विषय भी हम आपके द्वारा संसद के सामने रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, आतंकवाद के विषय पर हमारी सरकार का, पहले ही हमारे गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधान मंत्री जी बता चुके हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ आतंकवाद के विषय पर लड़ना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपके द्वारा सभी संसद सदस्यों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बिल का अनुमोदन कीजिए। देश के हित के लिए, देश की रक्षा के लिए यह एनआईए का बिल हम ला रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल को पास करें।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए "

1246 hours

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Speaker, Sir, with your kind permission, I rise to speak on the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019.

Whenever such a legislation is brought before the House, it gives us an opportunity to re-visit the fundamental principles of jurisprudence and governance. I would like to broaden the ambit of this discussion slightly and most respectfully point out that if we were to take into consideration, how eight billion people on planet earth are governed, it can primarily be divided into five categories. One is democracy, second is dictatorship, third is monarchy, fourth is military rule, and fifth is tribalism or tribal customs and conventions.

When you talk of a democracy, what lies at the heart of a democracy? At the heart of democracy lies an inherent tension between civil liberties and the security of the State. Based upon our colonial experience, when our founding fathers sat out to draft the Constitution of India, they inserted into the Constitution, three articles which are called the holy trinity of fundamental rights. They are article 14, article 19 and article 21. These three articles which are justiciable through the process of writ jurisdiction provide the guarantee to a citizen that in case the State commits an excess or the State transgresses beyond law, they can access the judicial system through the process of writ jurisdiction which is provided.

The founders of the Indian Constitution gave primacy to civil liberties and the reason why they gave primacy to civil liberties is not because they were negligent or non-cognizant of the challenges which were there to the security of the State, but given the fact that we had emerged from colonial rule, there was a whole architecture and entire panoply of laws which had been put in place by an exploitative colonial State in order to keep the people of India and the citizens of India suppressed.

The reason why I am pointing out some of these fundamental facets is primarily because the founding fathers also emphasized that a democracy must be run by the rule of law. In terms of criminal jurisprudence what does rule of law translate into? The rule of law translates into three things.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य – तिवारी जी, मैं एक मिनट के लिए आपको रोकता हूँ।

माननीय सदस्य, आप बात-चीत न करें। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूँ कि हम सबको इस सदन की गरिमा बनानी है तो कम से कम जिसको बात करनी है, वह बाहर गैलरी में जा कर बात करें। इस सदन के अंदर कोई बातचीत नहीं करेगा।

(1250/SNB/KN)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Speaker, Sir, I was submitting that the founding fathers of our Constitution emphasised on the primacy of Rule of Law in terms of running a democracy. What does Rule of Law translates into when you talk about criminal jurisprudence? It translates into three things. First of all, every person, not only a citizen, every person should have the right to be able to freely access the criminal justice system. Secondly, that the investigation that is carried out is free, fair and impartial and thirdly, the judicial adjudication which takes place is objective, is unbiased, is transparent and delivers justice. These are the three facets of what constitutes Rule of Law. Over and above that there is an over-arching maxim which goes across the entire structure of criminal jurisprudence that you are innocent; you are innocent until proven guilty -- कि आप बेगुनाह है, जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता। यह भारत के संविधान का और भारत के फौजदारी के कानून का मूलभूत उसूल है।

Now, herein lies the problem. When there is a perception that investigative agencies are being misused and abused for the purposes of political vendetta, then there is consternation; there is alarm and there is anxiety. When any Bill, maybe, for legitimate purposes, is brought before this House in order to give additional powers to any investigative agency, therein lies the fundamental problem with any such Bill which seeks to empower any such investigative agency further.

Mr. Speaker, Sir, I would like to point out that despite the Vineet Narain judgement which came in 1997, it has been 22 years since then, the separation between investigation and prosecution has not taken place. Therefore, investigation becomes a handmaiden of the Government in power, prosecution becomes a command driven performance and therefore the justice which should be meted out to a citizen gets denied. Here I am not trying to talk about one Government or the other. I am making a responsible generic comment on the state of our criminal justice system. Therefore, it is very important that when the Government brings such amendment Bills, it must provide that there has to be

a separation between investigation and prosecution and prosecutors should have the authority and the autonomy to independently come to a conclusion whether an offence is prosecutable in court and whether that investigation will stand up in court.

Mr. Speaker, Sir, I was about to say Your Lordship, …(*Interruptions*) the third problem is media leaks. The investigation process because of inspired media leaks which emanate out of investigative agencies have stood the entire system on its head. Today, unfortunately the maxim has been turned around – you are guilty until you prove yourself innocent and that in my respectful submission is something which is extremely dangerous for our democracy.

Now, let me come to the provisions of the National Investigative Agency Bill after having made some of these generic fundamental points. The NIA Bill in 2008 came under very specific circumstances. The country had faced an unprecedented challenge of terrorism and therefore it was felt that there should be a National Investigative Agency which should be tasked with the responsibility of investigating certain specific and limited crimes so that speedy investigation and prosecution can take place. When the NIA Bill was enacted, it drew legislative competence or legislative powers from Entry 8, List 1 of the Seventh Schedule of article 246 of the Constitution of India.

(1255/RU/CS)

But there is an inherent contradiction because Entry 8 of List I of the Seventh Schedule is in conflict with Entry 1 and 2 of the State List which gives the powers of public order and police to the State Government.

Here, I would like to draw the attention of the Treasury Benches and specifically the hon. Home Minister to what I am going to say. The constitutional validity of the National Investigative Agency Act is not a settled question so far. It was challenged in 2013 by Sadhvi Pragya Thakur who is an hon. Member of this House now. A Division Bench of the Mumbai High Court upheld the constitutional validity of the NIA Act. For some reason, they did not pursue that challenge in the Supreme Court but, as we currently speak, the Jammu and Kashmir High Court is seized of the constitutional validity of the National Investigative Agency Act and it is not limited whether the NIA can function in Jammu and Kashmir. The *vires* and the constitutionality of the entire Act is under

challenge. The reason why I say that the question of the constitutional validity of the NIA Act has not been settled is because, in November, 2013, a Division Bench of the Guwahati High Court held that the Central Bureau of Investigation is an unlawful organisation and it is an illegal organisation. I remember that, when I was a Member of this House in 2009, I had raised the question of illegality and validity of the Central Bureau of Investigation. I had moved a Private Member's Bill in 2010 to give a proper legal architecture to the Central Bureau of Investigation and in 2013, my apprehensions came true when the CBI was held by a Division Bench of the Guwahati High Court to be an illegal organisation.

Now the Government will argue that that judgement has been stayed by the Supreme Court. Yes, I also know that it has been stayed by the Supreme Court but, a stay only stops the operation of the judgement. It does not take away the foundation of the judgement.

Here, I would like to pose a very fundamental question. Tomorrow, if the Supreme Court of India upholds the judgement of the Guwahati High Court, then every prosecution which has taken place since 1963 by the CBI will be thrown out of the window and the Government of India will open itself up to claims of thousands of billions of dollars. The law of torts in India is not so developed. Otherwise, the Government will have to face claims of hundreds of millions of dollars. I am surprised that for six years, the NDA Government has chosen not to pursue it with the Supreme Court that the constitutional validity of the Central Bureau of Investigation should be settled and adjudicated, whether it is an unlawful organisation, whether it was lawfully constituted and what is the status of the Central Bureau of Investigation. That is why I am saying that if the validity of an organisation which was founded on 1st April, 1963 could be quashed in the November, 2013, the constitutional challenge to the validity of the National Investigative Act still continues to be an open question.

Mr. Speaker Sir, with your permission, I will take five more minutes as this is an important discussion. I will come to the Amendment Bill which the Government has brought forward.

Basically, the Amendment Bill sets out to do three things. Firstly, it sets out to give extra territorial jurisdiction to the NIA. I do not think anybody should have a problem with that because that is *pari passu* with Section 3 of the Indian

Penal Code whereby police forces have extra territorial jurisdiction and the Indian Penal Code goes back to the 19th century. So, I do not think that anybody should have a difficulty with the extra territorial jurisdiction which has been given to it. …(*Interruptions*) My colleague will make her own points.

The real problem is with designating Sessions Courts as Special Courts. Sir, when the NIA Act was brought, as I pointed out earlier, it was brought for a very specific purpose.

Sir, I will just take five more minutes. This is an important fundamental discussion which goes into the genesis of criminal jurisprudence. Please bear with me because if some parts of what I am saying or attempting to say gets registered with the Government, I think, we will be a better democracy.

(1300/NKL/RV)

That is why, I am submitting to you to please give me some time.

Therefore, Mr. Speaker Sir, when it comes to Special Courts, as I was saying the NIA was constituted with a specific remit, a very limited, focussed and narrow remit. There was a provision that Special Courts would be constituted, and there were safeguards which were built into that particular sub-section, like sub-section 3, 4, 5, 6 and 7, of that relevant provision which deals with Special Courts so that the offences, which are of a very grave and heinous nature, are tried by Special Courts constituted for that purpose. When you start designating Sessions Courts as special courts, in fact, what you are doing is that you are not strengthening this Act; you are diluting this Act because you are turning this special Act into any other kind of an Act or turning the investigating agency into any other kind of a police force. Sir, it is my last point. I think, that provision of Special Courts was very carefully considered, and that is why, it was engrafted into the Act for special purposes. So, I would urge the hon. Home Minister not to dilute that provision.

My final point is this. Now, the Amendment Bill puts Section 66F of the Information Technology Act into the Schedule listing offences. Section 66F deals with cyber terrorism. My submission is that we do not have a Data Protection Act or the definition of terrorism. Even in the UAPA, Section 15 defines the ‘terrorist act’ only and it does not define ‘terrorism’. Even till today, there is no laid procedure that at what point of time does an act of violence actually become a terrorist act. How do you designate an act of violence as a terrorist act? These are very fundamental legal questions which need to be gone into. Therefore, in conclusion, I would say, if you read the NIA (Amendment) Bill in conjunction with the UAPA Amendment Bill, in conjunction with the Biotechnology Bill, in conjunction with the Aadhaar Amendment Bill, you are seeking to turn this country into a Police State. The repercussions of that are going to last far beyond your tenure. This is what I want to tell the Treasury Benches. Thank you very much for bearing with me and giving me time.

(ends)

1303 hours

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to comment upon the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019. I will not take much of your time.

Sir, the amendment proposed by the Government in the National Investigation Agency Act is to enlarge the ambit and scope further on the grounds that the applicability of the law is beyond the Indian territory. This is number one. The second one is regarding the power of the Investigating Officer, which can be exercised beyond India. The third one is regarding the power to register the case here. If at all the offence is committed in the foreign country, the case can be registered here, apart from the constitution of the designated courts.

Sir, much has been spoken by my learned brother about the constitutional validity and the legal apprehensions enunciated under this Bill. I must be very specific, confined to the points. I was the Minister and the Member of Parliament when the original legislation came into existence, where the then hon. Home Minister, Mr. P. Chidambaram spoke and gave all answers to the apprehensions expressed by the hon. Members in this House and also the other House. If my memory is correct, he was very categorical. He prayed in this House to pass these legislations to give a sense of confidence to the people that the criminals would be punished. This is number one; Number two, to give a sense of confidence to the police force that they would be armed with legal powers to deal with offenders; Number three, to give the confidence to the prosecutors so that they would be able to prove the offence within a stipulated time. So, in order to give these three confidences, in spite of the apprehensions expressed in both the Houses by the Left Parties, the then hon. Home Minister requested them to sail with him and enact the Act. These confidences must be ensured.

(1305/SRG/MY)

After 10 years of experience, I want to know from the hon. Minister whether such a confidence has been created in the people, in the police force and in the prosecution. I sincerely and positively believe that the exercise that has been done by the Government was to expand the ambit and scope of the Act.

When the original Bill was passed in the other House and in this House, apprehensions were expressed that a proper study was not conducted; there was no comprehensive analysis of the issues; and no review of existing legislations and capabilities was taken into consideration while passing the original Bill. I want to know whether such an exercise has been done in the past 10 years to say that the amendments are essentially needed to fulfil the aspirations of the Government.

Sir, when the original Bill was taken up for discussion, there was a hue and cry that the Bill should not be looked through the communal prism. This country is a secular country. The opening sentences of the Preamble say:

> WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC"

All criminal laws must be secular, except the civil law and the personal law with regard to marriage, adoption etc. So, the apprehension which was expressed at the time of enactment of the Bill was that this Bill should not be looked through the communal prism. I want to know from the hon. Minister, how many cases were filed; how many persons were convicted; and how many people were of a particular community or particular religion in order to avoid the clouds, since there is an apprehension because of the change in political entity in this House. The Act was enacted during the period of UPA. The Minister gave categorical assurances that it will not be used against Muslims or any minorities or any religion. Now, the political entity has changed. I am not accusing you. But it is the duty of the Government to remove such a cloud that they will not look at it through the communal prism.

I want to raise one more point and it is very important. Our Constitution says India i.e. Bharat; it is not India that is Hindustan. If it is Hindustan, if you want to call it Bharat i.e. Hindustan, then the entire country will be distracted, the federalism structure will go away and the peace and harmony will not be there. I want to be specific with the Government. By amending this law, more and more powers will be with the police, more and more powers will be with investigating agencies and more and more powers will be with the prosecution. If these types of widening of powers is enacted in a good sense, we will be

supporting you. On the other hand, if the powers which have been enhanced, its ambit and scope is enlarged, to punish a particular community or a particular religion, if such an apprehension is prevailing in the country, if it is prevailing in the House, that should be removed by the Government.

It was well said by Manish that the fundamental principle of criminal law is that each and everybody is innocent before the court of law or before the investigating agencies until and unless the guilt is proved. I have had the bad experience in the 2G case. I was prosecuted and I waited for seven years. I personally deposed evidences. CBI used to cross-examine me for 15 days. Thereafter, they said that Raja was not only innocent, but also what was done by Raja was correct under the law. Out of my own experience, I am telling you that law should not be misused. We repealed POTA. We repealed TADA. Why? We admitted in the House that these two laws were misused. After getting the rich experience, we made an open and deliberate admission before the House that the POTA and TADA were misused. But what about those persons who were punished under these Acts? How are we going to compensate them? Even I have asked for personal liberty for 15 months. Having served as Cabinet Minister, having served as 5th term MP, I lost my 15 months liberty which is ensured by the Constitution.

(1310/KKD/CP)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): So, Sir, I have an apprehension …(*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): You are correct, Mr. Owaisi. It was done under the UPA …(*Interruptions*)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Whoever it may be; law is law.

My next point is also very important. After the destruction of twin-towers in USA on 9/11, the United States enacted a series of laws. The entire world including India applauded it. We appreciated it. The laws were amended in the USA Parliament. But one important and basic difference is there. Those Acts, which were legislated in the USA were against aliens and not the citizens of their own country, but we are enacting a law for our own domestic people, those who are Muslims or Christians or Minorities.

Sir, the Government must keep this in mind while the prosecuting agency is exercising the power.

I am on my last point, now. There was a hue and cry in the other House when the Bill was being passed. The Bill itself says that in order to address the Left-Wing Extremism, this Act came into existence. Then, a question was legitimately asked in that House: “What about the Right-Wing Terrorism?” The same question is still pending. What about writers like Kalburgi? Kalburgi was killed. Gauri Lankesh was killed. Dabholkar was killed. These were all cases of Right-Wing Terrorism. So, in order to address the Right-Wing Terrorism also, the Government must bring a law, or this law has to be further amended to curb the Right-Wing Terrorism.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

(ends)

1311 hours

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Hon. Speaker, Sir, I must thank you for giving this opportunity to speak on this very important Bill. I am also thankful to my party for giving me this time.

At the outset, I would like to say that in my earlier career, I was a police officer.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): You were a Police Commissioner and not a police officer.

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): I was a Police Commissioner also, Sir.

I would like to say that unfortunately on many occasions, fighting terrorists and countering terrorism in this country was made political. We enacted the law many a time. First it was TADA. Then, TADA was repealed and POTA came in. Then, POTA was also repeated and UAPA came in. Unfortunately, this was the main reason why terrorism flourished in India. I say, it flourished.

Shri Arvind Sawant comes from Mumbai. I was also in Mumbai for a long time. We have seen how Mumbai had faced the acts of terrorism years after years and every year. It is because we have politicised terrorism. We never allowed terrorism to be tackled as a very serious crime against humanity.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): You must also talk about Malegaon blasts …(*Interruptions)*

1313 hours (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Sir, when they are talking about some specific cases like Malegaon blasts, I know there have been some cases. I would also like to quote some of the cases; and when we talk about Malegaon, we should also talk about Hyderabad. About Hyderabad, I know specific cases. Not one, I can quote many cases here when it was made political just because it did not suit the political interests of a political party. There were many cases like this.

In Hyderabad, I remember a very specific case. When a Police Commissioner started investing Mecca Masjid blasts and arrested some of the suspects from a minority community, the Chief Minister himself called the Police Commissioner and said: 'Please do not do this. Otherwise, you will lose your job.' …(*Interruptions*) When this Police Commissioner did not listen …(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, how can you allow it?

HON. CHAIRPERSON: He is not yielding. Please be seated.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Satya Pal Singh, you may continue.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: One second, Dr. Singh.

Yes, Mr. Owaisi, what is your point?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I am requesting you that what the hon. Member is saying, let him corroborate, take an oath and table it here.

HON. CHAIRPERSON: No, no. This cannot be done.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Singh, you please continue.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, wrong information should not be given to the House. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Singh, you may continue.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): He must authenticate it.

(1315/NK/RP)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Hon. Member, please continue.

… (*Interruptions*)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, जब ए. राजा साहब बोल रहे थे, तब आप क्यों नहीं खड़े हुए, उन्होंने काफी सारी बातें की हैं जो रूल्स के हिसाब से नहीं है, हम आराम से सुनते रहें। ओवैसी साहब, सुनने की भी आदत डालिए, इस तरह से नहीं चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा।

1316 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): मैं डरने वाला नहीं, इस तरह से *… (Not recorded)* मत दिखाइए।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात नहीं की, इतना ही कहा है कि जब दोनों ओर के सदस्य बोल रहे हैं, जब आप एक मुद्दे को सिद्धांत के तहत उठाते हैं तो दोनों ओर के सदस्य जब बोलें तब उठाना चाहिए। ए. राजा साहब के लिए एक डायमेन्शन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरा है। मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है, अगर डर ज़ेहन में पड़ा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य डिसटरबेंस नहीं करेंगे।

डॉ. सत्यपाल सिंह

मैं सभी मानननीय सदस्यों को मौका देता हूं। जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो डिस्टरबेंस न करें। अगर आपको बोलना है तो मुझे पर्ची दीजिए। डिस्टरबेंस न करें।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, you should give a ruling. Can this House refer to a private conversation? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्यगण।

DR. SATYAPAL SINGH (BAGHPAT): Speaker, Sir, whatever I am stating here is with full conviction. I am not speaking here because of some hearsay; it is because of my personal experience. I happened to be the Police Commissioner. I was, once upon a time, appointed as a SIT Chairman, which was investigating the Ishrat Jahan terrorist case in Gujarat. The kind of politics which was being done at that time or the way the Central Government was dealing with this case, was not good. I had spoken about it earlier also. This is not the time to talk about all such things. I want to reiterate this point that terrorism should not be made a political issue. Terrorism has become an international menace for the entire humanity; for the entire country; and for the entire world. That is why, when we discuss about terrorism; when we discuss about the law to tackle terrorism; we should be totally apolitical. We should think about the safety and

security of our innocent people and the humanity at large. The NIA Act came in 2008. It came after the Mumbai attack where more than 66 people were killed and 300 people were injured. At that time, we all know, how India, as a country, was exposed to the whole world. The whole world saw the way we dealt with the terrorist attack? That terrorist attack continued for almost four days. The whole world saw our incompetence. After that, the Government had brought this Act. I want to say that it was realised at that time. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, it was not the incompetence. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्य, प्लीज। *… (Not recorded)*

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो कोई भाषण ही नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप इनके बाद बोलिए। मेरा कहना है कि इनके बाद आप जरूर बोलिए लेकिन अगर ये बीच में बोल रहे हैं तो बीच में नहीं टोकना चाहिए, बल्कि धैर्य से सुनना चाहिए।

HON. SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

(1320/SK/SMN)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी माननीय सदस्यों ने सहमति बनाई थी।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, फोर्स की शहादत होती है। वे कैसे इन्कम्पीटेंट हैं? क्या फोर्स इन्कम्पीटेंट है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे मत बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन में आप सबने सहमति बनाई थी कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं न तो कोई माननीय सदस्य बैठे-बैठे बोलेंगे और न ही डिस्टर्बेंस करेंगे। जब सदन में सहमति बन गई, माननीय सत्यपाल जी के बाद जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें, मुझे पर्ची दीजिए, मैं सहमति दूंगा, तब बोलेंगे। कोई भी माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, क्या फोर्स इनकम्पीटेंट है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:आप प्वाइंट ऑफ आर्डर में रूल बताएं?

…(व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I have a point of order under Rule 352.

माननीय अध्यक्ष: रूल 352 में कुछ नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी है, आप बैठिए।

श्री सत्यपाल जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इसमें अंतिम पैरा पढ़िए, अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम है। व्यवस्था दे दी गई है।

…(व्यवधान)

DR. SATYAPAL SINGH (BAGHPAT): We all know that America has a terrorist attack on 11th September, 2001.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं पीछे की बेंच से अंतिम बार आग्रह कर देता हूं कि पीछे की बेंच बात करने के लिए नहीं है।

…(व्यवधान)

DR. SATYAPAL SINGH (BAGHPAT): Sir, I am demanding all the hon. Members here that US saw this terrorist attack on 11th September, 2001. Immediately, the American Government brought a law and called it 'Patriot Act', which provides appropriate tools to intercept and offset the terrorism. But in India, we waited for almost seven years to bring that kind of an act. We waited till 2008 when the terrorist attack happened in Mumbai. Why was it brought in? It is because at that time, it was realised that the State police were not well-equipped and they were not well-trained to handle these terrorists' acts. That is why, they thought that terrorism will become a global problem. They, the terrorists, recruited the people from one country. They raised the fund from some other country. The get the training from the third country and they target the fourth country. That is why, it was believed that the State police are not competent or not well-equipped to deal with such kind of cases.

1324 hours (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

At that time, it was also realised that the CBI was investigating such kind of cases. Some CBI officers felt that CBI was over-burdened. But that was not the main reason. The main reason was that the CBI required the State consent before taking up any investigation in any case.

We know that in India, some of the States have withdrawn this consent clause and that is why, CBI cannot investigate. Mr. Manish Tewari was telling as that in List 1 of the Constitution, 'internal security' was brought in.

(1325/MMN/MK)

There were some other problems we really faced after 2008. Recently, in Sri Lanka, many Indians were killed and in Afghanistan, our Indian Embassy was attacked. It is because we could not register a case and we could not investigate the case, we realised that we require amendment to the NIA Act. We all know and I am reminded of the 2008 Mumbai terrorist attack case. The US registered a separate case in America. You all know that David Headley was convicted because of the Mumbai case because America has a separate Act like what we are doing today. What we are doing today, America has done long back, and that is why, they registered a case against David Headley and ultimately, he was convicted.

We all know that Section 3 of the IPC has extraterritorial jurisdiction but the NIA was not having that. Even when we have the Indian victims, our Indian interests became the victim, the NIA was lacking this kind of provision to deal with that. While I congratulate the MHA for bringing this kind of amendment to the Act-—I do not know whether it is there or not—I would also like to request the hon. Home Minister who is sitting here that earlier as per the NIA Act, the power to attach the property of a terrorist was vested with the State DGPs. I know one case in West Bengal. In West Bengal, the then DGP refused to attach the property of the terrorist. So, I would also like to request that this power should be given to the DG, NIA.

Sir, about the designation of the court, it has already been done. We have faced many cases like this and our MoS for Home also mentioned about it that when the judges were being appointed by their names, it used to create a lot of delays in the case. It should be by number that the court should be there.

There is one more thing. Today, everybody knows about human trafficking and cybercrime. Many persons are recruited from India. It is not only the question of Nepal or Bhutan or Bangladesh but it is the question of Indian nationals also. They are also taken to some other country. For example, they might be taken to Syria or some other country for terrorism purpose. They are being trained in some other country for terrorism purpose. That is why, we required a law where the provision must be there to deal with wherever human trafficking is there only for terrorism purpose, and similarly, to deal with cybercrime.

Similarly, Mr. Chairperson, Sir, through you, I would like to suggest one more thing that the NIA Act is applicable to J&K. When we have the enabling provisions of the IPC, in J&K, we have the Ranbir IPC and Ranbir Cr.PC and those provisions of the Ranbir IPC and Ranbir Cr.PC have not been actually given in the NIA Act. So, I would request that that should also be taken care of and they should be notified in the case of NIA also.

With these things, I am supporting this Bill. This is the need of the hour, need of the humanity and need of the country. Thank you very much.

(ends)

1328 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, Sir, while speaking on the amendment Bill, before I go into the merit of the Bill, I have a very general question or appeal. When India is attacked and when India is the worst sufferer in the world because of terrorism, we do not find other countries speaking so much about this. But when the Twin Tower in the USA was attacked, all the countries in the world were making a hue and cry. Why could we not bring these extreme terrorist activities, which are perpetrated in our country every year and every day, to the notice of the entire world?

(1330/VR/YSH)

Is there any failure on our part? That is a question. The National Investigation Agency Act, 2008 was brought in with an objective, which is stated as:

> "Over the past several years, there have been innumerable incidents of terrorist attacks, not only in the militancy and insurgency affected areas and areas affected by Left Wing Extremism, but also in the form of terrorist attacks and bomb blasts, etc., in various parts of the hinterland and major cities. A large number of such incidents are found to have complex inter-State and international linkages."

Sir, through you, I would like to bring the attention of the hon. Minister to the expression 'inter-State and international linkages'. The question is whether it is being diluted by any of the amendments which are being brought or the Government is trying to take the power or interfering with the powers of State regarding law and order situation. This is the only thing. I will come and address this aspect later on.

First of all, I would like to say that an amendment has been correctly brought in clause 2 which says that "and" shall be inserted. This Act shall be called as the National Investigation Agency Act, 2008.

Chairman, Sir, through you, I would like to seek certain clarifications or certain answers from the hon. Minister since he is present in the House.

Clause 2(iii)(d) says:

"to persons who commit a Scheduled Offence beyond India against the Indian citizens or affecting the interest of India."."

Then, you come to clause 4 which says,
"In section 3 of the principal Act, in sub-section (2), after the word "India", the words "and, subject to any international treaty or domestic law of the concerned country, outside India," shall be inserted."

Therefore, the objective is, if any act of terrorism is committed by any person outside India, this Act gives you power to proceed.

But, again, I would to refer to clause 4 which says 'subject to any international treaty or domestic law of the concerned country'. I would like to know whether it will really help you achieve your objective. Is there any treaty with Pakistan? It is because our country is suffering from terrorist activities mostly emanating from Pakistan. Do you have any treaty with them? If you do not have any treaty, how will this Act be made applicable to Pakistan? Can you proceed with this Act against any person in Pakistan? So, this clause is not applicable with a country which has no treaty with us. In that case, the clause will remain in the statute book only, which I have also brought in. If the treaty is not there with a particular country, you cannot make this Act applicable there. If we do not have any treaty, say, with Spain, or any other country, I am not taking any name, this Act will be futile.

(1335/SAN/RAJ)

Sir, I will take some time.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): The time allocated is very short.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, this is a very important Bill. I am talking on merit. Therefore, this is the point which needs to be addressed. Since the hon. Home Minister is here, I am sure that he will clarify this point.

The object of the Bill is speedy trial. Sir, through you, I have a humble suggestion to give to the hon. Home Minister. Kindly fix up the time in the statute. I know that it will not be mandatory, but also make a clause that if time is extended, the Special Judge shall give reason for extending the time. Then, he will be having accountability. Since you are extending the time after retirement or after transfer, he will remain with the file and not finish the trial. That will also not be acceptable. Therefore, he should give the reason. Since the inception of the 2008 Act up to 2019, we want to know how many terrorists have been hauled up.

So far as the designated Special Judge is concerned, the question is whether you are creating the post of Special Judge or you are empowering the present Sessions Judge with that power. If you are empowering the Sessions Judge with that power, then it will not be helpful. The pity is that the Sessions Judge is already over-burdened with cases and he cannot do it. If you create Special Courts, then creation of the posts is also necessary. If the post is created, only then it will be helpful. If the post is not created, it will not be helpful.

The hon. MoS was submitting about women trafficking. I have read the object. If the women trafficking is inter-State or international, you apply our power. There is no difficulty. If it is only within the State itself, and you interfere, then you are interfering with the power of the State and hitting the federalism itself. How can it be done? …(*Interruptions*) If it is not involved within the local area, you cannot do it. …(*Interruptions*) Shri Satya Palji said about that. This Act should not be misused. I also support this.

You were referring to the West Bengal case. As per the Central Government Report, the West Bengal Government has given

extensive cooperation in that matter. This is on record so far as the Burdwan blast case is concerned. Therefore, under no circumstances, this Act should be misused or abused for achieving any political gain. Whoever or whichever political party may be in power, power does not remain with any party forever. Someone comes, someone goes.

HON. CHAIRPERSON: Shri Kanumuru Raghurama Krishnaraju.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I will finish it. You have given me very minimal time. It is such a big Bill. It should have been allotted more time.

HON. CHAIRPERSON: I think, you have made almost all the points.

…(Interruptions) …(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Please make the concluding comments.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I will just finish it by speaking on one more point.

I have one very constructive suggestion to give. Since the hon. Home Minister is here, I will request him that so far as these cases are concerned, when they are appointing the designated Special Judges, they may also consider appointment of Special Public Prosecutors who will be having a good knowledge of the subject. This is very important. These subjects cannot be handled by everybody. Take the example of a cyber crime where a prosecutor is needed who understands the cyber laws. This thing is lacking and we have to fulfil this.

With these words, I conclude. Thank you.

(ends)

(1340/RBN/IND)

1340 hours

SHRI KANUMURU RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill. At the very outset, I am very happy that to make everybody understand the seriousness and concern of the Government, hon. Minister of Home Affairs has been sitting all through. I am very happy for that.

Coming to the Bill, the NIA Act, 2008 was originally intended to cover offences affecting integrity and sovereignty of the country. It was extended to include offences under the Atomic Energy Act 1962 and the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967, which was a very welcome amendment.

In this regard, I would like to refer to what ex-Police Commissioner pointed out.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Hon. Member.

SHRI KANUMURU RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Yes, hon. Member. I am sorry.

He basically spoke about the people who are used for terrorism. I slightly differ from him. It should include women trafficking which is a heinous crime. It is becoming a major problem in the country. In majority of cases, women from one State are being trafficked to other States. No State is really taking any interest in handling these kinds of issues. So, I am glad that this has been included in this Bill.

1342 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

It also includes offences related to counterfeit currency notes and cyber terrorism. Of late, we have seen that offences related to cyber space has been increasing. So, including that is the need of the hour. I would like to bring to the notice of the hon. Minister, through the Speaker, that while we are adding so many offences in this Bill, we should also look at the staff strength of the NIA to handle these cases. In a similar situation, the CBI also said that it does not have the strength to take up several cases. So, when you are including so many offences under the ambit of the NIA, which is a welcome step, the strength of the officers of the NIA should match its workload.

Hon. Member, Shri A. Raja has made some points. I would like to mention that terrorism has no religion. In the society, there are religions and tolerance towards religion should be there. But there is no religion when it comes to terrorism. He mentioned that whenever cases are taken up, the religion of those involved in those cases should also be mentioned. I object to that because, as I said, terrorism has no religion. They would be punished irrespective of their religion they belong to. So, publishing that these many people from these religions have involved in terrorism is not in the interest of secular fabric of this country. I object to that.

Hon. Member, Shri Manish Tewari has said that it should not diluted by bringing it to the Sessions Court. That is a very welcome suggestion. He spoke about the CBI. In Assam they have dismantled the CBI. …(*Interruptions*) I will take just a minute. This is an important point though it is not directly related to this subject. I would like to bring to the notice of the Government one small point.

For every stay that was granted, the Supreme Court has given a direction that beyond six months, the stay would expire. This stay was given by the Supreme Court six years ago. So, I would like to know whether that six months' rule would apply for the Supreme Court or not. This is the question which many legal stalwarts are asking.

(1345/SM/VB)

Since the topic has come, I would also request through you the hon. Minister to expedite the matter. Otherwise the problems which our learned friend, Shri Manish Tiwari, being a senior advocate, has mentioned would create a major problem at a later stage. Our party, YSR Congress is wholeheartedly supporting this NIA (Amendment) Bill and kindly look at improving the strength of the NIA team.

(ends)

1345 बजे

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देश की सुरक्षा को मजबूती देने वाले नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

दरअसल एनआईए, 2008 के कानून में और संशोधन करने के लिए लाया गया यह विधेयक एक तरह से 26/11 के मुम्बई आतंकी हमले में शहीद हुए सैकड़ों भारतीय नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि है। वर्ष 2008 में मुम्बई में हुए आतंकी हमलों के बाद इस तरह के आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी एक्ट, 2008 का निर्माण किया और एनआईए का गठन भी हुआ। आज इस विधेयक में हो रहे संशोधन के माध्यम से हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ और कड़े कदम उठाने जा रहा है। यह हरेक भारतीय के लिए गर्व की बात है।

आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं शिव सेना की ओर से गृह मंत्री जी का आभार मानता हूँ और इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

शिव सेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी हमेशा ही राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानते थे। वर्ष 2014 में शिव सेना ने जो गठबंधन किया, वह राष्ट्र हित को मज़बूत करने के लिए किया और राष्ट्र हित को मजबूत करने के लिए शिवसेना पक्ष-प्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे ने एक बार फिर वर्ष 2019 में भी शिव सेना-बीजेपी गठबंधन का निर्णय लिया। एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के लिए और मजबूत नेतृत्व के लिए हमने यह गठबंधन किया है। आज भाजपा-शिव सेना सरकार के पहले ही अधिवेशन में इस संशोधन विधेयक को लाकर, एनडीए सरकार ने फिर एक बार अपना रुख स्पष्ट किया है कि राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं और राष्ट्रहित से बढ़कर कोई हित नहीं। अभी एनडीए सरकार ने इस बिल के माध्यम से यह दिखाया है।

इस संशोधन की जरूरत और उपलब्धियों पर बात करने से पहले पिछले 10 सालों का एनआईए का परफॉर्मेंस संक्षेप में रखना चाहता हूँ। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि एनआईए की ओर से इनवेस्टीगेशन किए हुए मामलों का कनविक्शन रेट 95 प्रतिशत से भी ज्यादा है। एनआईए की ओर से अबू जिंदाल, यासीन भटकल जैसे कई आतंकियों की धरपकड़ का मार्ग प्रशस्त हुआ। इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे कई आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। कुछ समय पहले अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। देशहित के लिए काम करने वाले हमारे एनआईए को आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के मामले में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण से इस संशोधन विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई।

एनआईए एक्ट को और सशक्त करने के लिए इसमें संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक हो रहा था। इसी कारण से, इसमें कुछ प्रोविज़न की आवश्यकता थी। इस संशोधन की वजह से केवल संगठन ही नहीं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह बात हमारे भाइयों को भी पता चलनी चाहिए कि जो बढ़ावा देते हैं, इस विधेयक

के माध्यम से उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। भारत के खिलाफ षडयंत्र रचनेवाले व्यक्ति, जो आतंकी संगठनों से जुड़े हैं, वे देश के किसी भी कोने में होंगे या किसी दूसरे देश में होंगे, फिर भी एनआईए के अधिकारी उसके खिलाफ शिकंजा कस पाएंगे और उचित कार्रवाई कर पाएंगे। हमारे देश के खिलाफ साज़िश रचने वाला आतंकी, विश्व के किसी भी देश में हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना अब एनआईए के लिए आसान होगा।

ह्यूमेन ट्रैफिकिंग, फेक करंसी, गैर कानूनी तरीके से शस्त्रों का लेन-देन और सबसे महत्त्वपूर्ण सायबर क्राइम को खत्म करने के लिए एनआईए को ताकत देने वाला यह संशोधन विधेयक हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

अध्यक्ष जी, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए मनी लांड्रिंग की रोकथाम भी आवश्यक है। मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच घनिष्ठ संबंध को देखते हुए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की प्रभावशीलता में सुधार करना भी आवश्यक है। हथियारों की खरीद के वित्त और चैनलों के दृश्य और अदृश्य माओवादी स्रोत हैं, जो उच्च प्राथमिकता के लायक हैं। कुछ तथाकथित एनजीओज और थिंक टैंक हैं, जो गुप्त रूप से बहुत कुशलता से काम करते हैं, उन्हें सामाजिक क्रांतिकारियों के रूप में पेश करके बौद्धिक और वैचारिक स्थान के साथ चरमपंथी प्रदान करते हैं। ऐसे संगठनों और लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में बाधा डालने के लिए उतने ही दोषी और जिम्मेदार हैं।

वर्षों से चली आ रही लचर आपराधिक न्याय प्रणाली और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अपराधियों, पुलिस और राजनेताओं के बीच सांठ-गांठ के परणिामस्वरूप संगठित अपराध बेरोकटोक चलते हैं।

(1350/PC/AK)

महोदय, भारत की अधिकांश आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां राज्य केंद्रित हैं। जम्मू कश्मीर में प्रायोजित अलगाववादी उग्रवाद, पूर्वोत्तर के राज्यों में नस्लीय और सांस्कृतिक अशांति, पंजाब में हिंसा, माओवादी द्वारा पूर्वी समुद्री बोर्ड और अन्य इलाकों में फैलने की धमकी के बाद वर्ष 1947 से इसकी व्यापक शुरुआत हुई। जबकि इनमें से कुछ बाहरी प्रायोजित और समर्थित हैं। अन्य राजनीतिक कुप्रबंधन, शासन की कमी और भ्रष्टाचार के उत्पाद हैं। आज अधिकांश राज्यों में स्थिति संतोषजनक नहीं है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) सीमा प्रबंधन में सिंक्रोनाइज़ेशन की कमी इसका एक जीवंत उदाहरण है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब जी।

…(व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सर, मैं अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अंतिम पैरा पढ़ दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सर, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चार प्राथमिक खतरों का सामना करता है। बाहरी रूप से, पाकिस्तान के साथ उसका संघर्ष प्रतिस्पर्धी भूराजनीतिक हितों और कड़वी ऐतिहासिक विरासतों से प्रेरित है। भविष्य में भारत सरकार को उन बाधाओं के भीतर काम करना होगा, कश्मीर पर तनाव भविष्य में भी जारी रहेगा। आंतरिक रूप से, भारत कई अलगाववादी और यूटोपियन आंदोलनों का सामना करता है, जिनमें से सबसे प्रमुख माओवादी नक्सली हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सबसे अधिक नक्सली गतिविधियां होती हैं, जिनको रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है।

अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बार फिर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को इस बिल को लाने के लिए अभिनंदन करता हूं।

(इति)

1351 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, we remember very clearly that in 2008, when this Act was promulgated, many Members had justified why this Act was necessary. I would say that the situation has worsened further. I am saying this because there was a time, some 20 years ago, when in this House the then Home Minister used to say with pride that wherever terrorist activities are happening in the world not a single Indian is found to be a terrorist. But the situation worsened or became bad in 2008, and this law came into effect, especially, after the Mumbai carnage.

Subsequently, after 10 years, we are deliberating again relating to the functioning of the National Investigation Agency (NIA). It is being called an investigation agency as the prosecution power also is being given to this agency to find out who should be the best person to prosecute on the basis of whatever has been collected through investigation.

There are three major issues, which come up for consideration today. One is to expand the scope of investigation. Second is to expand the scope of investigation to foreign shores, and also to bring in human trafficking and other issues.

I would just like to mention here that there is a need to expand the scope of NIA. But my point here is what I had said last time when this Bill was before this House that in this Bill you have mentioned that investigation can be conducted by NIA without informing the State police. I had raised objection to this issue that we are not only a federal structure, but the highest police officer of the respective State is also a Government of India service holder. At that time, an assurance was given by the then Home Minister that : “Yes, we will make provision that the highest police officer of the State will be informed”. Today, as I was going through the papers, I came to know that he is informed. When is he informed about it? It is in case there would be a law and order situation during investigation. This is the situation when the local police at the DGP-level will be informed.

I am not talking about West Bengal where another incident had occurred when the CBI went into the Commissioner’s residence.

(1355/SPR/SPS)

Local police gheraoed them. Subsequently, and luckily, the Army was not called in. But why this type of mismatch between the State police and the Central forces? This could have been avoided. Here, I would like to say that if the DGP is taken into confidence, not only of being informed but also becomes part and parcel of the investigation, it will be helpful. There are certain areas where you need secrecy at the time of investigation but a number of meeting do take place, especially to target the terrorist activities inside the country.

Today, the alarming situation is this. Due to Internet services, people have direct contact with the Islamic State (IS). Boys have gone out of our country to join the IS. How to tap them? How to prosecute them? What you have in this Bill is this. When you are making an investigation in foreign shores or countries, you have to take their Governments into confidence. But in this, you have a provision that you don't take your own State Government into confidence, your own State police into confidence. At certain level, at least at the highest level of the State police, information should be shared before investigation, and they should become part and parcel of the investigation and prosecution.

It has been mentioned about the power of the Central Government to constitute Special Courts. Special Courts shall be presided over by a Judge to be appointed by the Central Government on the recommendation of the Chief Justice of the High Court. This is all right. But subsequently in Clause 22, it is stated that the State Government may constitute one or more Special Courts for the trial of offences under any or all the enactments specified in the VI Schedule. Even it comes down to the Sessions Court. I need a clarification from the Government. Ultimately, who appoints the Special Court? Is it the Central Government? Is it the State Government? At what level, the prosecution will take place, decision will be given and punishment will be imparted? While going through this amendment, I feel a bit unsure because ultimately it is the prosecution and punishment which matters, not only apprehending the terrorists.

Some seven years ago, a boy was apprehended in our State because he had some connection with IS – it was earlier ISIS, now they are terming it as IS. I would like to understand whether the local police or State police is involved in that investigation. But prosecution of that person has not gone a bit further.

Therefore, I would like to mention here that it is necessary that human trafficking needs adequate investigation. Narcotics issue also was mentioned here. But here I would like to just mention that under Sections 370 and 371 of the IPC relating to human trafficking also has inter-State and international linkages, which also needs to be looked into with full vigour. With these words, I support the amendments but I need certain clarifications, especially in regard to taking the State police into confidence.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण बी.ए.सी. के अंदर सभी पार्टियों का समय अलॉट है, लेकिन बिल पर चर्चा होती है तो हम कुछ अतिरिक्त समय निश्चित रूप से देते हैं। इसलिए माननीय सदस्य को विषय ध्यान में रहे।

(1400/KDS/UB)

1400 बजे

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का अमेंडमेंट बिल, जो यहां पर आया है, उस पर मैं अपनी पार्टी का रुख साफ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब-जब एनआईए पर चर्चा होती है और इस तरह के कानून देश में बनते हैं, तब बहुत साफ है कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल या कोई भी सदस्य, जो इस सदन में है, सब एकजुट हो जाते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन कई बार जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, तो देखते हैं कि आतंकवाद के नाम पर लड़ने के लिए जो कानून पहले भी बनाए गए, उनका काफी दुरुपयोग हुआ और कई इनोसेंट लोग बिना ट्रायल के जेलों में डाले गए। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी जो लोग इस तरफ बैठे हुए होते हैं, वे उस तरफ पहुंच जाते हैं, तब वे कानून बनाते हैं और जब उस तरफ के लोग इधर आ जाते हैं तो वे अपनी बात करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, टाडा इधर वाले लोगों ने बनाया था, जो आज इधर बैठे हैं और पोटा उधर वाले लोगों ने बनाया था, जो आज उधर बैठे हैं। दोनों ही कानून बाद में रिपील करने पड़े। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ और प्रॉसीक्यूटिंग एजेंसीज़ अलग-अलग होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश में जब से 24x7 इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स आए हैं, मैं समझता हूं कि कई टीवी चैनल्स और एंकर्स इस चीज की जरूरत ही नहीं समझते कि इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस अधिकारियों का है और सजा देने का काम कोर्ट्स का है। मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्य, जो उधर बैठे हैं, वे भी मेरी बात से सहमत हैं। मेरा कहना है कि कि जिस तरीके से मीडिया में ट्रॉयल होते हैं, उसे देखते हुए कहीं न कहीं हमें एक बाउंड्री तय करनी चाहिए। मान लीजिए किसी के यहां रेड हो गई, तो एजेंसीज़ का काम है रेड करना, आतंकवादियों को पकड़ना। कई बार रेड होती है, पर रेड की इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, लेकिन सुबह से शाम तक मीडिया ट्रायल करके उसे आतंकवादी घोषित कर देता है।

महोदय, ऐसी कई घटनाओं के केसेज़ आए हैं, जिसमें बाद में लोग कोर्ट से बाइज्ज़त बरी हुए हैं। मैं उन स्पेसिफिक केसेज़ का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे कानूनों का, चाहे टाडा हो या पोटा हो, दुरुपयोग हुआ था, इसीलिए इस सदन ने उन कानूनों को बाद में रिपील किया था। जहां तक साइबर क्राइम की बात है, हमारा यह मानना है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने पर तो सरकार इधर-उधर की बात कर रही है, लेकिन उससे पहले वे सारे बिल्स आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं डाटा प्रोटेक्शन बिल से इंटरलिंक करते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल भी जल्द से जल्द लाया जाए। मैं फिर एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सदन की नीयत जीरो टॉलरेंस है, लेकिन इस सदन में, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका हनन किसी कानून के तहत नहीं कर सकते।

(1405/KMR/SJN)

आज मुझे यह कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है कि कहीं न कहीं यह सरकार इतनी जल्दी में है कि इस स्टेट को एक पुलिस स्टेट में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि देश की आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और आतंकवाद की लड़ाई में पूरा विपक्ष और हम सब लोग सरकार के साथ हैं।

(इति)

1405 बजे

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवदा। मैं इस बिल को सपोर्ट करने के लिए यहां पर खड़ी हुई हूं। मैं इसे सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई हूं, लेकिन मेरे मन में एक दुख की बात है। मुझे महाराष्ट्र पुलिस पर सार्थ अभिमान है, जिस पुलिस के कारण इस देश में, पुलिस डीजी विर्क जी, पंजाब सरकार ने उनको मुंबई (महाराष्ट्र) से बुलाया था कि यहां पर बहुत दिक्कतें हैं, आप आ जाइए। श्री जूलियो रिबेरो जी, जब पंजाब में अड़चनें थीं, तब उनको महाराष्ट्र से बुलाया गया था। हमारी ऐसी पुलिस को आज एक महाराष्ट्र का एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी इन्कॉम्पिटेन्ट कहता है, मैं उसका खंडन करती हूं। मेरी उनसे विनती है कि हमारी पुलिस जोन के बहुत से लोगों ने इस देश और हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जानें दी हैं, इसलिए आप प्लीज इसको रिकार्ड से निकाल दीजिए। The hon. Member had great pride in working in Maharashtra Police. He was CP Pune, CP Mumbai, CP Nagpur. So, I please urge him. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कोई विषय होगा, तो मैं देख लूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने नहीं बोला है, वह मना कर रहे हैं।

…(व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): We should not call any police officer incompetent. We are sitting here safely because thousands of people give their lives for our security. So, I request this to be corrected. हमारी पुलिस पर हमको सार्थ अभिमान है।

I just have three-four quick questions to ask the hon. Minister. उन्होंने कहा कि 95 प्रतिशत कन्विक्शन हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ऐसे 14 केसेज हुए हैं, उनमें से एक का ही कन्विक्शन हुआ है, 13 का नहीं हुआ है। Where is he getting your data from? I am getting my data from the replies of the Government of India. There is obviously some disparity. So, this may kindly be clarified.

I have three pointed questions to the hon. Minister. Point No.2*(i)* of the Statement of Objects and Reasons says: "… to persons who commit a Scheduled Offence beyond India against the Indian citizens or affecting the interest of India…". Of course, there will be the international court and international pressure. You remember the issue of the Italian Marines. They came to India but they were taken back. In such situations, what will the Government do or what is it doing specifically to improve these relationships so that any Indian who suffers anywhere in the world gets a fair trial and justice? Is

the Government able to get each terrorist from anywhere in the world and what is the timebound plan for it? It should not be another *jumla* like: मैं दाऊद को लाऊंगा, इसको लाऊंगा, उसको लाऊंगा, अभी पांच-छः साल हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं आया है। So, please be committed. This is about terrorism, about national security. आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं और सबके बच्चे हैं। This is a national security issue. This is not about UPA vs NDA. When it comes to national security, this House must stand together to tell the world in one voice that we stand united against any corruption or any national security issue. So, I request that this be not made a political debate.

Point No. 3*(ii)* of the Statement of Objects and Reasons says: "… National Investigation Agency shall have the similar powers, duties, privileges and liabilities, being exercised by the police officers …". We have all objected to this. I will not repeat the point. But I just want to ask one question. I would like this to be verified because I am not sure about this point. When this first came during the UPA time, I think the Gujarat Government had raised some reservations about NIA. So, could the Minister kindly clarify if that stand was different then and is this different now?

(1410/SNT/GG)

If it is the same, I stand corrected. I will not raise it. But I want to know for the record of this House when NIA proposed a similar Act, what was Gujarat Government's line at that time. The hon. Minister may kindly clarify that.

The third point is regarding the scheduled offences committed outside India, registration of the case and taking up investigation. Now, this is also as per the Indian Convention, 1948. I will give you an example. You are talking about drugs. If you are caught up with drugs in Singapore, there is a punishment that you will be hung immediately. Are we going to do the same here? So, when it is Singapore versus India, we are going to have this exchange of law. How is there going to be a common law? How are you going to take this forward?

This looks very idealistic and I support it. I am very happy if this happens. But how are you going to do it? How are we going to have the agreements with several countries for Indian citizens? You keep talk about cooperative federalism. When there is so much cooperative federalism, why are we showing mistrust in States? If the State is willing to cooperate, let us work together. I do understand that there are cases where CBI can walk in. But when you are saying

that this is a national security interest, why should NIA go parachuting on any State? There can be misuse and this country has shown misuse in the past.

So, let us have something where national security and terrorism are above political agendas. Even, in the Treasury Bench, one of the speakers – I do not want to get into that speech – talked about misuse of power.

I have two questions. When you are in position of power and there is misuse, why do you not stand up and say that I will not do this or expose the Government. So, these are all *tu tu, main main.* This is not the time to make a political statement. This issue is about national security. You should kindly come through on all these three things.

Sir, I have one last point to make. I come from a State where Dabholkar ji, Kalburgi ji, – who are all modern people – were shot dead. Also, Gauri Lankesh, has been shot. There are hundreds of examples like this, which I can give you. We have not been able to close those cases. Here, you are worrying about international safety and security. What about our own security here, first?

So, I urge this Government that we are all willing to support these things but let us have clarity. Let it not just be a peacock which will come and flash its feathers and there will be no outcome. Let us put our hand where our mouth is. I think, globally, everybody is willing to work together. Let us not give examples of other countries because we need to have our own rules. What other countries do idealistically, we can definitely copy but it has to be effectively implemented above politics. This is the only request.

So, I think, the sense of this House is that we should not misuse any of these things politically in the larger interest of this nation and for the safety and the security of this nation.

Thank you, Sir.

(ends)

1413 hours

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I rise to support the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019.

The original 2008 Act, empowers the Government to constitute special courts for the trial of scheduled offences listed in the act. The amendment seeks to change this and empower the Central Government to designate a Sessions Court to rule over the offences under the purview of the National Investigation Agency. Designating Sessions Courts as special courts dilutes the importance of the effect of an investigation agency created especially for a particular purpose.

We are well aware of the burden of pending cases on the Judiciary. According to a question answered by the Minister of Law and Justice, the total number of pending cases in District and Subordinate Courts is 3.12 crore. Can we really afford shifting burden to Sessions Courts as the amendment proposes?

Let us also take a look at the National Investigation Agency's performance. As the Minister of State for Home Affairs has stated, since its inception, the NIA has had 272 cases. Out of the 272 cases, trial has concluded in 52 cases, that is, 19 per cent cases have seen trial concluded for them. Though, the conviction rate of the NIA is high, as the Minister said, the number of cases for which trial has concluded with respect to total registered cases is low and that needs to be looked at.

The amendment adds new offences added to the already existing schedule in the NIA Act including trafficking, cyber-terrorism, counterfeit currency among others.

(1415/GM/KN)

It is a good move to add such offences but it must be taken care of that the powers of the National Investigation Agency are kept in check so that they do not encroach upon the liberties of the citizens. A mechanism to keep a check on the powers of the National Investigation Agency needs to be put in place to safeguard the Fundamental Rights of the citizens.

Another concern with a powerful agency like the National Investigation Agency is that it will not be free from political interference and this will undermine the purpose of this purpose. We also need to look at the larger picture here. The

National Investigation Agency was set up as a policing mechanism to investigate terror attacks but we lack a preventive mechanism to foil such attacks from happening in the first place. The Government needs to look at this also. With this, I support the Bill.

(ends)

1416 hours

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Hon. Speaker, Sir, first of all, I support all the views and apprehensions raised by the Shri Manish Tiwari, Shrimati Supriya Sule and other hon. Members of the Opposition. At the outset, my major concern with the National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019 is the provisions of the closely related Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill, 2019.

The Unlawful Activities Prevention Act, 1967 is included in the offences scheduled under the National Investigation Agency Act, 2008. The amendment to Schedule 4 of the Bill will allow the National Investigation Agency to designate an individual suspected to have terror links as a terrorist. As the other Members from the Opposition stated, it is nothing but State-sponsored terrorism and violates the Fundamental Rights and ethos of our Constitution. The hon. Member, Shri N.K. Premachandran, at the time of opposing the introduction of the Bill, spoke about the case study of A.K. Gopalan vs. State of Madras regarding the unlawful detention. As of now, only groups are designated as terrorist organisation. The Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill, 2019 that seeks to allow an individual suspected to have terror links to be designated as a terrorist could prove to be draconian. At the time of formulation of Unlawful Activities Prevention Act, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was opposed to such a provision and the BJP-led Government should keep in mind the veteran leader's views. A large number of under-trials are languishing in various jails without hearing under the National Investigation Agency Act. The Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill, 2019 is unleashing the Frankenstein's monster that could turn to you in future. Please don't think you will be in power till the end of the world.

I would like to invite your attention to another act of terrorism which was a classic example of the use of State power in the name of national security. The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, commonly known as TADA, was in force between 1985 and 1995. It was the first anti-terrorist law legislated by the Government to define and counter terrorist activities. It was allowed to lapse in 1995 due to the increasing unpopularity after widespread allegation of abuse.

The widespread human rights abuse under the TADA is evident from the following example. After spending nearly 20 years behind the bars under the

TADA and several other sections of the Indian Penal Code, 11 Muslim persons were found innocent on Wednesday, February 27, 2019 by a special court in Nasik. Then there is Abdul Nazer Mahdani's case in Kerala. He was detained under judicial custody for nine years and released after he was found not guilty.

The Bill amends the National Investigation Agency Act, 2008. The Act provides for a national level agency to investigate and prosecute offences listed in a Schedule. Further, the Act allows for creation of special courts for the trial of scheduled offences. The Bill states that the Central Government may designate Sessions Courts as special courts for the trial of scheduled offences. Further, the State Governments may also designate Sessions Courts as special courts for the trial of scheduled offences.

(1420/RK/CS)

I am not going into the details of pending cases in all the courts of India. Our courts are already clogged with huge backlogs and it is illogical that now the Government is adding more cases through the amendment to the NIA Act. Under the NIA Act, in spite of mandating special courts, all the Session courts have been designated as Special courts.

The proposed amendments will also allow the NIA to probe cybercrimes. As per section 66 F, Chapter XI of the IT Act, 2000, the cybercrime is not defined officially in the IT Act or in any other legislation. In fact, it cannot be too.

To conclude, the NIA (Amendment) Bill, 2019 and the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill are amorphous and vague. It is the sign of a growing repressive state. I would urge the Government to set up real and functionally efficient special courts and remove the draconian provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 which, in the name of tackling terror, contravene the fundamental rights of the citizens.

Thank you, Sir.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : आपने इतने संशोधन मूव कर रखे हैं, आप उस समय बोल लेना।

1421 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Sir. I will take only a few minutes.

I fully support the observations made by the hon. learned Member, Shri Manish Tewari in his concluding part. The democratic, secular fabric of our country shall never be destroyed in the name of terrorism. If you examine the past experience of TADA and POTA at a micro level, it is very clear that a section of the society has been targeted and they have been put behind bar for long. If you examine, in most of the cases, the convicts have not been found guilty and have been released. This is the situation prevailing in our country. So, I would like to urge upon the Government of India to revisit the criminal jurisprudence which highly essential for the time being because even the basic elements of the criminal jurisprudence is under threat.

Shri Ariff has just now rightly cited that a person who has not been found guilty, is unnecessarily put behind bar for 20 years and after 20 years, it is proved that there is no evidence against him. He is being declared innocent and is being released. Who is responsible for 20 years of punishment that he has to suffer in the jail? Who will answer for it and who will compensate it? That is why I would suggest that the system of criminal jurisprudence has to have a drastic amendment. That system has to be re-looked. This is my first suggestion.

The original Bill of 2008 was enacted," to constitute an investigation agency at the national level to investigate and prosecute offences affecting the sovereignty, security and integrity of India, security of State, friendly relations with foreign States and offences under Acts enacted to implement international treaties, agreements, conventions and resolutions of the United Nations."

The NIA (Amendment) Bill, 2019 is intended to provide an extra territorial jurisdiction or an extra territorial power to National Investigating Agency so that an offence committed outside India by a citizen, can be taken as a case which has happened in this country and the National Investigating Agency is empowered to investigate into that case, prosecute the case in the special court being designated under this Bill.

In such a situation, the cloud of suspicion among the minorities has already been discussed here. A number of amendment Bills are being brought before this House; Human Rights (Amendment) Bill, Aadhaar (Amendment) Bill, and Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill. Taking into consideration all these Bills, the cloud of suspicion is increasing. I would like to know from the hon. Minister, from 2008 to 2019, that is from the POTA to the UAPA, how many

FIRs have been lodged, and cases charge-sheeted? How many have been prosecuted and punished? How many have been declared innocent? This statistical information is highly essential to look into the veracity and merit of this Act. With this point of clarification, I conclude my speech.

Thank you very much, Sir.

(ends)

(1425/RV/PS)

1425 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, यह कानून एन.आई.ए. को और अधिक अधिकार देने के लिए बनाया जा रहा है और संशोधन के बाद जांच एजेंसी विदेश में भारतीयों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की जांच कर सकेगी। अब एन.आई.ए. को साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच करने की भी इजाजत होगी।

अध्यक्ष महोदय, आज डिजिटल का जमाना है और देश में साइबर अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अत: इसकी जांच के लिए एन.आई.ए. का हाथ मजबूत करना जरूरी हो गया है। साथ ही, मानव तस्करी के भी मामले अधिक होते जा रहे हैं। इससे शोषण को संरक्षण मिल रहा था। अब एन.आई.ए. को मानव तस्करी या कबूतरबाजी की पूर्ण जांच का अधिकार होगा। अब तस्करों को किसी भी प्रकार का संरक्षण प्रदान करने वाले भी पकड़े जाएंगे और उचित दण्ड का भी प्रावधान होगा।

अभी कानून में मात्र संगठनों को ही आतंकवादी घोषित करने का नियमन था। किन्तु, इस संशोधन के बाद एन.आई.ए. किसी व्यक्ति या समूह, जिसका किसी आतंकी संगठन या घटना में संदेह हो, उस व्यक्ति या समूह के व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित कर दण्ड देने का प्रावधान होगा। उनकी सम्पत्ति भी जब्त होगी। धारा-4 में संशोधन से एन.आई.ए. पूरी तरह ताकतवर होगा। कोई व्यक्ति या संगठन, चाहे विदेश में क्यों न हो, एन.आई.ए. वहां भी जा कर अब बिना रोक-टोक जांच करने में सक्षम होगा। सरकार का यह कदम उचित और आज के माहौल के अनुरूप है, ऐसा मेरा मानना है।

महोदय, अत: सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। निर्दोष व्यक्ति को जबरन किसी दुर्भावना में न फंसाया जाए। इससे हमारी संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता की अवहेलना होगी।

अध्यक्ष महोदय, इस कानून के तहत काफी केस लम्बित हैं। अदालत भी इसका त्वरित निपटारा करेगा। अत: कानून के तहत लम्बित मामले या कोई नया मामला अदालत में है तो उसका भी जल्द निपटारा होगा।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करना चाहता हूं कि यह विधेयक महत्वपूर्ण है और सभी माननीय सदस्य विद्वान हैं। इसलिए हम एक ही विषय को रिपीट नहीं करेंगे। अगर कोई नया विषय आएगा तो आपकी पार्टी के लिए जितना समय होगा, उससे भी एक्स्ट्रा समय दूंगा, इसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन, एक ही विषय को रिपीट करना, ऐसा पार्लियामेंट का स्तर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नया सब्जेक्ट आएगा, अगर किसी माननीय सदस्य की पार्टी के पास दो मिनट का समय होगा और नया सब्जेक्ट दस मिनट का होगा, तो मैं उन्हें दस मिनट का समय दूंगा, लेकिन किसी भी विषय का रिपिटीशन न करें।

1428 बजे

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): स्पीकर सर, धन्यवाद। आपने सदन में इस इम्पॉर्टेन्ट मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं एक शहीद परिवार से सम्बन्ध रखता हूं। मैं होम कमेटी में था, जब यह एन.आई.ए. बिल बन रहा था, एन.आई.ए. खड़ी हो रही थी। वेंकैया नायडू जी, जो अभी वाइस-प्रेसिडेन्ट हैं, उस समय वे उस होम कमेटी के चेयरमैन थे। उनके नीचे मुझे मेम्बर रहने का मौका मिला।

सर, इसकी मेन बात यह है कि पंजाब में, जैसा सुप्रिया सुले जी ने कहा, उस पंजाब में जो हालात थे, उसमें रिबेरो साहब आए, विर्क साहब रहे, के. पी. एस. गिल साहब रहे और मेरे दादा जी सरदार बेअंत सिंह उस समय वहां के मुख्य मंत्री थे। मैं, खुद की बात, अपनी तरफ से यह बात रखना चाहता हूं कि जब केस होगा, उस समय मीडिया भी उसके बारे में बहुत बताता है और देश में एक दूसरे प्रकार का सेन्टिमेंट और माहौल होता है। लेकिन, जब उसमें डिले हो जाता है, तब उस केस में जान नहीं रहती है और लोगों का ध्यान उस चीज़ की तरफ से हट जाता है। यह ठीक है कि कोर्ट्स बन रहे हैं। तीन महीने के अन्दर नीचे के कोर्ट से सजा होनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तीन-तीन महीने में ही उस केस का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उस केस में वह सेन्टिमेंट और वह जान ही नहीं रहती।

सर, मेरे दादा जी के केस में एन.एस.जी. के तीन लोग शहीद हुए, सी.आर.पी.एफ. वाले शहीद हुए, उनका स्टाफ था और इस तरह दिनांक 31 अगस्त, 1995 को 17 लोग शहीद हुए। इसका ट्रायल चलता रहा और वर्ष 2012 में उन लोगों में से एक को फाँसी की सजा हुई। उस समय वहां के मुख्य मंत्री बादल साहब थे। वह पिटीशन वर्ष 2012 में प्रेसिडेन्ट साहब के पास आ गई और वह पिटीशन अभी पड़ी है। उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन, इस केस का क्या हुआ?

(1430/MY/RC)

सर, यह दोनों तरफ है। अगर कोई टेररिस्ट है, यदि उसको एक साल के अंदर सजा मिल जाती है, तो वह अच्छा है। अगर कोई निर्दोष पकड़ा गया, जो इन्वॉल्व नहीं है, तो वह एक साल में बाहर निकल जाएगा। उसे भी जेलों में लंबा टाइम तक नहीं रुकना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि कोर्ट में इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, पुलिस सब कुछ कर देती है। सीबीआई पहले से थी, लेकिन जब कोर्ट में वह केस लंबे टाइम तक रहता है, तो उनकी महत्ता नहीं रह जाती है, वह सेन्टिमेन्ट नहीं आ पाती है, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, और भी बहुत सारे संगठन आ

जाते हैं और उनके बूढ़े माँ-बाप के बारे में दिखाने लग जाते हैं, उनके परिवार के बारे में दिखाने लग जाते हैं। उसके बाद इस देश का सेन्टिमेन्ट ही बदल जाती है। इसी तर्ज़ के आधार पर उस टेररिस्ट का कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि जज भी इंसान हैं। जो सेन्टिमेन्ट छह महीने पहले थी, वह दो साल बाद कुछ और हो गयी, इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी एजेंसी बनाई गई है, उसका लाभ जरूर होना चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। ये लोग प्यार से सुधरने वाले नहीं हैं। जेलों में ये लोग खाते-पीते हैं और वहां बैठकर स्कीमें बनाते हैं। इनकी जल्दी से जल्दी सजा हो और वे फांसी पर जाएं।

पुलवामा में जो घटना हुई, उसके लिए बाहर से पैसा आया और बाहर से हथियार आये। सी.बी.आई. एक ऐसी एजेंसी है, जो इंटरपोल के माध्यम से दूसरे देशों में जा सकती है। इनको टाइम से सजा मिलनी चाहिए, यह हमारी एजेंसी का मेन काम होना चाहिए। जहां पर हम लैक करते हैं, वहां हमारा नुकसान होता है। वे जेल में आपका ही खाकर आपके लिए प्लानिंग करते हैं और फिर नुकसान करते हैं। इनको जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए।

इसी तरह से सरदार बेअंत सिंह जी वाला जो केस है, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी से अपील करता हूं कि उनको जो सजा मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा दी है, वह अपने मुकाम तक पहुंचनी चाहिए। थैंक्यू, सर।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य मनीष जी, आप एक किताब लेकर घूम रहे हैं। मैंने कहा कि आप बार-बार किताब लेकर घूम रहे हैं। यदि आपको कोई किताब उठानी है, तो उठा लीजिए।

1432 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, as far as terrorism is concerned, we should deal with it with iron hand. Of course, the whole nation should stand together against that. There are no two opinions about that.

As far as the performance of NIA is concerned, while introducing the Bill, the hon. Minister was saying that its performance is excellent. With due respect, I differ with it. As regards credibility of NIA, I would not hesitate to say that its credibility is eroding. We all know that the NIA is becoming an instrument in the hands of the Government for attaining its political wish and will. There are many things to say but because of time constraint, I do not want to take much of the time.

When we made the first enactment on this, there was high objective in it, such as, investigation and prosecution of offences affecting the sovereignty, security and integrity of the nation. But what is really happening? If we analyse, we have to see whether NIA is moving in the proper direction or not. I would like to say that its credibility is facing challenge. As a classical example, I will give you the example of Malegaon blast case. *… (Not recorded)* has said publicly that ever since the change of the Government at the Centre, pressure is being imposed to favour the accused in this trial. It is the shame on the nation. How can the Government interfere in these kinds of things? It was said openly and not secretly that the Government pressurized the *… (Not recorded)* to support the accused.

With all politeness, I would like to tell you not to misuse the investigation agencies for political motives. As has been said by earlier speakers, innocent youths are languishing in jails. What is the position of the CBI? It is also like that. The CBI is called, the 'caged parrot' and now NIA looks like a chained agency because they are not having any free hand to move.

(1435/SNB/CP)

In this case, if the Government verify the cases and also looks at history, one would find that a majority of people belonging to the minority community and the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are in jail. Even charge sheet against them have not been filed. As has been correctly mentioned by other hon. Members, after 10 years or maybe, more, there may

be acquittal but who will compensate for those lost years in jail? Their lives are completely ruined. That is the situation.

Sir, so I urge upon the Government to keep this investigation agency as independent as possible. If that is not done, then there is no meaning in making any kind of enactment in this regard.

What is justice? If justice is not dispensed on time, then it is said that justice delayed is justice denied. We have to keep this in mind. I urge upon the Government not to interfere in the work of the investigating agency. If the Government does not allow them to work freely, then they will be doing a kind of injustice to the people. With these words, I conclude. Thank you.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : श्री विष्णु दयाल राम। विष्णु दयाल राम जी फॉर्मर डी.जी. रहे हैं।

1436 बजे

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): महोदय, आपने मुझे नेशनल इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट, 2008 में प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने एक स्पष्ट नीति की घोषणा की है – आतंकवाद के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की। यह देश आतंकवाद का दंश वर्षों से झेल रहा था। वर्ष 2008 पहला वर्ष हुआ, जब एनआईए का गठन हुआ। एनआईए की परिधि में देश की अखण्डता, सम्प्रभुता और सुरक्षा से सम्बन्धित घटनाओं के अनुसंधान के लिए उसको प्राधिकृत किया गया। इसके पहले देश में कोई ऐसा एक्ट नहीं था कि जब अपराधी दूसरे देश में जाकर हमारे नागरिकों के विरुद्ध कोई अपराध करे या हमारे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध कार्य करे, तो ऐसे अपराधी के विरुद्ध किसी प्रकार का कार्य हमारे देश में हो सके।

महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट बना है। संशोधन तो देशकाल, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार होता है। कानून भी देशकाल, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार बनता है। इससे पहले कि मैं इस संशोधन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूं, हमारे बीच में आदरणीय मनीष तिवारी जी हैं, सबसे पहला और मैं समझता हूं कि सबसे प्रभावकारी भाषण उन्होंने दिया। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 की चर्चा की और सही चर्चा की। मैं उसमें केवल एक शब्द जोड़ना चाहता हूं कि नागरिकों को इन अनुच्छेदों के माध्यम से क्या अधिकार मिला, उसकी चर्चा तो उन्होंने विस्तार में की, लेकिन उस अधिकार पर किस तरह का रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा।

महोदय, संविधान का प्रथम संशोधन जो हुआ, उसके द्वारा ही आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिए गए हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ किया गया। संविधान के 16वें संशोधन में हमारे देश की इंटिग्रिटी और सॉवरेनिटी के बारे में चर्चा की गई और उसे वर्ष 1992 में इनसर्ट किया गया। वर्ष 2008 में जो एक्ट बना, देश की अखण्डता और देश की सम्प्रभुता से सम्बन्धित जितने भी अपराध होते हैं, उन अपराधों को अनुसंधानित करने का अधिकार वर्ष 2008 के अधिनियम के द्वारा एनआईए को दिया गया है।

(1440/RU/NK)

हम सभी जानते हैं आतंकवाद किसी देश की परिधि में सीमित नहीं है। यह देश की परिधि से बाहर भी होता है इसलिए इसमें एक्सट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। इस पर किसी सदस्य ने आपत्ति नहीं की है, आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। इसमें जो अधिकार दिया गया है उसमें एक बात अह्म है, दूसरे देशों में जहां इस तरह के कानून हैं, उन कानूनों में भी यह अधिकार दिया गया है, जैसे SAARC Convention, Suppression of Terrorism Act, 1993, International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism, International Convention for the Suppression of Terrorists Bombings, the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act, 2002 ऐसा नहीं है कि पहला देश हैं जहां एक्सट्रा टेरिटोरियल

जुरिसिडक्शन दे रहे हैं। हमारे नागरिक जो बाहर के देशों में रहते हैं, उनकी सुरक्षा और हितों की रक्षा करना हमारे देश का कर्तव्य है। उसी कर्तव्य के अनुपालन में एनआईए का संशोधन आया है। इसके अलावा सिर्फ दो और महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की है, एक स्पेशल कोर्ट हैं, हम ज्यादा चर्चा शिड्युल के ऊपर करना चाहेंगे क्योंकि शिड्युल की चर्चा कम हुई है। जो शिड्युल में इन्सरर्शन हो रहा है वह एक्ट से रिलेटेड हो रहा है। आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेन्सिव एक्ट है, ट्रैफिक एक्ट है, एंटी-ट्रैफिंग एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं। इसका इन्सर्शन इसलिए हुआ है, इसके अंतर्गत जो अपराध होते हैं उसको दूसरे कानूनों के साथ जोड़ कर इन्वेस्टिगेट न किया जाए, इसको सेपरेटली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इसका इम्पॉर्टेंस किसी भी आधार से कम नहीं है। इसमें काफी सशक्त प्रावधान किए गए हैं। इनके इन्सर्शन से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अंत में समय अभाव को देखते हुए आपके आदेशानुसार समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1443 hours

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I oppose the National Investigation Agency Bill, 2019. I will list out the various reasons for opposing this Bill.

Firstly, as a student of law, I was taught that criminal law is based on territorial jurisdiction. By bringing this Bill, you are extending the territorial jurisdiction. The concept of universal jurisdiction does apply only in cases of crime against humanity or genocide. The classic case is the case of PANACEA trial which was held in UK. That is why I feel that we, as a country, have not yet signed International Criminal Courts Statute. I want to know from the hon. Minister as to whether they are going to sign the International Criminal Courts Statute so that any dictator who has indulged in crimes against humanity or genocide will be tried. Till you sign that, we do not have that territorial jurisdiction. It is fine to say that you will do it.

Secondly, assuming that a terrorist offence takes place. You send an NIA officer there and say that our laws will prevail. They will not prevail because the local laws will prevail there. What powers are you giving to that NIA officer? For example, God forbid, something happens in the Indian Embassy of Afghanistan. Will the Afghans allow it? No. Even Nepal will not allow it. The reason behind this is that we do not have the diplomatic clout. *… (Not recorded)* This is my opinion. Are you so afraid of US? I do not know. You love US so much. Good luck to you and Israel! …(*Interruptions*)

(1445/NKL/SK)

Here, this amendment talks about affecting the interests of India. What is that? Can you please define as to what is affecting the interests of India? In a Bill, it cannot be so vague. You say "affecting the interests of India". You are creating a device for yourself to even bring in some people who write a blog against your ideology and your Party.

Thirdly, in this Bill, you say "Special Court designated for an area or areas". Again, it is violating Article 14 of the Constitution because the notification has to be made, and you cannot make it for a specific case or area. It is violating the provision of equality. If you refer to the case of Anwar Ali Sarkar vs. The State of West Bengal, you will get to know why I am saying this.

My fourth point is this. Does the NIA have special investigative techniques? If yes, do they have the legislative approval and sanction? No. Now, in administrative and constitutional law, we follow the rule that any power is coupled with responsibility. May I know from the hon. Minister, the responsibility of the Government towards the victims? I can quote you numerous examples. Regarding Samjhauta blast case, the judge said that the NIA could not even produce the CCTV footage of the Delhi Railway Station. May I know from the hon. Minister whether the Government will issue a letter of apology to the accused of Malegaon blast who were exonerated by the Courts of law?

In this Schedule, you have included the IT Act. Can he confirm to this House that the ISIS in Khorasan had issued a video with my photograph stating that I am a *Ghulam* of this Hindu Nation – whether that video is there or not? Please tell that. The reason why I am saying that is this. The hon. Minister quoted that Hyderabad is a den of terrorists. The ISIS in Khorasan issued a video with my photograph. So, who am I? Am I for the nation or for the terrorists? Let the Government reply to that.

Sir, will you appeal against the Mecca Masjid blast? Who killed those nine people which included a 11-year old Hafiz-e-Quran? I had seen his body. His head was in two pieces. I cannot still go to his house. Why are you not appealing? Do you have a firm resolve against terrorism? Why are you not appealing against the Mecca Masjid blast? Who is responsible for that? Where is the accountability? Who is responsible for those 66 people who died in Samjhauta blast? Why are you not appealing? Why are you not appealing against the Ajmer blast? These are all terrorist offences and I hope that the Government will reply to it. नरेटिव क्या हो गया है, अगर विक्टिम मुसलमान है और एक्यूज नॉन मुस्लिम है, तो आप कुछ नहीं करेंगे।

इसके साथ ही मैं इस बिल को अपोज़ करता हूं।

(इति)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष, ओवैसी साहब ने दो-तीन बातें कही हैं, एक तो इज़रायल के बारे में और एक यूएस के बारे में, दोनो सॉवेरन कंट्रीज़ हैं। इसके बारे में रूल 352 के 7 में कहा गया है – "A Member cannot use treasonable, seditious and defamatory words."

माननीय अध्यक्ष: यह प्वाइंट बहुत लंबा है। मैंने पढ़ा है।

…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय सदस्य ने जितने केसेज़ के बारे में जिक्र किया है, वे केस भी ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में है, मैम्बर इस तरह से रेज़ नहीं कर सकते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे देख लूंगा।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): अगर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो इनको ट्रम्प से जरूर मिलवा दीजिए, गले मिलवा दीजिए।…(व्यवधान)

1449 बजे

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया।

आतंकवाद हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिका जैसा देश भी आतंकवाद का दंश झेल चुका है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एनआईए की शक्तियों को और मजबूत कर रहे हैं। अगर भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर कोई अटैक होता है, इसके लिए बिल का क्राइटेरिया बढ़ाया है।

(1450/MK/SRG)

अध्यक्ष महोदय, यह पूरा देश जानता है कि दो पूर्व प्रधान मंत्री आतंकवादियों के निशाने पर रहे और बेअंत सिंह जी जो पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री थे, हमारे सांसद भाई बिट्टू जी बोल रहे थे कि वे इनके दादाजी थे, उन्होंने पंजाब के अंदर आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बेअंत सिंह जी का केस भी अभी चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के केसेज को, हम लोग कानून बनाते हैं, आतंकवादियों को पकड़ते हैं और ये आतंकवादी पूरी जिन्दगी जेल की रोटियां खाते हैं, फिर उनमें से कई बरी हो जाते हैं, कई नहीं भी होते हैं, इसलिए एक सिस्टम होना चाहिए कि जिस कानून के तहत इनको पकड़ा जाए, उनका एक, दो, तीन, छ: महीने, एक साल या दो साल के अंदर डिस्पोजल होना चाहिए। जो निर्दोष होंगे वे तो बरी हो जाएंगे, लेकिन जो दोषी हैं उनको जेल के अंदर डाला जाए, फांसी पर चढ़ाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये आंतकवाद मिट नहीं सकता। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूगां कि उन्होंने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुए। आज आप देश में चाहे नार्थ ईस्ट जाएं या साउथ जाएं, हिन्दुस्तान के अंदर हर जगह देशभक्ति की धारा बह रही है। हर कोई कहता है कि मैं भारतीय हूं, मेरा सीना चौड़ा हो गया है। मैं गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कश्मीर के अंदर जो नौजवान पत्थरबाजी कर रहे थे, कुछ

अलगाववादी नेता, जिन्हें दुनिया भर की सिक्योरिटी पूर्ववर्ती सरकारों ने दी हुई थी, बहुत-सारा पैसा उनकी सिक्योरिटी में खर्च होता था, उसको वापस लिया जिसके कारण वे नेता डर के मारे कश्मीर के अंदर अपने घरों में दुबक गये और साथ-साथ वहां के नौजवान भी मुख्य धारा के अंदर आ गए।

अध्यक्ष महोदय, टाडा और पोटा की बात भी हुई, टाडा और पोटा के अंतर्गत कई दुर्दांत आतंकवादियों को पकड़ा गया और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। आतंकवाद को खत्म करने में टाडा और पोटा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंदर छोटे-मोटे दुरुपयोग भी हुए हैं, छोटे-मोटे दुरुपयोग तो होते ही रहते हैं। पार्टी के कई नेताओं को, जब वे सत्ता में थे, उनको जेल के अंदर डाला था। लेकिन, मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी ने उस तरफ से एक को भी जेल में नहीं डाला। कम से कम जांच कराकर, इतने बड़े-बड़े घोटाले हुए, कहा चले गए वे घोटले? …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अक्षरधाम और हमारी पार्लियामेंट पर भी अटैक हुए, आप इनके दुस्साहस देखिए, मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वे अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद घोषित कराएंगे। यह विश्वास पूरी दुनिया को है। एनआई द्वारा जितने भी केस हैंडल किये हैं, उनमें से 95 प्रतिशत केसेज़ के अंदर सजा कराई।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। अब दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे।

1453 hours

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Thank you, Speaker Sir, for the opportunity given by you. I will conclude my speech within two minutes. At the outset, I oppose the Bill further to amend the National Investigation Agency Act, 2008. I am forced to suspect the motive of the Government in bringing this amendment. The proposed amendments are aimed at attacking and scuttling any democratic struggle. If enacted into a law, this will be used to intimidate, threaten and victimize the persons and organizations who fight in a democratic manner. Our experience of the last five years and few months now only augment our fear that this amendment only seeks to empower the National Investigation Agency to unleash institutionalized terrorism against dissenting voices. Therefore, I oppose this Bill. Thank you.

(ends)

(1455/KKD/YSH)

1455 hours

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद, एक वो है जो वायदा करके भुला देते हैं और एक हम हैं जो उनके वायदों को भी निभा देते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैंने यह बात क्यों कही? तो मैं चिदम्बरम जी का भाषण पढ़ना चाहती हूं और उनके भाषण में, जब वह एन.आई.ए. बिल लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था:

> "There are no extraordinary provisions and there are no unusual provisions. I have explained broad features of the NIA. I would respectfully request all sections of the House to support the NIA . Let us allow this Bill to be passed. I know, there may be reservations about one clause or another clause but this is the time to demonstrate to the country that despite our reservation, we are all united. Let us pass the Bill. If in the working of the Bill, we find there are any deficiencies, then we will meet again. "

Unfortunately, he could not be in the House and we could not meet. So, I am here to complete that job, which is that the lacunae, which were found in the Bill need to be completed. Those lacunae are in the administration of justice.

बिट्टू जी ने बात कही उनके परिवार में शहादत हुई। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी की शहादत हुई, हमारे एक संसद सदस्य मनीष जी के पिताजी की शहादत हुई और उन सब शहदतों से कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीख ली और तय किया कि एन.आई.ए. बिल आना चाहिए because nature of terrorism has changed. Nature of terrorism is no longer restricted to the jurisdiction where the crimes are committed. When the objection by Mr. Owaisi was taken on the jurisdictional issue, I have to tell him that when IPC and CrPC were brought in in 1900 or so, at that time, there was no internet; at that time, the global movement was low; and at that point in time, the natures of crime were very different. So, criminal jurisdiction had a different point of view altogether. Today, crimes are cutting across nations; crimes are cutting across States; nature of crime has changed; planning is happening somewhere else and execution is happening somewhere else. Third is a transitional route. We are not just a global village but we are a global hub. In that global hub, we get into the problems, which are faced by other countries. I was just thinking about Sri Lanka bomb blast.

So, this particular Amendment and these particular enactments are with a view to support the UN Conferences on anti-terrorist activities. UN Security Council in Samjhauta Express blasts was talked about by Mr. Owaisi. I want to inform him that in that case there were three narcoanalysis of Nagori in which admission to the contrary has happened. Whatever has happened in so-called cases is because of poor and bad investigation. To strengthen investigation, to train the officers is what we need to do.

It is surprising that people, who have suffered due to terrorism in this country, are Members in this House and they are opposing a Bill like this. One objection, which was taken is the rule of law. Unfortunately, the Member, who had talked about the rule of law, is not present here. I have to inform him that the rule of law is prescribed by rules. When you are creating special courts, you are working under the rules. The power of the courts has not been taken away. In fact, the Judiciary has been brought in and the Chief Justice of a High Court is the appointing authority. By doing that, when you designate a court, you take away the problems of nominating particular Judges by name. Those notifications delay the prosecution of cases, and that delay in prosecution gets to be tackled by these amendments. Bittu-ji's objection was that ' इतने साल केस चलते रहते हैं उसी की वजह से तकलीफ है।' To handle that, this particular Amendment, which is necessary, has been brought in.

We all understand independence of Judiciary. Independence of Judiciary is ensured. Independency of Parliament, the Legislature, and the independence of Judiciary is very much part of this. This Act, in no way, hinders that.

There are four such courts, which have to be appointed at Guwahati, Kochi, Kolkata and Delhi. This particular aspect was told to West Bengal Government. Mr. Kalyan Banerjee is not here, but I want to inform him that his Government's role, while in the DG's case, was positive but in this particular case, the Government of West Bengal has not been cooperating in assigning this task of ensuring that there is a court, which is assigned as an NIA court.

(1500/RP/RAJ)

The word 'cyber terrorism' has been imported from Section 66(f) and a couple of Members talked about that. जब ओवैसी जी ने कहा है कि मेरे बारे में एक विडिया खोरसान में आईसीस ने चलाया कि मैं एक हिन्दुस्तानी हुकूमत का गुलाम हूं, आप बताइए कि आज की तारीख में उसको कौन-सी एजेंसी हैंडल कर सकती है, उसे कोई एजेंसी हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए यह अमेंडमेंट चाहिए।

If this amendment is not there, such videos or such issues will come. People from Kerala, so many of them visited ISIS, are involved in terrorism activities outside the country. Under which law, will you prosecute them? Under which law, will you investigate them? Under which law, will you cooperate with the external agencies of other countries? For doing all that, this gap needs to be filled. And for filling that gap and fulfilling the interests, which Mr. Chidambaram expressed at that time, this particular amendment has been brought in.

Now, coming to deletion of sub-sections 3,4,5,6 and 7 of Section 11 which is regarding the appointment of judges, this particular aspect was also brought in by Mr. Manish Tewari. I need to tell him that if a particular Court is assigned as a NIA Court, then these particular enactments become irrelevant and obscure. For that reason, these are unnecessary sections and that is why this amendment has happened.

The prosecutor's training was also brought in by Mr. Banerjee. I must tell him that the Bhopal Judicial Academy is not only dealing with training of judges but also it is dealing with the training of prosecutors as well.

Intervention in State's jurisdiction was what Mr. Mahtab brought in. Now, I must tell him, as I have already stated, if the nature of crime is different, the State Government …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Let the Minister to reply. You have not been nominated by the Minister. …(*Interruptions*)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, मुझे अपने भाषण में, जिन विषयों को लाया गया है, उनको डील करने का अधिकार है या नहीं।

माननीय अध्यक्ष : अधिकार है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, यह ऑब्जैक्शन क्या ले रहे हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The Minister may comment.…(*Interruptions*)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, मिनिस्टर मेरे भाषण पर भी कमेंट करेंगे। It only shows I was listening to all of you very carefully. I was not sleeping. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उनका जवाब न दें।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): भर्तृहरि महताब जी ने ज्यूरिडिक्शन की बात की है। I have already stated that the nature of crime has changed and since the nature of crime has changed, the State police is not equipped to deal with those aspects. It is for this reason, this amendment has happened. …(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Is the DGP not an Investigating Officer?…(*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): The DGP is not an Investigating Officer. He is only an administrative head. Mr. Mahtab, what are you saying? …(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): You are understanding my point that is why you are saying this. My point of contention here is this. You are informing the DGP when you are going to investigate. Why are you not involving him in investigation?

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): No.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): You cannot say 'no'. You have no authority to say this. I have asked the Government. I have repeatedly asked the Government: "You consider that."…(*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): I will say why I am saying this because I am a trained lawyer. …(*Interruptions*) Mr. Mahtab…

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाम लेकर न पुकारें।

माननीय सदस्य, आपस में डिबेट करने के लिए सदन नहीं है। आप मुझे संबोधित करें।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, जब आईपीसी के तहत क्राइम होता है और अरैस्ट वारंट अगर सीआरपीसी में निकाला जाता है, उसमें भी इंटरस्टेट क्राइम्स हो सकते हैं कि किसी ने दिल्ली में क्राइम किया और उत्तर प्रदेश में भाग गया तो उसके लिए कानून है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में यहां का इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएगा, वारेन्ट्स के साथ जाएगा, लोकल पुलिस को इंफॉर्म करेगा। उसको यहां प्रोड्यूस करेगा। यानी इंटरस्टेट के अंदर भी एग्जिस्टिंग जो बेसिक क्रिमिनल लॉ है, उसके तहत भी इंवेस्टिगेशन से लेकर अरेस्ट का प्रावधान है। इसलिए इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर की क्या सक्रिय भूमिका होगी, वह यह कानून बता रहा है। This law is giving NIA

officers the same powers as that of a police officer. Under those powers, the officer is allowed to investigate the matter wherever the crime may have happened. Now, I have given some examples as to why registration of case is important. If the crimes have happened in Syria or in Sri Lanka or in Bangladesh, what is the provision under which the Indian Courts or the Indian Judicial system will act? The first and the foremost is the registration of a case. Till these gaps are filled, the registration cannot happen and till registration of case happens, the evidence cannot be collected and till the evidence is collected, the persons cannot be prosecuted.

(1505/RCP/IND)

This is the first step under which registration of case becomes imperative and thus prosecution. ट्रांसफर होता है या कुछ होता है, to maintain the continuity of prosecution, the courts have been designated, rather than people, by notification. उन्होंने जो बात एग्जिस्टिंग सैशन जज के बारे में कही थी कि उन पर आलरेडी बहुत बर्डन होता है और यदि ये काम भी उन्हें दिए जाएंगे, तो ये सब करना उनके लिए संभव नहीं होगा।…(*Interruptions*) Let me complete.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप चेयर को संबोधित करें।

…(व्यवधान)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): So, the designation of a court helps in maintaining the continuity of prosecution even if people get transferred or go to some other jurisdiction. It is all meant for expeditious disposal.

Mr. Raja commented about communalisation of the Act. Let me explain to him, I can take him back to what Mr. Chidambaram said. I am quoting Mr. Chidambaram – 'कि वह जो था, वह कम्युनल लॉ था, यह सैक्युलर लॉ है, यह तो नहीं कहोगे। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने देश का बहुत नुकसान किया है।' What I am trying to say is this. This particular enactment is actually a secular enactment. It is not defining the religion of a terrorist or the religion of a criminal. In fact, in practical side of its jurisdiction, Left Wing terrorism, terrorism in North East and all these things have been handled in a pretty much exemplary way. चलते-चलते एक बात, I just want to point out that आलरेडी 8 चीजें लिस्टेड थीं। इन 8 चीजों के अंदर 4 चीजें और इम्पोर्ट की गई हैं। वे चार चीजें हैं Section 66F of the IT Act, the Explosive Substances Act क्योंकि जब टैरोरिज्म के केसेज इन्वेस्टीगेट करते हैं, तो बम या इस तरह का मैटीरियल उनके पास होता है, जिसका अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, इनके पास नहीं होता है इसलिए इस चीज को इम्पोर्ट करना जरूरी था। Trafficking of women and drug trafficking, हम लोग गोल्डन

क्रिसेंट और गोल्डन ट्राईएंगल के बिलकुल बीच में बैठे हैं, जहां सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, इसलिए उससे डील करने के लिए Sections 370 and 370A of the Indian Penal Code have been brought in. अलग-अलग तरीके की बंदूकें AK-47 वगैरह हैं, इन्हें आर्म्स एक्ट के अंदर इम्पोर्ट किया गया है और जो प्रोहेब्टिड आर्म्स हैं, उनका बोर तक डिफाइन करके शेड्यूल में डाला गया है, जो एंटी हाईजैकिंग या एटोमिक एनर्जी आदि से संबंधित हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप चेयर को संबोधित कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप उनको उत्तर क्यों दे रही हैं?

…(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, NIA has a pan-India presence in which 272 cases were registered. Judgements have been pronounced in 51 cases out of which conviction was secured in 46 cases. Overall, the conviction rate is more than 90 per cent. NIA has secured conviction of five Indian Mujahideen (IM) senior operatives including Yasin Bhatkal who has been awarded capital punishment for the twin blasts in Dilsukhnagar, Hyderabad and serial bomb blasts at Bodh Gaya. बातें कहते समय इन्हें पता होना चाहिए कि जिन 12 लोगों को पकड़ा गया और जिन पर जम्मू-कश्मीर में छ: केस तय किए गए, उसमें हाफिज़ मुहम्मद सईद, एलईटी ऑपरेटिव, सैयद सलाउद्दीन, हैड आफ हिज्बुल मुजाहिदीन, यासीन मलिक, चीफ आफ जेकेएलएफ, शब्बीर शाह, सैपेरेटिस्ट, आसिया अंद्राबी, चेयरपर्सन ऑफ दुखतरन-ए-मिल्लत, मसरते आलम, इन सबके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकी टैरेरिस्ट फंडिंग को कम किया गया है और इसलिए यह आवश्यक है कि एक तरफ धर्म को न जोड़ा जाए, लेकिन धर्म को जोड़कर जिस तरह की हरकतें पूर्व में हुई हैं, वे आपके सामने हैं। आपको यह भी जानकारी है कि उन्होंने कहा था कि accused is not guilty till proven guilty.

महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहती हूं कि The person is not guilty till proven. साध्वी प्रज्ञा जी के लिए किस-किस तरह की बातें कर रहे थे और जो पेंडिंग केसेज हैं, जो खत्म केसेज हैं, उनके लिए वे किस-किस तरह की बातें कर रहे थे।

(इति)

(1510/VB/SMN)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हमारे स्टेट में कितना टेररिज्म है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बाद में मंत्री जी से क्लैरिफिकेशन माँग लीजिएगा। गृह मंत्री जी सक्षम हैं।

…(व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): इससे पहले कि गृह मंत्री जी बोलें, हमारे एक मेम्बर को भी थोड़ा बोलने दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए एक मिनट का मौका दे दूँगा।

…(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): फारुख साहब, आप क्या गुज़ारिश करना चाहते हैं? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपके बोलने के बाद इनको क्लैरिफिकेशन का मौका देंगे।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): इनको बोलने दीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा स्टेट टेररिज्म में कितना इनवॉल्व्ड है।…(व्यवधान) हमारे एक वर्कर को गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन बेचारा एक पुलिस वाला उसमें घायल हो गया। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं गृह मंत्री जी को बोलने के लिए कह चुका हूँ। मंत्री जी के बोलने के बाद मैं क्लैरिफिकेशन कराने के लिए कहूँगा।

…(व्यवधान)

1511 बजे

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो हमारे एमओएस किशन रेड्डी जी देंगे, मगर चर्चा में कुछ चीजें आई हैं, आपके माध्यम से सदन के सदस्यों के लिए और देश की जनता के लिए मुझे लगता है कि उसे मेरे स्तर से स्पष्ट करना जरूरी है।

सबसे पहले बहुत-से सदस्यों ने कहा कि इसका मिसयूज़ होगा, ये होगा, वो होगा आदि। कुछ धर्मों के नाम भी दिये गये, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी दिये गये। मैं सबसे पहले सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी सरकार की इस कानून को मिसयूज़ करने की न कोई इच्छा है, न मंशा है, न ऐसा हम कभी होने देंगे। इस कानून का 'शुद्ध रूप से' उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। मगर उसको खत्म करते वक्त हम यह भी नहीं देखेंगे कि यह किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। ये दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जो कोई भी इसके दायरे में आएगा, जो कोई भी इस कानून की जद में गुनाह करेगा, उसको नसीहत देने का काम यह कानून करेगा। मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ।

दूसरी बात, काफी सदस्यों ने कहा कि 'पोटा' को रिपील करना पड़ा, 'टाडा' को रिपील करना पड़ा क्योंकि इनका मिसयूज़ हुआ था। मैं रिकॉर्ड क्लीयर करना चाहता हूँ कि 'पोटा' को मिसयूज़ के कारण रिपील नहीं किया गया था, बल्कि 'पोटा' को वोट बैंक बचाने के लिए रिपील किया गया था। 'पोटा' का कोई मिसयूज़ नहीं हुआ, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। 'पोटा' एक कानून था, जो देश को आतंकवाद से बचाता था, 'पोटा' एक कानून था, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करता था, 'पोटा'

एक कानून था, जो आतंकवादियों के जेहन में भय पैदा करता था। जो इसके खिलाफ काम करते थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाता था और फाँसी के तख्ते पर चढ़ाता था। उस कानून को वर्ष 2004 में यूपीए सरकार के आने के बाद पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में रिपील किया गया था।…(व्यवधान) मैं मानता हूँ कि यह एक राजनीतिक कदम था। हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक कदम उठाइए, परन्तु संसद के सदन का उपयोग तो राजनीति के लिए न कीजिए। …(व्यवधान) आप ऐसा कहेंगे कि 'पोटा' का मिसयूज़ हुआ था और जो पकड़े गए, इस धर्म के कितने गए, ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों पर कार्रवाई होती थी। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)… *(Not recorded)*

श्री अमित शाह: मैं कांग्रेस के सदन के नेता को कहना चाहता हूँ कि हमने रिपील नहीं किया था। वह एक्सप्लानेशन ही पॉलिटिकल था। …(व्यवधान) जब ये बोल रहे थे, तो हम इस तरह की बहस नहीं कर रहे थे। अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी, आप सक्षम हैं।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): When the entire discussion was held, there was absolutely no interruption from this side. Now, it is your turn. Please listen to him. The hon. Home Minister is replying. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I want to listen with rapt attention. …(*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: With rapt attention, you are trying to disturb him. I am telling you that it is unfair. I am only appealing to you. This is a very important enactment that we are bringing. Kindly listen very patiently. If you have got any clarification, you will have ample opportunities for that. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I want to get enlightened by the hon. Minister. …(*Interruptions*)

(1515/PC/MMN)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया था। पूर्व में भी व्यवस्था न होने के बाद भी जब कश्मीर के विषय पर चर्चा हो रही थी, तो माननीय मंत्री जी से मैंने आप सबका क्लैरिफिकेशन कराया था। मैं सभी सदस्यों को सदन के अंदर पर्याप्त मौका देता हूं। मैं सरकार से भी यह अपेक्षा करता हूं कि हर सदस्य का क्लैरिफिकेशन सरकार करे। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप टेबल पर कागज़ भेजिये। अगर आवश्यकता होगी और विषय ऐसा होगा, तो निश्चित रूप से मैं आप सबका सरकार से क्लैरिफिकेशन कराउंगा। माननीय गृह मंत्री जी, अब आप बोलिये।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो कहा, उसके समर्थन में मैं कुछ और कहना चाहता हूं। पोटा को रिपील करना उचित कदम नहीं था, ऐसा मेरा आज भी मानना है। न केवल मेरा, बल्कि ढेर सारी सुरक्षा एजेंसियों के अंदर सालों तक सर्विस करने वाले अफसरों को भी यह मानना है कि पोटा को रिपील करना ठीक नहीं था। इसके परिणाम क्या हुए? वर्ष 2004 से वर्ष 2008 तक देश में आतंकवाद इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, कि जिस एनआईए को आज हम और ताकत देने जा रहे हैं, वह यूपीए सरकार को ही लेकर आनी पड़ी। देश के अंदर स्थिति काबू में नहीं रही। जब मुंबई के अंदर बम ब्लास्ट हुए, घंटों तक आतंकवादी अपना तांडव दिखाते रहे, तब जाकर एनआईए लाने का फैसला हुआ। अगर पोटा न हटाया जाता तो देश के अंदर वह आतंकवाद की स्थिति न होती, शायद मुंबई ब्लास्ट भी न होता।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कोई भी कमेंट करते हैं तो देश की जनता इस सदन के बारे में क्या सोचती है, सदन के सदस्यों के बारे में क्या सोचती है, सदन 'एज़ ए होल' का इंप्रेशन दुनिया में फैल रहा है, हम देश की जनता के मन में क्या संदेश दे रहे हैं, इन सब बातों को सोचकर बोलना चाहिए, सिर्फ कोरी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। ओवैसी साहब ने कहा मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, हिंदुओं पर नहीं होती। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है कि जब तमिल ऑर्गनाइज़ेशन टैररिज़्म करती थी, तब भी कसकर कार्रवाई होती थी। किसी ने किसी का धर्म का नहीं देखा है, न देखना चाहिए, मगर जब हम यहां खड़े होकर इतने गंभीर मसले पर अपनी तकरीर देते हैं, अपना भाषण देते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि इसके दूरगामी असर होते हैं। इससे टैररिस्ट्स का मोराल भी बढ़ता है। टैररिस्ट्स को काबू में रखने के लिए एजेंसी को और ताकत देने की बात हो और सदन एकमत न हो, इससे आतंकवाद फैलाने वालों का मनोबल बढ़ता है। मेरा सभी दलों के लोगों से यह अपील है कि यह कानून देश के टैररिज़्म को टैकल करने के लिए, हमारी एजेंसियों को और ताकत देने के लिए है। कल यदि कोई हमारे दूतावास को उड़ा देगा तो एनआईए कैसे जांच करेगा?

माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। लंका में हमारे लोग मारे गए, बांग्लादेश में हमारे लोग मारे गए, हमारी एजेंसी के पास वहां जाकर जांच करने का कानूनी अधिकार नहीं है। हम अपनी एजेंसीज़ को वह कानूनी अधिकार देने के लिए यह बिल लेकर आए हैं। …(व्यवधान) इस पर टिप्पणी करने की जगह अगर पुराने खाके और पुराने हिसाब निकालने हैं तो आप अध्यक्ष जी से समय मांग लीजिए, और मन खोलकर चर्चा कीजिए, मैं भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं। …(व्यवधान) जहां तक एनआईए को और ताकत देने का सवाल है, यह सदन एकमत रहे, एकजुट रहे, यह देश की जनता को संदेश देने के लिए भी ज़रूरी है, दुनिया को संदेश देने के लिए भी ज़रूरी है और सब से ज़्यादा आतंकवादियों को संदेश देने के लिए ज़रूरी है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, फारूख साहब ने जम्मू कश्मीर का एक मसला उठाया है। उनकी पार्टी के एक मेंबर, एक रिटायर्ड जज साहब थे, वो किसी के घर गए थे, वहां फायरिंग हुई है, जिसमें एक सिक्योरिटी पर्सनल को थोड़ी चोट भी लगी है। फारूख साहब, मैं आपकी इस बात की, आपके इस कन्सर्न को नोट करता हूं। तंत्र इसके पीछे पड़ा है और मुझे भरोसा है कि हम जल्द ही इसके मूल तक पहुंचेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह राज्य मंत्री जी।

1519 बजे

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी पार्टियों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं सबसे पहले सभी सांसद महानुभावों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार आतंकवाद के खिलाफ है। देश को आतंकवाद से बचाने के लिए हम यह एक्ट लेकर आए हैं।

(1520/SPS/VR)

इसमें संसद की जिम्मेदारी बनती और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम यह एक्ट लाए हैं। आदरणीय सांसद श्री मनीष तिवारी जी ने सिविल लिबर्टी के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में फ्री एण्ड फेयर प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया। मैं आश्वसन दिलाना चाहता हूं और अभी हमारे आदरणीय होम मिनिस्टिर साहब ने आपके सामने बताया भी है। फेडरल सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके द्वारा संसद को बताना चाहता हूं कि स्टेट की जितनी भी पुलिस एजेंसीज हैं और हमारी एनआईए एजेंसी है, सब मिल-जुलकर काम करें। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। It has been provided in our Constitution that there exists well-established interagency intelligence dissemination platform for terrorism related acts and intelligence inputs. The Multi Agency Centre (MAC) has been strengthened and reorganised and enabled to function 24x7 basis with real time coalition of sharing intelligence with intelligence agencies of State which ensures the information between State and Central agencies and Subsidiary Multi-Agency Centres (SMACs) mostly the State capitals and connected MAC.

स्टेट और सेंटर के साथ हमारी एन.आई.ए. का लगातार तालमेल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टेट में कोई दखल नहीं देंगे। स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टेरेरिज्म के विषय पर मिल-जुलकर काम करेंगे। संसद में बैठकर स्टेट और सेंट्रल के भेदभाव की बात नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, इण्टरनेशल कार्यवाही के बारे आपको क्या अधिकार है, कैसे आप विदेश में जाकर करेंगे? संसद में कुछ लोग बोले कि पाकिस्तान में जाकर कैसे कार्यवाही करेंगे? पाकिस्तान के साथ कैसी इन्वेस्टीगेशन करनी चाहिए, हम यह पुलवामा और पठानकोट के बाद बता चुके हैं। हमारी नरेन्द्र मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ कैसी इन्वेस्टीगेशन करती है, यह हम बता चुके हैं।

अब मैं दूसरे देशों की बात कर रहा हूं। There is a SAARC Convention (Suppression of Terrorism) Act, 1993, which provides for extra territorial jurisdiction for investigation of terrorism offences. The Act is appended to the Schedule to the NIA Act.

जो आपने एक्ट बनाया है, कांग्रेस सरकार ने जो एक्ट बनाया है, इसको भी सार्क के साथ जोड़ा है। विदेशें में जाकर कार्यवाही करने को एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब हमें कुछ करना चाहिए। जब सरकार ने एक्ट बनाया तो उसमें जो इश्यूज़ हैं, मैं उनको बताता हूं। The Acts which are

appended to the Schedule to the NIA Act are the Atomic Energy Act, 1962, the Unlawful Activities Prevention Act, 1967, the Anti-Hijacking Act, 1982, the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act, 1982, the SAARC Convention (Suppression of Terrorism) Act, 1993, the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act, 2002 and the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005. So, anything that is waging war against our country is looked through this Act. बहुत कुछ ऐसा है, जिसमें आपकी सरकार के समय में ठीक तरह से काम नहीं हुआ है। इसलिए हम एन.आई.ए. को अमेण्डमेंट के साथ ठीक तरह से लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, अभी कोर्ट के बारे में भी बात की गई है। विदेशों के बारे बोलते हैं, इसमें अन्य 2-3 एक्ट हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings also provides for extra territorial jurisdiction. This is an international Act. Then, there is the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act, 2002. यह इण्टरनेशनल एक्ट है।

(1525/KDS/SAN)

इसके अंदर भी विदेशों के साथ समझौता करते हैं। समय-समय पर जिस देश में जो भी इंसिडेंट होते हैं, उस देश के साथ बात कर सकते हैं। आज जितने भी देश हैं, वे टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग टेररिज्म के बारे में, हिन्दू-मुस्लिम के बारे में बोलते रहते हैं। आदरणीय डीएमके सांसद श्री राजा जी ने हिन्दू-मुस्लिम के बारे में बोला है। टेररिज़्म का कोई मजहब नहीं है, टेररिज़्म का कोई रिलीज़न नहीं हैं, टेररिज़्म की कोई कास्ट नहीं है, टेररिज़्म का कोई रीजन नहीं है। टेररिज़्म, टेररिज़्म है। यह ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। यह कोई जेंडर भी नहीं है, इसीलिए टेररिज़्म के खिलाफ लड़ना सारी दुनिया की जिम्मेदारी है, सांसदों की जिम्मेदारी है, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह चौकीदार की सरकार है और देश की रक्षा के लिए हमारे चौकीदार सदा आगे रहेंगे।

अध्यक्ष जी, अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर होते हैं, उनकी स्टेट टेरिटरी में होते हैं, उसमें ये नहीं आते हैं। जो इंटर स्टेट के इशूज़ होते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू लेते हैं। इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंटर स्टेट हो, इंटरनेशनल भी हो, इस विषय पर एनआईए को इसमें अधिकार दिया गया है। एनआईए रेगुलरली, जिस भी केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, जिस स्टेट में आतंकवाद की गतिविधि हुई है, उस स्टेट के चीफ सेक्रेट्री को चिट्ठी लिखते हैं। उस स्टेट के डीजीपी को चिट्ठी लिखते हैं। उस स्टेट के इंटेलीजेंस चीफ को चिट्ठी लिखते हैं कि आपके पास जो इसका विषय है, उसे हमें दीजिए, उसके बाद हम भी आना चाहते हैं। वैसी बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस

स्टेट में जाकर एनआईए आतंकवाद के विषय पर इन्वेस्टीगेट करती है। ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो आप लोगों को मालूम नहीं है। आपके स्टेट्स के जितने भी डीजीपीज़ हैं, उनसे बात करिए, किसी भी डीजीपी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनआईए मिलजुलकर काम करने वाली एक संस्था है।

अध्यक्ष जी, मैं केसेज़ के बारे में बोलना चाहता हूं कि 90 जजमेंट कैसे कैसे हो गए। अभी तक 272 केसेज़ में एनआईए ने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरु किया है। उसमें से 51 केसेज़ में कोर्ट ने जजमेंट दिया है। 51 केसेज़ में से 46 केसेज़ में दोषी कनविक्ट हो गए हैं। मैंने इसके लिए 90 परसेंट बोला था। आदरणीय सुप्रिया सुले जी, जो जजमेंट्स हुए हैं, उनमें 90 परसेंट लोगों को कनविक्शन हुआ है, ऐसा मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी बात, 272 केसेज़ में से लगभग 199 केसेज़ में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स में, स्टेट पुलिस में बहुत अलग-अलग तरह के केसेज़ रहते हैं। उसमें ठीक तरह से काम नहीं होता है,इसीलिए हम इसे और मजबूती देना चाहते हैं। कन्विक्शन रेट 90 परसेंट कैसे हुआ, ये मैं बता चुका हूं। दूसरी बात, मालेगांव केस भी उठाया गया है। स्पेशल पी.पी. रोहिणी जी ने स्टेटमेंट भी दिया है।

The SLP is pending in hon. Supreme Court. Since the matter is *sub judice*, it will not be proper to comment. Secondly, the issue of judges has been raised. I would like to clarify that the appointment of judges of NIA Special Courts will continue to be done by the Chief Justice of the High Court concerned as is being done now. जैसा हो रहा है, फ्यूचर में भी वैसा ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। The proposed amendments are for simplification and to avoid delay as our Government wants to make sure that the terrorists are punished quickly in accordance with the legal provisions. The amendment will result in speedy investigation and prosecution that improves NIA's performance. दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के इशूज़ पर हायर कोर्ट्स क्या करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो एक्ट है, उसके अंदर उस केसेज़ को प्रॉसीक्यूट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है। अनलॉफुल एक्टीविटीज़, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, उसके अंदर जितने भी केसेज़ हो सकते हैं, उन केसेज़ पर स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टीट्यूट करके उनको स्पीड अप करना है, वह अधिकार देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट के जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना-देना नहीं है।

(1530/SJN/RBN)

दूसरे, यह सिर्फ अपने ही देश में नहीं है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनका अपना कॉन्सिट्यूशन है, उनका हमारे जैसे बहुत देशों के साथ समझौता है। वह जहां पर जा सकते हैं, तो वहां पर इंडिया भी जा सकता है। हम बातचीत करके आ सकते हैं। हम भी फ्लाइट से तुरंत उतरकर, जाकर इन्वेस्टीगेशन नहीं करते हैं। उसके पहले हमारे ऐम्बेसडर जाते हैं, बात करते हैं, क्या केस है यह देखकर, तुरंत जाते हैं। आप सब लोगों को मालूम है। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। इसलिए एक

सिस्टम है, सब देशों के साथ बातचीत करके उनकी अनुमति से इन्वेस्टीगेशन करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल और यूनाइटेड नेशन लेवल पर टेरेरिज्म के विषय पर एक एग्रीमेन्ट हुआ है। यह एक देश की समस्या नहीं है, यह ग्लोबल इश्यू है। इसके लिए सभी देशों के साथ एग्रीमेन्ट्स है, उस एग्रीमेन्ट्स के अंतर्गत काम होगा।

मैंने जवाब दिया है, कर्नाटक के बारे में, दाबभोलकर के बारे में और अन्य के बारे में भी बात की है। उधर कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं। हम भी चाहते हैं कि देश के अंदर किसी भी व्यक्ति की आतंकवाद के कारण हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे पहले श्री रवनीत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अच्छी बात की है। उनके दिल को मालूम है, उनको दुख होता है। हमारी सेना काम करती है, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, हमारी पुलिस के लोग और आम जनता की किसी आतंकवादी के कारण किसी एक आदमी का भी बलिदान हो जाए, तो उसके परिवार को कितना दुख होता है, वह रवनीत सिंह जी को मालूम है। सभी लोगों को इसको समझना चाहिए कि इसमें राजनीति नहीं है। किसी मजहब का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए यह काम होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असादुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान और इजराइल की बात की है। आपने इजराइल की बात की है।…(व्यवधान) इजराइल हो या कोई दूसरी और कंट्री हो, हमारे लिए सब एक ही है।…(व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि हिन्दू-मुस्लिम और इस आतंकवाद के विषय पर हमारा कोई नहीं है।…(व्यवधान) मैं जनरल बात कर रहा हूं।…(व्यवधान) हमारे लिए चाहे पाकिस्तान हो या फिलिस्तीन हो…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : वह सुनना नहीं चाहते हैं। आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए।…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, हमारी और हमारी सरकार के लिए चाहे पाकिस्तान हो या फिलिस्तीन हो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप उनका जवाब मत दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, हमारे लिए चाहे फिलिस्तीन हो या इज़राइल हो, हम दोनों देशों से दोस्ताना करते हैं, दोनों देशों के साथ मिल-जुलकर रहते हैं। किसी से हमारा कुछ भी नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। मैंने आपको मौका दिया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह राज्य मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

… (*Interruptions*)… *(Not recorded)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब मत दीजिए। गृह राज्य मंत्री जी सक्षम हैं।

…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, हमें और हमारी सरकार को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार को भारत के 130 करोड़ की जनता ने अपनी रक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। हिन्दू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हमारे लिए सब एक ही है।...(व्यवधान) इस देश में हिन्दुओं को, हिन्दुओं के भगवानों को, राम को, 15 मिनट पुलिस को हटाओ, भारत के 130 करोड़ हिन्दुओं को...(व्यवधान) ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। उनको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। यह संसद में बोलना कोई जरूरी नहीं है। 15 मिनट पुलिस को हटाओ, हम इस देश और हिन्दुओं को देख लेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैंने हमारे गृह मंत्री जी को परसों बताया है। हमारी सरकार आने वाले दिनों में आतंकवाद को जड़ से उखाड़कर फेंकने की जिम्मेदारी लेगी।....(व्यवधान) इस देश के चौकीदार के नाते हम जीतकर आए हैं। देश की सेवा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, चौकीदार के साथ काम करेंगे। इसलिए, मैं सभी सांसदों से बोलता हूं कि राजनीति से ऊपर उठिए। यह राजनीति से संबंधित नहीं है, यह देश से संबंधित विषय है। यह आतंकवाद का विषय है।

(1535/GG/SM)

कुछ सदस्यों ने बोला कि एनआईए को स्ट्रेंथन करना है, उनका स्टाफ बढ़ाना है। यह सब मैं जरूर मानता हूँ। हम भी इस पर सोच रहे हैं। हम अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस को जोड़ रहे हैं। उसके लिए हम आने वाले दिनों में एनआईए को एक शक्तिशाली, एक इनवेस्टिगेशन प्रॉसिक्यूशन एजेंसी बनाना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग इस बिल का समर्थन कीजिए। यह मज़हब से संबंधित नहीं है। यह राजनीति से संबंधित नहीं है। हम सब मिल कर इसको करना चाहते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस देश में मुख्य मंत्री को भी आतंकवाद के खिलाफ बलिदान देना पड़ा है। प्रधान मंत्री को भी आतंकवाद के कारण बलिदान देना पड़ा है। माज़िब प्रधान मंत्री भी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री को भी आतंकवाद के कारण बलिदान देना पड़ा है। अभी-अभी पुलवामा में हमारे पैरामिलिट्री के, सीआरपी के 40 जवानों को आतंकवाद के कारण बलिदान देना पड़ा। उनका परिवार गरीब होगा, वे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए और देश की सेवा करने के लिए आए होंगे, मगर वे सब भी इंसान हैं, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनके पिता हैं। आतंकवाद को किसी भी तरह से हम इस देश में आने वाले दिनों में खत्म करने के लिए मिल जुल कर प्रयास करेंगे। जय हिन्द।

(इति)

1537 hours

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Speaker, Sir, it is nobody's concern that the problem should not be addressed. Our concern is that the mechanism evolved or sought to be employed must be in tune with the Constitution.

We say that the parent Act of NIA is not in conformity with the Constitution. If offends the Constitution and it offends the superior mandate of Part III of the Constitution. Now, what is the superior mandate of Article 21? It is said that had there been only Article 21, that would suffice in absence of even Part III of the Constitution."

Article 21 guarantees right to life and personal liberty. Personal liberty is multi-dimensional. Article 21 provides that nobody should be deprived of his life and his personal liberty except according to procedure established by law. …(*Interruptions*) What does Supreme Court say?…(*Interruptions*) Supreme Court says that the procedure should be just, fair and reasonable. Whenever we say 'just, fair and reasonable', it includes all the three stages – investigation, trial and sentence.

One of the dimensions of Article 21 is access to justice. Now, let us see, law in action. Sir, in case of Jammu and Kashmir, it is an unbridled power of the Central Government to have a designated court. Previously it was constituted at any place they liked irrespective of the place of registration of the cases. Now take the case of Jammu and Kashmir. We do not have any NIA court designated or appointed in Kashmir.

People from far-flung areas, from Nobra, Zanskar, Teetwal etc. have to come all the way to Jammu for a simple application. Is it not a denial of access to justice? Is the law in tune with the mandate of the Constitution? Is the law in conformity with what has been laid down by the Supreme Court?

Sir, That was the parent Act. It was so vividly and objectively put forth by Shri Manish Tiwari Ji. He touched all the dimensions. Regarding conflict of jurisdiction, in case of Jammu and Kashmir, we do not have the State List. Hon. Member referred to conflict between the Union List and the State List. In our case, there is no State List. Whatever powers we have given to the Centre, all

the power have been retained by the State. So, in case of Jammu and Kashmir, there is enough reason that the Act should not be applied. …(*Interruptions*).

Now, let us come to the proposed amendment. The first thing is in relation to the setting up of a court so that we have access to justice to the people who are suspected to be involved in any activity. People experience great inconvenience in Jammu and Kashmir because the court is not set up. Where will they go? That is the real problem.

Let us come to the second proposed amendment. There can be no disagreement that Government can go for extra territorial jurisdiction for investigation. Whether that will bear any fruit or whether that will have any kind of benefit in real terms, that is to be seen. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य अगर आपको कोई स्पष्टीकरण करना है तो कर दीजिए। इस पर कोई क्लैरिफिकेशन करना है तो कर कर दीजिए।

…(व्यवधान)

(1540/AK/KN)

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): The second issue is that you are depriving the High Court …(*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, there should only be clarificatory questions after the reply of the hon. Minister. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको अगर कोई क्लेरिफिकेशन करनी है तो कर लीजिए।

श्री कल्याण बनर्जी। मैं पहले माननीय सदस्यों को आग्रह कर दूँ कि मैं किसी के लिए घंटी बजाऊँ या टोकूँ, आपको किसी विषय पर क्लेरिफिकेशन माँगनी है तो माँग लीजिए। पूरा भाषण नहीं, प्लीज। श्री कल्याण बनर्जी।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker, Sir, the hon. Minister of State has mentioned that it is a global problem and all countries have entered into an agreement. I want this clarification from him. Has Pakistan signed that agreement allowing the NIA to enter inside Pakistan and conduct investigation in accordance with the provisions of the NIA Act or not?

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सत्यपाल सिंह।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश में एक भी ऐसा कानून है, जिसका आज तक दुरुपयोग नहीं हुआ? अगर किसी केस में, किसी कानून के तहत कोई निर्दोष छूटा है, क्या वह कानून की कमजोरी के कारण छूटा है, इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कमी के कारण छूटा है या कोर्ट में दूसरे प्रोसीक्यूटर के कारण छूटा है?

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी, बस एक क्लेरिफिकेशन कर लीजिए। दूसरी पूछेंगे तो मैं टोक दूँगा।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, दूसरा मिनट नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष : मिनट नहीं, एक क्लेरिफिकेशन। जैसे श्री कल्याण बनर्जी ने क्लेरिफिकेशन पूछी, वैसी क्लेरिफिकेशन पूछ लीजिए।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल क्लेरिफिकेशन पूछूँगा। मैं गृह मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने अपने वक्तव्य के दौरान भी वह बात कही थी। गृह मंत्री जी, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक खण्डपीठ ने अवैध ठहराया था। पता नहीं, वह फैसला आपके संज्ञान में हैं कि नहीं, पर उस फैसले को आप अपने संज्ञान में ले लीजिए। छः वर्ष हो गए, वह मामला एक संवैधानिक खण्डपीठ के पास लंबित है। क्या आप अपने अटॉर्नी जनरल से यह कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय में जाकर कोर्ट से यह कहे कि इस मामले की सुनवाई करके इसका फैसला कर दे। यह बात तय हो जाए कि सीबीआई लीगल ऑर्गेनाइजेशन है कि इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन है? मेरा सिर्फ इतना आपसे स्पष्टीकरण है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। सदन में एक अच्छी चर्चा हो रही है, सब को बोलना है। श्री पी.पी. चौधरी, विद्वान अधिवक्ता हैं।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, the object of the Bill is to provide speedy investigation and prosecution. This is a very well drafted Bill and it is the need of the hour. But I would like to ask one clarification on this issue. This Act provides so many enactments under which the crime is committed and the NIA can investigate, but there are so many parallel agencies in our country including four enforcement agencies.

According to me, if we want speedy investigation to be conducted, then we should pool the evidences and manpower? I believe that there should be a Joint Investigation Council, and the evidence of different agencies can be provided to this Joint Investigation Council.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I have to ask just one question. Under the Bill, the Minister is designating existing Sessions Courts to double up as Special Courts. The question that I have here is this. Are the designated courts continuing to deal with their other cases that they were dealing with earlier? If this is the case, then are we not just adding to the clogging of the judicial system, which already has such a backlog? Should we not have special courts for terrorists rather than designating Sessions Courts for it? It was there in the old law, and you have not changed the law. Please consider it.

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, आपका बहुत भाषण होता है, छोटी सी क्लेरिफिकेशन पूछ लीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि 199 चार्जशीट किए हैं आउट ऑफ 272 केसेस, 91 केस अवार्ड हो चुके हैं, 46 कन्विक्शन हुए हैं, 90 परसेंट कन्विक्शन। ठीक है, यह अच्छा है। लेकिन इसमें कितना समय लगा है, इसमें टाइम स्पेंड क्या है? अगली बार आप कोई टाइम फ्रेम बनाएँगे कि एक केस इनवेस्टिगेशन से अवार्ड तक कितना समय लगा? आप टाइम फ्रेम की सोच रहे हैं। दूसरी बात, बंगाल में आज तक कितने केसेज़ हुए हैं, जो एनआईए में शामिल हुए हैं? खागड़ागढ़ एक्सप्लोसन का नतीजा क्या है?

(1545/SPR/CS)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, the whole Act deals with terrorism. Terrorism has not been defined as the amendment that is being effected today relates to the United Nations Organisation which has suggested certain provisions to be made. As it relates to the collective responsibility of the Government, I would like to understand as to what steps have been taken at the United Nations level because that is India's point of view. We should always put forth our point of view in different international forums in defining terrorism. Dr. Tharoor, I know you were there as the Under Secretary in the United Nations. In West Bengal terrorism is defined in a different way; in Uttar Pradesh, terrorism is defined in another way.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I have a pointed question. In the reply, the hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs said that he had an issue with Kalburgi *ji* and Gauri Lankesh because it was a Congress Government. In my State, about Dabholkar *ji* and Pansare *ji,* आप उनको कब न्याय देंगे? यहाँ भी आपकी सरकार है और महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है।

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, आप केवल एक क्लेरिफिकेशन कीजिएगा।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, बिल्कुल। मैं आपका प्रोटेक्शन चाह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मेरा पूरा प्रोटेक्शन है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, ये मुझे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, यह मुझे मालूम है।…(व्यवधान) देखिए सर, मुझे देखते ही इन्हें कुछ हो जाता है।…(व्यवधान)

सर, मैं आपके जरिये से हुकूमत से पूछना चाह रहा हूँ कि इन टेररिस्ट केसेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि विटनेसेज होस्टाइल होते हैं। क्या आपकी सरकार विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करेगी? International criminal court statute साइन करेगी। आप हैदराबाद मक्का मस्जिद, अजमेर, समझौता वाले केस में अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं, आप किसको बचा रहे हैं? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री अमित शाह: महोदय, हसनैन साहब से शुरू होकर एक के बाद एक माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। इनमें से कुछ प्रश्न एनआईए संस्था के बारे में हैं, कुछ प्रश्न एक्ट के बारे में हैं और कुछ प्रश्न दायरे के बाहर भी हैं।

हसनैन साहब ने पर्सनल लिबर्टी और उनके अधिकारों के आर्टिकल 21 की दुहाई दी और कहा कि बहुत दूर जाना पड़ता है। हसनैन साहब जब डेजिग्नैटिड कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट होती है, वह हर एक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर एक ही होती है। ये रेयर टाइप के गुनाह होते हैं। टेररिज्म के गुनाह हर घर में हों, ऐसा न हम चाहते हैं और न होने देंगे। ऐसे गुनाह कम ही होते हैं, इसलिए एक राज्य में एक ही कोर्ट होती है। आपको पर्सनल लिबर्टी की इतनी चिंता है, जो लोग टेररिज्म के अंदर मारे जाते हैं, क्या आपको उनकी विधवाओं और बच्चों की चिंता नहीं है? हमें उनकी भी चिंता है। जहाँ तक सुविधा का सवाल है, असुविधा का सवाल है, यह सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, हर राज्य के अंदर एक कोर्ट बना है। मानो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में बना है, तो कच्छ से कोई पकड़ा जाएगा तो उसे अहमदाबाद आना पड़ेगा। केरल के अंदर तिरुवनन्तपुरम में बनेगा तो पूरे केरल से वे लोग वहाँ आएंगे। इसको कश्मीर के साथ अन्याय करके खड़ा मत कीजिए, कश्मीर की जनता अब इसे जान चुकी है। इस प्रकार का प्रचार अब चलने वाला नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके इससे बाहर निकलिए।

माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी जी ने पूछा कि पाकिस्तान इसके अंदर समाहित होगा या नहीं होगा। वैसे तो सार्क का एग्रीमेंट है, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है, मगर पाकिस्तान अगर इसमें समाहित नहीं होता है, तो एनआईए के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वहाँ पर भी हम टेररिज्म पर स्ट्राइक करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। जिन-जिन देशों में हमें परमीशन है, क्या हम उन्हें इसलिए छोड़ दें कि पाकिस्तान इसमें नहीं आता है।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): ज्यादा पाकिस्तानी करते हैं, इसलिए मैंने यह कहा।

श्री अमित शाह : मैं आपको समझाता हूँ। अब आप बहस नहीं कर सकते हैं। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। मानो कोई पाक प्रेरित आतंकवादी ने ही अमेरिका के दूतावास पर हमला किया और हमारे लोग मारे गए, तो हमें केस चलाना है या नहीं चलाना है। क्योंकि पाकिस्तान साइन नहीं करता है, तो हम पूरी दुनिया को छोड़ दें। यह क्या बहस हुई? उसको भी दुनिया के दबाव में एक न एक दिन इस ट्रीटी को साइन करना ही पड़ेगा और उस दिन यह एक्ट वहाँ पर एप्लाई हो जाएगा।

(1550/RV/UB)

अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास और रास्ते हैं। मनीष जी ने कहा कि सी.बी.आई. अवैध है। अभी यह मामला लम्बित है। इस पर किसी का कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है। लेकिन, अगर यह अवैध होती तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान काँग्रेस का ही होता क्योंकि सी.बी.आई. का जितना मिसयूज काँग्रेस ने किया है, शायद उतना किसी ने नहीं किया।

पी.पी. चौधरी साहब ने पैरेलल एजेंसी के बारे में कहा। किसी केस को जब एक बार एन.आई.ए. पिक-अप करती है तो उसके अन्दर किसी स्टेट एजेंसी का दखल नहीं रहता है। एन.आई.ए. के पास राज्यों की एजेंसियों को और इस विषय के निष्णात लोगों, इसके एक्सपर्ट्स की सहायता को हायर करने का भी इसके अन्दर प्रावधान है। इसलिए जो जांच होती है, वह फुलप्रुफ होती है।

शशि थरूर जी ने पूछा कि क्या डेज़िग्नेटेड कोर्ट दूसरे केस लेगी? यह कोई दूसरा केस नहीं लेगी। डेज़िग्नेटेड कोर्ट केवल और केवल एन.आई.ए. के केसेज लेगी। इसलिए केसेज जल्दी चलेंगे। हम यह प्रावधान इसलिए लाए हैं कि कभी-कभार जज रिटायर हो जाते हैं, कभी-कभार उनका ट्रांसफर हो जाता है, कभी-कभार प्रमोशन हो जाता है, जिससे कोर्ट काफी लम्बे अर्से तक खाली रहती है। डेज़िग्नेटेड कोर्ट करने का मतलब है कि उसका चार्ज जिसके पास जाएगा, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देंगे, वह ऑटोमैटिकली एन.आई.ए. कोर्ट का जज बन जाएगा। उसके पास से बाकी के केसेज ऑटोमैटिकली निकल जाएंगे। यह स्पष्ट है।

अधीर रंजन जी ने टाइम फ्रेम की बात की। अधीर रंजन जी की बात सही है, मगर हम कानून के राज में जीते हैं। हम किसी को पकड़ेंगे, केस रजिस्टर करेंगे, इंवेस्टीगेशन करके चालान करेंगे। उस चालान को कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। उसकी प्रोसीडिंग्स होगी। इसके लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बाद में क्वैशिंग पिटीशन फाइल करेंगे। उसके ऊपर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसलिए टाइम फ्रेम सिर्फ डेज़िग्नेटेड कोर्ट के कर देने से तय नहीं किया जा सकता है। यह लीगल प्रोसीडिंग्स है और किसी के भी कानूनी अधिकार को हम किसी एक्ट से रोक नहीं सकते। इसलिए इसमें जो देरी हो रही है, इसमें हमारे संविधान की जो ख़ूबसूरती है कि हर एक को अपना बचाव करने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके कारण हो रही है। मैं मानता हूं कि फिर भी एन.आई.ए. के केसेज के अन्दर बहुत जल्दी परिणाम आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं और दुनिया भर की एजेंसियों में 90 पर्सेंट का सक्सेस रेशियो एक रिकॉर्ड है।

ओवैसी साहब ने 'विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम' के बारे में कहा। यह हमारी सरकार के अमल में ही है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सभी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की सभी एजेंसियां इसका पालन करती है। जहां तक आपने अपील की बात की और कहा कि वह किसने किया, वह किसने किया। माननीय अध्यक्ष जी, एजेंसी कभी अपील तय नहीं करती है। एजेंसी लॉ ऑफिसर की ओपीनियन मांगती है। एजेंसी लॉ ऑफिसर के ओपीनियन के आधार पर आगे बढ़ती है। अगर एजेंसी, लॉ ऑफिसर को प्रभावित करने लगी तो फिर आप लोग ही कहते हैं कि प्रॉस्क्यूशन एजेंसी और इंवेस्टीगेशन एजेंसी अलग होनी चाहिए। दोनों को हम एक कैसे कर दें?

ओवैसी साहब तो इससे आगे सरकार, इंवेस्टीगेशन एजेंसी, प्रॉस्क्यूशन एजेंसी, ये सब एक कर देते हैं, जैसे सरकार ही सब कर रही है। मैं ओवैसी साहब से कहना चाहूंगा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह कानून से चलती है। इंवेस्टीगेशन करने वाले इंवेस्टीगेशन करते हैं, प्रॉस्क्यूशन करने वाले प्रॉस्क्यूशन करते हैं और जजमेंट देने वाले जजमेंट देते हैं।

महोदय, जहां तक उन्होंने कहा कि यह किसने किया, यह किसने किया तो मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। कई बार इस प्रकार के ऑकवर्ड उदाहरण खड़े हो जाते हैं। समझौता ब्लास्ट हुआ। समझौता ब्लास्ट में कुछ लोगों को पकड़ा गया। इसके बारे में न केवल भारत में सी.बी.आई. ने, बल्कि अमेरिकन एजेंसियों ने कहा कि इन्होंने समझौता ब्लास्ट किया। यू.पी.ए. सरकार ने समझौता ब्लास्ट के मामले में यू-टर्न ले लिया कि इन्होंने नहीं, उन्होंने किया। जिन्हें पहले पकड़ा गया था, उन्हें छोड़ दिया गया और दूसरे लोगों को पकड़ा गया। वे छूट गए। अब क्या मैं ओवैसी साहब और यू.पी.ए. सरकार से यह पूछ सकता हूं कि जिन्होंने पहले समझौता ब्लास्ट किया था, वे कैसे छूट गए, क्यों छूट गए, किसके कारण छूट गए?

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): आप करिए। आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: हम करेंगे, जरूर करेंगे।…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): आप मक्का-मस्ज़िद केस का भी करिए, अज़मेर का भी करिए।…(व्यवधान)

(1555/MY/KMR)

आपकी यह इच्छा भी हम पूरी कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। …(व्यवधान) आपने यह सवाल यूपीए सरकार से क्यों नहीं पूछा कि जो आरोपी हैं, उनको छोड़कर निर्दोषों को क्यों फंसाया जा रहा है।…(व्यवधान) उस वक्त आपको पूछना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां से ओवैसी साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि यदि किसी के भी खिलाफ अंगुली करते हैं, तो एक अंगुली उसके खिलाफ होती है और चार अंगुली अपने खिलाफ आ जाती है। जरा आप हमेशा ध्यान रखें।

माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार है, वह क्या करेगी? न तो कलबुर्गी जी का केस यहां पर है, न सुप्रिया सुले जी ने जो कहा,…(व्यवधान) इस प्रकार का कोई केस एनआईए के दायरे में नहीं है। फिर भी, हमने कहा था, …(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री राजा जी ने इसके लिए राइट विंग टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया। मैं सबसे पहले स्पष्ट करूं कि टेररिज्म न राइट होता है, न लेफ्ट होता है, बल्कि वह टेररिज्म होता है।…(व्यवधान) सब लोग टेररिज्म का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे माननीय एम.ओ.एस. साहब ने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार है। राइट विंग टेररिज्म का आरोप लगा था, इसलिए इसकी स्पष्टता कीजिए। हाँ, महाराष्ट्र में हमारी ही सरकार है, फिर से बनने वाली है, जिन-जिन लोगों ने इसे किया है, उन्हें जरूर इसकी सजा मिलेगी। आप आश्वस्त रहिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने वाले पर विचार किया जाए।"

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं डिवीजन की मांग करता हूं।

श्री अमित शाह: महोदय, मेरा निवेदन है कि इस मामले पर डिवीजन जरूर होना चाहिए। देश को मालूम पड़े कि आतंकवाद के साथ कौन हैं और खिलाफ कौन हैं।

1558 बजे

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश कक्ष (लॉबीज़) खाली कर दिए जाएं –

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

1559 बजे (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन पीठासीन हुए)

(1600/CP/SNT)

1601 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, लॉबी क्लियर हो चुकी है। सभी माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, we are all supporting the Bill. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : महासचिव, एक मिनट रुकिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक बार मैंने निर्देश दे दिए हैं। माननीय सदस्य ने डिवीजन मांगा है। यह उनका अधिकार है, इसलिए मैंने व्यवस्था दे दी है।

महासचिव जी।

ANNOUNCEMENT RE: DIVISION

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, I have to inform the hon. Members that as the Division Numbers have not so far been allotted to Members, it is not possible to hold the Division by the Automatic Vote Recording Machine. Division will now take place under Rule 367 AA by distribution of slips.

Members will be supplied at their seats with 'Ayes' and 'Noes' printed slips for recording their votes. 'Ayes' slips are printed on one side in green, both in English and Hindi and 'Noes' in red on its reverse. On the slips, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, IC Nos., and date at the place specified on the slip. Members who desire to record 'Abstention' may ask for the 'Abstention' (Yellow colour) slip. Immediately after recording their vote, each Member should pass on the slip to the Division Clerk who will come to their seat to collect the same for handing over to the officers at the Table. Members are requested to fill in only one slip for Division.

Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the Division Clerks.

Thank you.

(1605/NK/GM)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:</u>

(1610-1615/MK/PS)

माननीय अध्यक्ष : मत-विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ: 278

नही: 6

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

(1620/RC/YSH)

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी -- उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 2, line 3,-
after "citizens or"
insert "directly or indirectly". (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

" कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 2, line 5,-
for "Court of Session"
substitute "special court constituted or a Court of Session". (3)

Sir, when I am moving this Amendment, I am seeking the clarification from the hon. Minister, that is, without amending the Criminal Procedure Code, how is it possible?

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

" कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 4 एवं 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving Amendment Nos. 4 and 5.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है

" कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 2, line 12,-
for "is of the opinion"
substitute "has sufficient material to believe". (6)

Sir, my amendment is harmless. If the Central Government is having sufficient material to believe that this is to be incorporated in the Schedule, let it be there.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

" कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 2, line 19,-
for 'the words "designate'
substitute 'the words "constitute or designate'. (7)

Page 2, line 24,-
after "High Court"
insert "and with the consent of the respective State Government". (8)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 और 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

" कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 9,10 और 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:
Page 3, line 2,-
for 'the words "designate'
substitute 'the words "constitute or designate'. (9)
Page 3, line 5,-
for 'designate'
substitute 'constitute or designate'. (10)
Page 3, line 7,-
for 'the words "designated'
substitute 'the word "constituted or designated'. (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9, 10 एवं 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

" कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

SHRI G. KISHAN REDDY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(1625/SNB/RAJ)

सामान्य बजट-अनुदान की मांगे
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

1625 hours

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी गई है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आयटम नम्बर –18, अब सभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधति अनुदान की मांग संख्या 83 को चर्चा तथा मतदान के लिए लाया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के सड़क परिवहन और राजमार्ग से संबंधित अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर पर्चियां सभा पटल पर भेज दें, जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्या लिखी हो, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् सूचनापट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबधित मांग संख्या 83 के सामने दर्शाये गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 4 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

....

प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष जी, माननीय गडकरी जी कहां हैं?

माननीय अध्यक्ष : यहां राज्य मंत्री जी प्रस्तुत हैं।

माननीय सदस्य, मैं पुन: आग्रह कर रहा हूं कि जो माननीय सदस्य सीट पर नहीं बैठेंगे, उन्हें मैं नाम से पुकारूंगा।

माननीय सदस्य, राजू जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है। यहां एमओएस बैठे हैं।

श्री के. मुरलीधरन जी ।

1627 hours

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Demand for Grant relating to the Ministry of Road Transport and Highways.

1628 hours (Shrimati Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

India has one of the largest road network in the world with about 59 lakh kilometres of road length. This road length includes National Highways, Express Highways, State Highways, District roads, PWD roads and. In India road infrastructure is used to transport over 60 per cent of total goods and 85 per cent of total passenger traffic. The total expenditure of the Ministry of Road Transport and Highways for 2019-20 is estimated at Rs. 83,016 crores. This is 6 per cent higher than the Revised Estimates of 2018-19. Since then the capital expenditure of the Ministry has increased significantly. In 2019-20, 87 per cent of the Ministry's spending is estimated to be on capital expenditure. I would now like to say something about my State of Kerala.

(1630/RU/IND)

If the Cabinet Minister would have been here, he may understand what I am saying about the situation in the State of Kerala. I hope, he will come here soon or the hon. MoS will inform him the details.

Madam, the Minister of Road Transport and Highways. Shri Nitin Gadkari had directed NHAI and the State Government to identify important tourist spots on the roads and facilitate to create widespread amenities on the lines of Overseas Highways in the USA. This facility once built will add to the tourism

value of the whole area and shall be helpful in creating employment opportunities for the local people. Unfortunately, there is no Express Highway in Kerala. In 2001, we demanded an Express Highway from Kasaragod to Thiruvananthapuram.

Secondly, during the UPA Government, the State of Kerala got the sanction for expansion of the National Highways. The width of the National Highways from Kannur to Kozhikode is 45 metres. The starting point is Kasaragod. Work regarding acquisition of land of widening National Highways into 45 metres.…(*Interruptions*)

I am raising an important issue here. A majority of cases had been notified under Section 3(d) of National Highways Act. Due to non-payment of compensation, the National Highway development of Kerala, unfortunately, is not included in the priority list. Even now, we do not know why Kerala is expelled from the priority list. There is news in the air about the Chief Minister of Kerala and the BJP State unit. Politically motivated action is being taken by the Central Government as per the Chief Minister. I think, hon. Cabinet Minister knows the fact. He has visited Kerala many times. He has discussed these issues with the Chief Minister. Three days ago, during the Question Hour, hon. Cabinet Minister told that he has made some suggestions to the Government of Kerala. Madam, we do not know about the proposals made by the Central Government to the State Government.

During every Session period, specially the Budget Session period, the Government of Kerala invites its Members of Parliament for a meeting and tells us about the stand to be taken in the Lok Sabha or Rajya Sabha. Unfortunately, this time, we were not invited. They told us that since we did not take oath, we were not invited. Madam, this is a long Session. You know that when we get the Certificate from the Election Commission, then we automatically become Members of Parliament. We do not know why the State of Kerala was eliminated from the priority list. We do not know the reason.

A lot of agitations are going on in Kerala regarding widening of the National Highways. Actually, they are not against development. They have demanded more money for their land. You know that land value is very high in Kerala. Compared to other States, land value is very much high. Moreover, it is a thickly populated State also.

(1635/NKL/VB)

Only for that reason, during the UPA regime, we used to get exemption. In every State, the length of roads was 60 metres but the State of Kerala used to get exemption because of its thick population. But even now, we are not on the priority list. Due to this, the people are affected in all the areas of Kerala. They are not getting compensation. They are not in a position to sell their land. This is the major issue we are facing. So many road projects are pending before the Central Government. The Chief Minister of Kerala told that they have submitted their proposal but are not getting proper answer from the Central Government. I will tell some of the major road projects in the State of Kerala. One is new National Highway starting from Vadakara, which is my constituency through Pakramthalam to Mananthavady. The main problem is for going to Wayanad which is the constituency of my Leader, Shri Rahul Gandhi. There is only one National Highway to Wayanad from Calicut. That National Highway is from Thamarassery to Vythiri. The other is the State Highway from Pakramthalam which goes through Wayanad. But if anything happens on the hairpin bend, then all the traffic is banned there. So, Wayanad becomes isolated if any accident occurs in any hairpin bend. So, it is our long pending demand to start a new National Highway starting from Vadakara to Mananthavady. That proposal is before the Ministry of Road Transport and Highways. Number two is regarding the Vengalam-Mahi six laning of National Highway No. 66 for which the land acquisition should be done on high priority. Three, on the main road from Calicut to Mangalore, the main bridge is Moorad bridge which is in Vadakara, my constituency. It is a very old bridge which may break at any point of time. It was constructed during the British regime. So, there is a proposal for a new Bridge Moorad in Vadakara. The fourth point is regarding the new National Highway No. 66, which comes under my colleague Mr. Prathapan’s constituency, Thrissur. I think, last Friday, the hon. Minister invited MPs from that area. He agreed to our proposal regarding six laning of National Highway No. 66 (old no. 47) from Wadakkancherry to Thrissur. The tunnel work is going on but is very slow. That is the main line starting form Thrissur to Palakkad, Coimbatore and other areas of Tamil Nadu. There are so many new projects going on there. But there is one major project Thalasery-Mahe Bypass, the work of which is in progress but there is no subway there. So many proposals are

there regarding the new National Highway. So, the work should be completed as early as possible.

I also want to say something regarding the road accidents which occur especially in the State of Kerala. One day, 4,000 traffic accidents occurred there. But the compensation was very less. There were so many deaths due to accidents.

Secondly, there is no strict law. The law is there but that is the law of the State. The Central law should be strengthened to safeguard the people who are moving on the road. My humble request is that the State of Kerala should be given more financial assistance, as a special case, for the widening of roads.

(1640/SRG/PC)

Last week the hon. Cabinet Minister told that the land value is very high, so they are not in a position to support us. But that is very unfortunate. I demand more Central assistance from the Government in this regard because land value in Kerala is very high as compared with other States. At the same time, the area is thickly populated. People are ready to give their land, but they want proper compensation. For this reason, all development work is stuck.

I urge upon the Government to take this matter seriously and save the people of Kerala. We want development. We are ready to cooperate with the Central Government in this regard.

With these words, I conclude.

(ends)

TEXT OF CUT MOTIONS

1641 बजे

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) : चेयरमैन मैडम, थैंक-यू। मैं बीजेपी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आए हैं, आप कुछ टिप्पणी कीजिए। …(व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) : मैडम, इस महत्वपूर्ण डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा में भाग लेने का मुझे पार्टी ने मौका दिया है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है, प्रांत है। देश का लगभग 10-11 परसेंट लैंड मास राजस्थान में है। जब भी भाजपा की सरकार बनी है - भाजपा की सरकार पहले भी बनी थी - तब जो भी काम किए गए हैं, वे इस सरकार ने ही किए हैं। पहले के मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। हमारे आदरणीय जी को देखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने अच्छा काम किया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में रोड डेवलपमेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आप देश और विदेश में देखते हैं कि जहां रोड नेटवर्क होता है, वहां ट्रेन नेटवर्क आता है। जहां ट्रेन नेटवर्क आता है, वहां पानी का भी नेटवर्क होता है। इसी को देखते हुए देश में भी इसी तरह का जाल आदरणीय मोदी साहब की सरकार ने और आदरणीय नितिन जी भाई साहब ने पूरे देश में करने का प्रयास किया है। उन्होंने ट्रेड को बढ़ावा दिया है, उन्होंने कॉमर्स को बढ़ावा दिया है, उन्होंने लोगों को काम देने के प्रयास किए हैं। एक सेइंग है, एक अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था - "American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good." कहने का अर्थ यह है कि जहां रोड नेटवर्क अच्छा है, वहां प्रगति होती है और देश आगे बढ़ता है। इसको देखते हुए हमारे देश के रोड मंत्री ने और उनकी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। रोड निर्माण करने से हमारे व्यापार में बढ़ावा हुआ है। आपने जो रोड नेटवर्क का काम शुरू किया है, उसमें आपने एनएच बनाए हैं, आपने एक्सप्रेस-वेज़ बनाए हैं, नेशनल हाइवेज़ बनाए हैं, आपने स्टेट हाइवेज़ को बढ़ावा दिया है, आपने डिस्ट्रिक्ट रोड्स को बढ़ावा दिया है। जो पिरीयॉडिक रोड्स हैं, उन्हें भी आपने बढ़ावा दिया है।

इंडियन रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वह 60 परसेंट होता है और 85 परसेंट पैसेंजर ट्रैफिक होता है। इसको देखते हुए हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी ने, आदरणीय वाजपेयी साहब ने गोल्डन क्वॉडिलेटरल का काम किया था, हाइवे का काम किया था। उसमें उन्होंने नैशनल हाइवेज़ का काम किया था। गांव, गरीब और अंतिम व्यक्ति तक रोड को जोड़ने का काम उन्होंने किया था। आज हम देख रहे हैं कि जब से आदरणीय गडकरी जी आए हैं, उन्होंने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को देखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने पांच सालों में लगभग 39355 किलोमीटर्स के नैशनल हाइवेज़ बनाए हैं। एप्रॉक्सिमेटली 40 परसेंट रोड्स, जो पहले नहीं बनी थीं, उनको बनाने का उन्होंने अपने पांच सालों में प्रयास किया है।

(1645/SPS/KKD)

यह कार्य उन्होंने वर्ष 2014 से शुरू किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 जो बजट सपोर्ट था, वह एन.एच.ए.आई. और एक्सटर्नल बारोइंग का 28,400 करोड़ रुपये था। आज वही बजट सपोर्ट 83,016 करोड़ रुपये है। यह इतना बढ़ चुका है। यह इसलिए हुआ है, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपैण्डिचर और रेवेन्यू एक्सपैण्डिचर 50-50 परसेंट था, उसमें बढ़ावा दिया गया है। इन्होंने पहली बार एसेट क्रियेशन में जान झौंकी है। जो फण्ड एलोकेशन वर्ष 2019-20 में है, वह 83,016 करोड़ रुपये है। यह पिछले साल से लगभग 6 परसेंट हायर है। वर्ष 2019-20 में जो रेवेन्यू एक्सपैण्डिचर था, वह 10,957 करोड़ रुपये था। अगर आप कैपिटल एक्सपैण्डिचर एक्सटर्नल बारोइंग के द्वारा यह 72,059 करोड़ रुपये, यानी 87 परसेंट कैपिटल एक्सपैण्डिचर बढ़ाया गया है, वह पहले कभी नहीं हुआ था। यू.पी.ए. की भी सरकार थी। यू.पी.ए. की सरकार में रेवेन्यू एक्सपैण्डिचर और कैपिटल एक्सपैण्डिचर 50-50 परसेंट होता था, वह आदरणीय गडकरी साहब के आने के बाद बढ़ चुका है। आज वर्ष 2019-20 का केन्द्र का एलोकेशन रोड्स और ब्रिजों में है, वह 55 परसेंट है। उसमें लगभग 45,890 करोड़ रुपये की राशि दी गई। आज मेरे से पहले वक्ता एन.एच.ए.आई. के बारे में बात कर रहे थे। एन.एच.ए.आई. में वर्तमान सरकार ने 44 परसेंट, यानी 36,691 करोड़ रुपये का काम किया है। इसको देखते हुए आज रोड़ और ब्रिज का काम एक ही जगह पर नहीं हुआ है, पूरे देश में हुआ है। हमारे पास निशिकांत भाई बैठे हैं, इनके क्षेत्र में भी काम हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी काम किया गया है। इसमें 2019-20 में 45,892 करोड़ रुपये का 12 परसेंट रोड और ब्रिज में काम शुरू किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एन.एच.ए.आई. में भी काम किया है। एन.एच.ए.आई. के मेंटेनेंस में जो 2 परसेंट रोड नेटवर्क है और 40 परसेंट का रोड ट्रैफिक है। आज एन.एच.ए.आई. को देखते हुए वर्ष 2019-20 में 36,691 करोड़ रुपये दिए गए है। इसका 44 परसेंट यानी 16,091 करोड़ रुपये सेंट्रल रोड और इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड में दिया गया है। इसका 29 परसेंट ब्रिजेज में काम दिया गया है, इसमें लगभग 10,600 करोड़ रुपये दिया गया है। 27 करोड़ रुपये को मोनिटाइज करके, जब पैसे की कमी होती थी तो 10 हजार करोड़ नेशनल हाइवे फण्ड में दिया गया है। मुझे आज यह भी कहने की जरूरत है कि पहले जो इन्फ्रास्ट्रकचर का फण्ड था, वह सेस सहित मोटर स्प्रिट्स पर जो पैसा मिलता था, वह मोर्ठ (MORTH) को मिलता था, लेकिन अब सी.आर.आई.एफ. का फण्ड सीधे राज्य सरकार को देने की बात रखी गई है। उसमें अभी जो फण्ड दिया गया है, वह 2019-20 में लगभग 54,039 करोड़ रुपये का है, जो 6 परसेंट इनक्रीज है। उसको देखते हुए जो हमारा परमानेंट ब्रिज फी फण्ड है, उसमें 610 करोड़ रुपये की बात रखी गई है। इसे देखते हुए हमने नेशनल हाइवे फण्ड को भी पैसा दिया है। हमारे मंत्री जी ने हाइब्रिड एन्युटी को 2016, जनवरी में इसको कैबिनेट ने पास किया और कैबिनेट ने पास करके 40/60 के रेशियो से जो रोड बनाता है, उसको 60 परसेंट डालना पड़ता है और केन्द्र सरकार 40 परसेंट राशि उसको मदद करने के लिए देती है।

(1650/KDS/RP)

आज आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने जो एक बड़ा काम लिया है, वह भारत माला प्रोजेक्ट है। इसमें फ्रेट ऑफ पैसेंजर्स के बारे में भी बात की गई है और फ्रेट ऑफ पैसेंजर में उसको ऑप्टिमाइज करने में 300 से 550 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने का काम किया है और पहले फेज़ में इसका पूरा कॉस्ट 5 लाख 35 करोड़ रुपये है। इसके पहले फेज़ में 34 हजार 8 सौ किलोमीटर्स की बात रखी गई है। 10 हजार किलोमीटर्स एनएचडीपी जो पहले रुक चुका था, उसमें इसे जोड़ दिया गया है। इसे देखते हुए 225 प्रोजेक्ट्स का काम वर्ष 2019 में किया था और उसमें लगभग 9 हजार 613 किलोमीटर्स की बात थी। उसमें से लगभग 7,998 करोड़ रुपये के 178 प्रोजेक्ट्स इन्होंने दे दिए हैं। इस तरह काफी अच्छे काम किए गए हैं।

महोदय, मुझे यह भी कहना है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग है, उस पर स्टैंडिंग कमेटी में कहा गया था कि रोड ट्रांसपोर्ट इन हाइवे में आरबीआई और फाइनेंस एक डेडिकेटेड कमेटी बनाएं। यह पॉवर सेक्टर और रेलवे में भी है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें भी बने। हमारी प्राइवेट फंडिंग में कई पीपीपी प्रोजेक्ट्स बने हैं। इसमें जो डॉ.विजय केलकर कमेटी बनी है, उसमें इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की बात की गई है और इन्श्योर सर्विस तथा डिलीवरी की बात की गई है।

मैडम, मैं राजस्थान से आता हूं। मुझे राजस्थान की बात बोलने की भी आवश्यकता है। From 2013 to 2018, when there was the BJP Government in Rajasthan, 8,143 kilometre of roads were constructed. At the same time, from 2008 to 2013, 1,616 kilometre of roads were constructed during the then UPA Government. It was the vision of Shri Nitin Gadkari and the Rajasthan Government led by Shrimati Raje, who helped to build those roads. Furthermore, in the villages, from 2008 to 2013, there were only 2,506 villages where roads were constructed whereas from 2013 to 2018, 5,859 villages had got roads. From 2008 to 2013, 17,079 kilometre of roads were renovated whereas from 2013 to 2018, 45,941 kilometre of roads were constructed. The roads and national highways have increased during our Government.

I just want to come to the issue of road safety. Our Minister Nitin Gadkari *sahib* has put in Rs. 280 crore, which is 8 per cent higher for road safety. He has just brought in a Bill, the Motor Vehicles (Amendment) Bill, in Parliament. The Bill amends the Motor Vehicles Act, 1988.

मैडम, आज आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और श्री अनुराग जी, जो अभी यहां उपस्थित हैं, ने इस बजट में पास किया कि इस बार हमारे बजट में एथेनॉल को और वर्तमान समय में हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेहकिल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहली बार है कि जीएसटी को 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा हमारे हाइब्रिड मॉडल का नाम देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी लिया गया है। नीति आयोग में इसकी चर्चा हुई है। ई-हाईवे की चर्चा हो रही

है और एसबीआई ने ग्रीन हाई-वे की बात बोली है और 25 हजार करोड़ ट्रिपल रेटिंग एनएचएआई को दी है। आज हमारे यहां 31 किलोमीटर्स की रोड बन रही है। मैडम, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि एथेनॉल से जो आएगा, वह नॉन टॉक्सिन होगा, बायो डीग्रेडेबल गैस होगा और सेफ हैंडलिंग होगा।

(1655/SJN/RCP)

मैं आखिरी में यह कहना चाहता हूं कि जब श्री नितिन गडकरी जी ने सत्ता संभाली थी, तो उस वक्त 403 प्रोजेक्ट्स में तीन लाख करोड़ रुपयों का काम रुका हुआ था, उन्होंने वह काम किया है। मेरा क्षेत्र झालाबाड़-बारां है और जब मैं वहां से आता हूं, तो मेरे क्षेत्र के पास उज्जैन पड़ता है, उज्जैन के क्षेत्र के लिए झालाबाड़ से निकलते हुए एनएच 12 का जो रोड है, it is a road where the width is very small. As the width is very small, वहां चार लेनिंग नहीं हुई है। वहां चार लेन नहीं होने से दस साल में लगभग 25 से 30 हजार लोगों की मृत्य हुई है। मैं सरकार से यह चाहता हूं कि आप इसमें हमारी मदद करिए। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने पांच ट्रिलियन इकोनॉमी के इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात रखी थी, उसको देखते हुए हमारे आदरणीय मंत्री जी ने सभी को साथ में लेकर काम किया है, सबके साथ काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी साहब और माननीय मंत्री साहब को देखते हुए, सभी लोग आगे बढ़ेंगे।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बारां जिला है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र कोटा है, कोटा से होकर शिवपुरी से आगे निकलता है और झांसी जाता है, वह रोड बहुत टूटा हुआ है। वहां बहुत दिनों से काम होने की मांग आ रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी और आपसे भी आग्रह करूंगा कि वह रोड जो टूटा हुआ है, वह जल्दी से बन जाए। अंत में, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। यह सब कुछ इसलिए हुआ है, क्योंकि हमारी सोच नेक है। हमारी सोच प्रगति की तरफ है। यह इसलिए हुआ है, क्योंकि देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी साहब हैं और हमारे माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी इस काम को देख रहे हैं। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। उनकी टीम का प्रयास, लगन और लगन के साथ…(व्यवधान) अब जनरल साहब आए हैं, मैं जनरल साहब को भी धन्यवाद देता हूं।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR): Hon. Members, those who want to lay their written speeches may do so now.

1657 hours

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Hon. Chairperson, Madam, this is my maiden speech. I am thankful to you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Road Transport and Highways.

I would like to remember and honour our great leader, Tamizhar Thalaivar Dr. Kalaignar. I would also like to thank our Party Leader Thalapathi M.K. Stalin, Youth Wing Leader Mr. Udhayanidhi Stalin, our senior Party Leader Mr. E.V. Velu and the people of my constituency.

During the current financial year, the Ministry of Road Transport and Highways has set a target of upgrading and expanding 16,420 kilometres of the National Highways as against a target of 9,829 kilometres of the National Highways in the last financial year. The speed of construction, as was reported in *The Economic Survey* 2018-19, was around 30 kilometres per day.

In the Budget proposal, the hon. Finance Minister has, *inter alia*, highlighted the interlinking of the National Highways through grids. I would request the hon. Minister, through you, Madam, to kindly inform this House about the details of the grids for interlinking different National Highways.

The focus of the Government is to connect tourist destinations and religious places, apart from connecting ports and Special Economic Zones etc. My constituency Tiruvannamalai is known for Arunachaleswarar Temple. Out of Lord Shiva's *Pancha Bhoota Sthalam*, it represents *Agni Sthalam*. Also, Tiruvannamalai has many Ashrams to which lakhs of pilgrims pay visit every day.

(1700/SMN/GG)

Sir, nearly 20 lakh devotees visit on each full moon day for Girivalam which means 'Parikarma' around the Arunachala hill for a distance of 14.5 kilometres. During the Girivalam and festival time, people are facing huge traffic problems due to the absence of a by-pass road from NH-234 to NH-66 via Tiruvannamalai Kanchi Road. I would request the hon. Minister, through you Madam, to instruct the authorities concerned to connect the remaining link road from NH-234 to NH-66 immediately.

1701 hours (Dr. Kirit P. Solanki *in the Chair*)

Moreover, a bye-pass is also required for the following towns of Kaniyampadi, Kannamangalam and Vettavalam which are on NH-234.

The two-laned national highway NH-234 connects Karnataka-Andhra Pradesh-Tamil Nadu and passes through Tiruvannamalai. The authorities concerned are setting up toll plazas at three places – Kannamangalam, Tiruvannamalai and Villupuram - which will definitely cause inconvenience to the travellers including farmers. I would like to request the hon. Minister, through you Sir, to dispense with the above-mentioned toll plazas.

I would also like to draw the attention of this House to the slow pace of work on the NH-66 under the National Highways Development Programme Phase 3 which is the main connectivity to the inter-States. The work of two-laning on Tindivanam-Krishnagiri section is also running behind the schedule.

Unfortunately, the statistics of improvement is at 30 kilometres per day and it is not reflected in this Budget. I would request the hon. Minister to direct the authorities concerned to complete the work quickly. I would also request, through you Sir, to upgrade the existing four-laned NH-45 Chennai-Villupuram section into eight-laned. The section from Chennai Airport to Chengalpattu should be tackled by providing elevated corridor of six lanes.

I want to talk about transport issues. On the issue of mobility to electric vehicle, I would appreciate that the Government makes budgetary allocation of Rs. 10,000 crore under the phase 2 of Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles. The Government intends to convert all internal combustion two wheelers and three wheelers into electric vehicles by 2025 and four wheeler passenger cars by 2030.

I would request the hon. Minister, through you, Sir, to inform this House about infrastructural facilities at roadside charging stations. What are all the incentives that are going to be extended to the manufacturers and users of e-vehicles? What will be the estimated reduction of carbon footprint and load on exchequer caused by oil imports with the mobility to e-vehicle in the country?

Hon. Minister, I would like to bring to your notice that in my constituency, till now, no large factories were setup for the employment of youth. If the Union Government opens start ups for the manufacturing of e-vehicle units, it will greatly benefit my constituency people as well as the unemployed youth of my constituency.

Thank you very much

(ends)

1704 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Road Transport and Highways for the year 2019-20. The Minister is not here but I am told that he has got reputation for doing good work so much so that the Prime Minister has asked him to shift his family from Nagpur to Delhi so that he can work more, as per the newspaper report. I do not know if he would keep his family in Nagpur or shift it to Delhi or close to the RSS headquarters or close to Prime Minister Modi.

(1705/MMN/KN)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Please come to the point.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): But I hope that he will deliver. The report appeared in the newspaper.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, किसी वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना और वह भी एक वरिष्ठ सदस्य करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): इसमें आपत्ति क्या है? ये डिस्टर्ब करते हैं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। इनका परिवार कहां रहते हैं, कहां नहीं रहते हैं, इससे सदन को क्या लेना-देना। जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उस विषय पर…(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। फैमिली को इसमें जोड़ने की क्या आवश्यकता है?

प्रो. सौगत राय (दमदम): अखबार में आया था।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, आप अपनी बात बोलिए।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir I rise to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Road Transport and Highways. We have to remember that though we talk a lot about highways, highways constitute only 1.9 per cent of Indian roads. In India, 70 per cent constitutes rural roads. Though highways receive a lot of publicity, it does not constitute a major portion of roads in India. But still the highways carry 40 per cent of the traffic and freight. So, there is some importance and out of the total budget of the Department, not the full amount is given to highways. Out of the amount of Rs.83,000 crore budget given this year, Rs.36,900 crore is for the National Highways Authority of India. Help is also given to the States to develop their roads. Maintenance is done by the State Governments. How is the highways sector surviving with regard to the extra-budgetary resources? It is entirely dependent on loans than internal and extra-

budgetary resources. This year fund raising, after Rs.36,000 crore, will be Rs.75,000 crore. You would be happy to learn that the State Bank of India has given Rs.25,000 crore to the National Highways Authority of India.

My fear is that the Government is taking a lot of loans and raising a lot of market borrowings. Will these loans ultimately become NPAs, if the projects are not complete? The major problem in our roads is that in building roads, we have first the problem of financial crunch, lack of resources. We also have problems with acquiring land and paying of compensation. We have problems with forest and environment clearances. So, this is taking a lot of time. There is no doubt that the Minister has tried to clear some of these cobwebs in road construction, and he is promising to build 30 kilometres of road per day. But in the past, we have fallen behind our targets. That is why, I will ask the Ministry to speed up road construction in the country.

The Government has taken a very, very ambitious programme called, the Bharatmala Pariyojana. It involves Rs.3.85 lakh crore, and the total expenditure for all the unfinished works is Rs.6.92 lakh crore. This is supposed to be completed by 2022. Now, out of this, Rs.2.37 lakh crore will come from fuel cess. Rs.60,000 crore will come from budgetary support. Monetising, that is, toll operate transfer rights given to private parties, will raise Rs.34,000 crore. Rs.46,000 crore will come from toll collection and the Government will borrow Rs.2.09 lakh crore.

(1710/VR/CS)

Again, *Bharatmala* involves a very large borrowing for which the Government has to ensure that it will be able to raise money ultimately. The private investment is estimated at Rs.1.06 lakh crore. But private investment has been slow to come to the Government. Private investment has been very tardy. If we look at Adanis, they want to take over the airports but they have not invested in road infrastructure. If we look at Ambanis, they have not invested in road infrastructure. Private sector wants the Government to build the infrastructure and they want to take advantage of built up infrastructure. They are not investing in a big way in the roads so far. Though we talk of Public Private Partnership, it is mainly budgetary support, loans from banks and other sources and market borrowings. It is not coming from private sector. But there is no doubt about it that we need roads.

Sir, *Bharatmala Pariyojana* has many components. They include economic corridor component, inter corridor and feeder route development, national corridor, border roads and international connectivity, costal roads and port connectivity, green field expressways, etc. All these separate items taken together take *Bharatmala* to 24,800 kilometres at the cost of Rs.3.85 lakh crore. We would be very happy if *Bharatmala* Project is completed.

The first major step in road building was taken up during Vajpayee's Government in 1998. The total length of Golden Quadrilateral project is about 5895 kilometres. It forms a quadrilateral connecting the four major cities of India from North to South and East to West. That has been completed. It has been an achievement. But the present scheme is much more ambitious and we need clearances for that. Only national revenues will not be enough.

Having said this, let me point out the main problems that we have been facing in West Bengal in terms of road infrastructure development. There is a National Highway-34, which is the lifeline of our State. It spreads from South to the North of the State. It has not been completed in 10 years. The Krishnanagar-Behrampore stretch is incomplete and is in a bad shape. The work on National Highway-35 which goes up to Petrapole has not started at all. I would like to bring it to the kind attention of the hon. Minister that West Bengal has only a few National Highways. National Highways 1 and 2 are of short length in the State. NH-34 is the main highway and they should complete the work now.

Having said this, I will say that the main problem today is safety on the highways. A road accident on Yamuna Expressway happened on the 8th of July, where 29 people were killed and many injured when a bus fell 40 feet into a ditch. The Yamuna Expressway is now called a killer highway because 700 people have died in 5000 accidents in last seven years. The Central Government has not been able to take effective steps in this regard so far. The hon. Minister, Gadkari ji also admitted it in the morning and assured to take up steps to control the accidents.

Sir, there are many ideas to improve road safety. An MoU was sighed with the Transport for London (TFL) for a quality basis ranking system for toll plazas, simplification of driving licence application, setting up of well-equipped and competent driving training centres, etc. I agree that the Motor Vehicles Act is able to ensure safety but the Centre has to do handholding with the State

Government to ensure that they take proper steps to ensure the safety of passengers.

(1715/SAN/RV)

It is a big thing today that we are building highways, but people are dying in large number in road accidents on the highways. The modern things are not there.

Lastly, I want to say that compared to our size, India has sizeable roads. The US boasts of the world's largest road network followed by China and India. There are bigger countries like Brazil, Australia and Russia, but our road network is bigger compared to that of those countries, but we cannot compare with the USA. They have got a highway in Texas which has 26 lanes. Our biggest expressway is Delhi-Meerut Expressway which has got 14 lanes. So, we have to improve both - technology and safety.

The Minister has talked of Rs. 14,000 crore for ensuring safety. He talks of all these things, but I do not know where the money will come from. He is only going to the market to borrow money. Money is not coming. Where is that amount of Rs. 14,000 crore? Where is it going to come from? He has talked of electric vehicles. How long will it take to make 50 per cent electric vehicles, even though you have given some concessions in the Budget?

Lastly, he has talked of nitrogen-filled tyres. How long will it take to fill up the tyres with nitrogen? While road construction grows apace, safety considerations are neglected. If we have to progress fast as a country, road construction must be done faster. Still the roads carry much more passengers as 80 per cent of the passenger traffic is carried by roads. If we have to give relief to our people, construction must proceed at a pace.

With these words, I oppose the Budget because it is weak on safety and weak on fund collection. Thank you.

(ends)

***डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं):** 2019 की सरकार में हो अथवा 2014 में या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रहते किया गया प्रत्येक कार्य हो। काम होने तक जो काम के पीछे लगे रहते हैं, उनका नाम श्री नितिन जयकारी गडकरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम व भारतमाला परियोजना तक को समय रहते क्रियान्वयन तथा उसके रख-रखाव हेतु उचित प्रबंध, इन सबके विस्तृत स्वरूप को बहुत ही सटीक तरीके से एक नए आयाम में परिवर्तित करना, यह सब सिर्फ मंत्रालय की खानापूर्ति ही नहीं बल्कि गडकरी जी के ढेरों दूरदर्शी वजिन में से एक है।

इन सबमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ही दिशा-निर्देश में ग्राम सड़क योजना के तहत 1 लाख 25 हजार किलोमीटर की सड़के बनायी जायेंगी। आपके एक अन्य दूरदर्शी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का बड़े स्तर पर पुर्नगठन कर अन्य नयी-नयी परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

2014 से लेकर 2019 तक के कार्यकाल में आप द्वारा किए गये कार्य सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय के लिए निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगें।

चूकि 2019 में भी आप द्वारा निर्देशित व प्रस्तावित भिन्न-भिन्न योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाना है, इस हेतु मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं उत्तरप्रदेश के लिए भी आश्वस्त होना चाहती हूँ।

जनपद बदायूँ से दातागंज होकर तिलहर मार्ग के फोर लेन निर्माण के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं।

बदायूं से प्रदेश की राजधानी के लिए ट्रेन की कोइ्र समुचित व्यवस्था न होने के कारण जनपद के लोगों को आवागमन हेतु लखनऊ अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

---

*Laid on the Table.

यदि जनमानस बरेल से होते हुए लखनऊ केा जाते हैं तो समय अधिक लगता है। अभी बरेली से आवागमन है जो कि दूरी पर स्थित है। अभी बदायूं से दातागंज होते हुए तिलहर तक टू-लेन है व सिंगल-लेन का मार्ग बना हुआ है। यदि उक्त मार्ग फोर लेन में परिवर्तित कर दिया जाय तो तिलहर से आग्र शाहजहाँपुर होते हुए लखनऊ तक का मार्ग जो कि पहले से फोर-लेन है, तब बदायूं तक फोरलेन हो जायेगा। जिससे लोगों का आवागमन लखनऊ तक के लिए सुविधाजनक हो जायेगा व दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होने के साथ-साथ सरल व सुगम भी हो जायेगी।

अत: मेरा आप श्रीमान जी से निवेदन है और बदायूँ क्षेत्र की सम्मानित जनता की ओर से सुझाव भी, कि उक्त विषय पर कृपया ध्यान आकृष्ट कर मुझे अवगत कराने की कृपा करें।

बदायूं की जनता आपकी आभारी रहेगी।

बहुत बहुत धन्यवाद

(इति)

***श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा):**

---

*Laid on the Table.

*SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI):

*Laid on the Table.

***श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर):**

---

*Laid on the Table.

*SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI):

*Laid on the Table

*SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE):

---

*Laid on the Table.

*SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI):

*Laid on the Table

*SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR):

---

*Laid on the Table

1717 hours

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Mr. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity. I would also like to thank my party, YSRC Party, for giving me this opportunity to speak on Demands for Grants pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways.

The Indian road network is a very vast network comprising of national highways, express highways, State Highways, major district roads, other district roads and village roads. It is globally the second largest network, spanning 5.5 million kilometres. As we all know, in India, road infrastructure is used to transport over 60 per cent of total goods and 85 per cent of total passenger traffic.

At this juncture, I would like to say that I come from Andhra Pradesh. As all the hon. Members know, after the reorganisation, Andhra Pradesh needed so many funds for development from all Departments. I would like to speak in Telugu to reach out to the people of my State and my parliamentary constituency.

*Road Transport is an important mode of transport. Let it be in rural areas, urban areas or corporation areas, roads play an important role in the development of villages and states. If we look at functioning of Ministry of Road Transport & Highways, in the recent past, they are doing commendable job. The Ministry is working hard to provide road connectivity throughout the country. Though land costs are rising high, department is doing good work. I heartily congratulate the Ministry for this work.

(1720/RBN/MY)

In General Budget, Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman, emphasized on development of road infrastructure. On one hand we should develop village roads and on the other hand we should modernise National Highways. It is important to develop roadways to reduce distances. I can say that, Ministry of Roadways is working with same spirit. There are several projects that were announced. Some projects could not take off, some projects are stuck in the middle and few projects are going on for so many years.

---

*Original in Telugu

Firstly, I would like to request Hon'ble Minister to give special attention to our state, Andhra Pradesh. Every state will be demanding for funds and each state will be having it's own issues. But as far as Andhra Pradesh is concerned, it was bifurcated without proper justifications, because of which people of Andhra Pradesh are going through severe difficulties and hard ships. In this context, proposals for various roads were sent by State Government of Andhra Pradesh to Union Government and some of those proposals were approved. Our Hon'ble Chief Minister, Shri YS Jagan Mohan Reddy will extend full co-operation and support in expansion of road infrastructure of Andhra Pradesh.

As there is time constraint, I will mention few important roadways. Many Hon'ble Members present here can know and understand these important roadways. Especially, Amaravati-Anantpur Express way which is of 400 kms span, was sanctioned but other related works like land acquisition and construction are yet to commence. Therefore, I request that special attention may be paid to Amaravati-Anantpur expressway and expedite the process of construction. Similarly, there are some more important roads and I will be mentioning only few roads here.

In prioritization, there are high priority, high 1, high 2, medium and low. I will mention only few of them. NHO Vinukonda-Guntur, corridor code – 806. Kaipa-Giddalur – 806, Bugga – Kaipa, 806, Anantapur – Bugga, 869, Kurnool – Atmakur 869 Atmakur-Domala, 802. These six roads are placed under 'medium' priority. Therefore, I request Hon'ble Minister to place these roads under 'high' priority and complete these projects at the earliest. These roads are very important for economic development of our state. Many peripheral roads were also sanctioned; I won't mention all of them. As Hon'ble Chairman directed, I will give my written submission.

I will be referring to important roads in my Parliamentary constituency. Four laning of Kakinada anchorage port to Uppaada beach road, NH-16 of East Godavari district of Andhra Pradesh. Over ADB Kakinada deep water port from Kumbabhishekam temple to fishing harbor Kakinada to avoid 6 to 7 level crossings in a span of 1 kilometer which causes huge congestion.

These works needs to be completed. Apart from these I have a long list of pending projects, I will not read out these projects, instead I will submit these to the Table of the House. Similarly, Raichur – Hasan section near Adoni of

Andhra Pradesh – Karnataka border 425 – Chintakunta – Adoni, 425-Karnataka Andhra Pradesh border Chintakunta, 523 – Maidakur – Badvel, these sections are between 45 & 50 kms. These sections are places under medium priority I request on behalf of people and Government of Andhra Pradesh to place these roads under high priority to complete these projects at the earliest.

(1725/SM/CP)

Though there are around 15 to 20 e-connectivity roads under high 1 and high 2, by 31 March 2019 the progress of these works are mostly between 0-32% and only two roads' progress is 92%. There could be various reasons for delays. Whatever be the reasons, I request the Government to address these issues and expedite works of e-connectivity roads in Andhra Pradesh. Regarding, road safety, many Hon'ble Members gave valuable suggestions. There is a need to pay special attention for road safety. Many drivers drive for thousands of kilometers without proper break, and as a result there could be health related issues. There is already a proposal to set up stay homes, but it should be at shorter distances instead of proposed longer distances. For health care also there should be adequate number of hospitals on expressways and highways, so that health security can be ensured to users of these expressways/highways. Sir, regarding road safety - in my constituency there is NH-5 which is now NH-221. This highway passes through 'Vannepudi' village which is near Kathipudi junction, every week couple of accidents takes place here. Many accidents took place at this spot and several lives were lost. We had informed concerned department about this particular issue, but we didn't get any response. Therefore, all accident prone areas should be identified and defects, if any should be rectified.

Similarly, many roads are being connected through Bharatmala and Sagarmala. In this context, I request Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, to provide a new highway to connect Kakinada and Rajahmundry.

I urge upon the hon. Minister, Government of India to consider the construction of a road between Rajahmundry and Kakinada. They are twin cities. Rajahmundry has a large area of river Godavari and Kakinada has a seaport where the coastal corridor between Vizag and Chennai is located. Therefore, it is necessary to have a six-lane National Highway between Rajahmundry and Kakinada to have an access to Rajahmundry Airport.

Sir, there are no other twin cities in our country which have a seaport and a riverport, so necessary for upliftment of people. Sir, I would like to request the hon. Minister once again to kindly allocate more funds and take steps for early completion of this project and put all the projects on high priority. Thank you.

(ends)

***श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद):**

---

*Laid on the Table.

*SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):

*Laid on the Table.

1729 बजे

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, जब से माननीय नितिन गडकरी जी ने देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से देश भर में सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। देश में पहला पुणे-मुम्बई एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का सपना माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का था। उसको पूरा करने का काम माननीय नितिन गडकरी जी ने, जब महाराष्ट्र के मंत्री थे, तब पूरा किया। इसके बाद देश में कई सारे एक्सप्रेसवे बने। बीते पांच सालों में माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया है। कांग्रेस सरकार के कार्य काल में जिस गति से काम होता था, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से माननीय नितिन गडकरी जी ने सड़क निर्माण का काम किया।

(1730/NK/AK)

इसलिए मुझे गर्व है कि गडकरी साहब महाराष्ट्र से निकल कर सड़क निर्माण का काम जिस गति और तेजी से पूरे देश में कर रहे हैं जब इतिहास लिखा जाएगा तब गडकरी साहब का नाम रोडकरी के रूप में पहचाना जाएगा। केवल सड़क परिवहन का काम गडकरी साहब ने नहीं किया बल्कि वास्तु को बढ़ावा देने हेतु माननीय गडकरी जी जलमार्ग का बड़ा काम देश में किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज के समय में देश में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई लगभग उन्नसठ लाख किलोमीटर है। आज देश में सड़क मार्ग से साठ प्रतिशत माल कंटेनर या ट्रकों से सामान लाने-ले जाने का काम होता है जबकि कुल यात्री यातायात 85 प्रतिशत सड़क परिवहन से यातायात करते हैं। आज देश में हर साल पांच लाख एक्सिडेंट होते हैं और उसमें करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। अगर रोज के एक्सिडेंट का हिसाब किया जाए तो 1370 एक्सिडेंट होते है और 411 लोगों की मौत होती है। जितनी गति से काम होता है उतनी ही गति से आवागमन करने वाले लोगों में सुधार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, सेंट्रल रोड फंड इस मंत्रालय को दिया जाता था और इस साल के बजट में इसका प्रावधान डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर के पास किया है। जिन्होंने सेंट्रल रोड फंड मांग की थी, उनको मिला था। मैं मांग करता हूं कि डायरेक्टली इस मंत्रालय को मिलना चाहिए। पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी ने 2017 में अपनी रिपोर्ट में विभिन्न परियोजनाओं के समय पर पूरे न होने पर चिंता जताई थी। कई सारे सड़क परियोजनाओं का काम तेजी से नहीं हो पाता, इसका मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण में लंबा समय लगना है, कभी सारी योजनाओं में पर्यावरण और वन मंजूरी समय पर नहीं मिलती, इससे काम जल्दी से नहीं होता। देश भर में ऐसे तेज गति से काम को पूरा करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा एक समिति गठित करनी चाहिए जो पर्यावरण और वन मंत्रालय से जुड़ कर काम करे ताकि जल्दी से जल्दी परमिशन मिले।

मेरे संसदीय क्षेत्र पनवेल से उरन तक राष्ट्रीय महामार्ग का कार्य माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया था, अब यह काम पूरा होने वाला है। लेकिन कई काम तीव्र गति से होता है तो ठेकेदार पूरी तरह से काम नहीं करते, यह भी घटना सामने आई है कि क्वालिटी का काम नहीं हुआ। उरन में

एक जसकर गांव है, वहां सीमेंट कांक्रीट की सड़क धंस गई थी, कई सारी खबरें अखबार में भी आई थी।

मैं कहना चाहता हूं कि जिस गति से काम करते हैं लेकिन क्वालिटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। मेरे क्षेत्र में राष्ट्रीय महामार्ग 103 का काम जो करजर मोरबार खांडी मावल होते हुए भीमाशंकर जाता है, जिसका निर्माण भी आदरणीय गडकरी साहब ने किया है, यह काम वन और पर्यावरण मंत्रालय की परमिशन नहीं मिलने की वजह से रुका है, वह काम आज भी पूरा नहीं हुआ है।

महोदय, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चार है, महामार्ग 54 जिसे राष्ट्रीय महामार्ग में कन्वर्ट किया, यह तेलेगांव, चाकन और सिकरापुर होते हुए जाता है। चाकन और सिकरापुर इंडस्ट्रियल जोन है, वहां बहुत सारा ट्रैफिक होता है और इसकी वजह से एक्सिडेंट होते हैं।

(1735/SK/SPR)

केंद्र सरकार द्वारा 1800 करोड़ रुपये देने की घोषणा हुई थी। डीपीआर हो गया लेकिन मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से फॉलोअप नहीं हुआ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 का काम कांग्रेस सरकार के समय रिलायंस कंपनी ने लिया था। यह राजमार्ग देहु रोड, कात्रज बाई पास होते हुए सतारा, कोल्हापुर जाता है। आज तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। इस कंपनी को कई बार मंत्रालय द्वारा बुलाकर बात की गई, लेकिन आज तक उस काम में कोई गति नहीं आई। यहां कई सब-वे बनाए गए, लेकिन वे भी ठीक तरह से नहीं बने हैं। इनकी चौड़ाई और ऊंचाई कम है, इस वजह से लोगों को दिक्कत होती है। उस क्षेत्र का सांसद होने के नाते लोग मुझे शिकायत करते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आगे की आबादी और इलाका देखकर काम करना चाहिए।

महोदय, पुणे से मुंबई तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 फोर लेन है। अगर इसे आठ लेन कर दिया जाए तो निश्चित रूप से पुणे-मुम्बई हाईवे पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। एक्सप्रैस वे पर जितने टोल प्लाजा हैं, इनको चलाने के लिए ठेकेदारों को दिया जाता है। टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगती है, इसके कारण आने-जाने वाले यात्रियों को असुविधा होती है, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हर टोल पर फास्ट ट्रैक की घोषणा माननीय गडकरी जी ने की थी, लेकिन कहीं भी फास्ट ट्रैक की सुविधा प्राप्त नहीं हुइ्र है।

अंत में, मैं आखिरी मुद्दा रखकर अपनी बात खत्म करता हूं। मुम्बई-गोवा हाईवे का काम बहुत सालों से रुका हुआ है। मेरे क्षेत्र पनवेल से यह मार्ग गोवा और आगे कोंकण तक जाता है। इस मार्ग का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, मैं यही मांग रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1737 बजे

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद (जहानाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे जिताकर यहां भेजा है। मैं विशेषकर जहानाबाद की जनता की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। आज आपने मुझे इस विषय पर बोलने की इजाजत दी है, मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, सहयोगी पार्टी के सांसद के नाते मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को एक जनहितकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। देश के आर्थिक विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में 89.03 लाख किलोमीटर लंबा विशाल सड़क नैटवर्क है। अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नैटवर्क है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।

हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाकर बिहार की जनता को बेहतर आवागमन की सुविधा दी है, परंतु पूरे बिहार सहित मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत संतोषप्रद नहीं है। अधिग्रहित भूमि के मालिकों के पुनर्वास में देरी से यह मामला और भी गंभीर हो गया है। मैं एनएच-83 पटना-डोभी की फोर लेन परियोजना का उदाहरण उचित समझता हूं। यह अति महत्वपूर्ण सड़क है, खासकर इस बौद्धिस्ट सर्किट में पर्यटक बोध गया जाते हैं। यह सड़क उत्तर एवं दक्षिण बिहार की लाइफ लाइन है। यह सड़क परियोजना वर्ष 2010 से लंबित है। पहले भूमि अधिग्रहण में 600 करोड़ रुपया खर्च करना प्रस्तावित था, लेकिन कानून में बदलाव के कारण 3088 करोड़ रुपये हो गया। यह प्रोजेक्ट जीका फंडेड है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से 2600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की है।

(1740/MK/UB)

इस पर कई माह से फैसला नहीं लिया गया है। एनएच-83 पर भारी ट्रैफिक है। इसको संभालने के लिए इसका अपग्रेडेशन और चौड़ीकरण कर इसे फोर लेन बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस कार्य में आ रही प्रत्येक बाधा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूर करे ताकि बिहार की जनता के साथ देश-विदेश के पर्यटकों को आवागमन की सुविधा मिल सके तथा लोगों को जहानाबाद होते हुए गया जाने में आसानी हो सके।

सभापति महोदय, हम यह भी बताना चाहेंगे जहानाबाद में जो एनएच-83 है, उस पर प्रतिदिन भारी संख्या में दुर्घटना घट रही है। कुछ दिन पहले मरम्मत का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन ठेकेदार द्वारा मरम्मत के नाम बड़े-बड़े गड्ढ़ों में बोल्डर डालकर छोड़ दिया है, जिसके कारण रात में छोटी-छोटी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में एनएच-110 और एनएच-139 भी गुजरता है, जिनका अपग्रेडेशन और चौड़ीकरण अति आवश्यक है।

एनएच-110 मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद के अरवल जिले में 17 कि.मी. और एनएच-139 इसी जिले में 36 कि.मी. तक गुजरती है। अरवल जिला, बिहार का एक पिछड़ा क्षेत्र है और विकास से वंचित है। वहां मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। एनएच-110 पूर्वी बिहार से पश्चिमी बिहार जाने के लिए मुख्य मार्ग है एवं एनएच-139 उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार जाने के लिए मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर भारी संख्या में वाहनों का आवागमन रहने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। विगत दिनों स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने अरवल शहर के लिए 2 नये बाईपास का निर्माण कराने के लिए मुझसे आग्रह किया ताकि शहरवासियों को आवागमन की सुविधा के साथ-साथ जाम एवं दुर्घटनाओं से निजात मिल सके।

अत: जनहित में मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अरवल शहर के लिए एनएच-110 एवं एनएच-139 पर नये बाईपास का निर्माण कराने के लिए उचित कार्रवाई का निर्देश दें। इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके अलावा राज्य के अधीन राष्ट्रीय उच्च पथों की खराब स्थिति को देखते हुए एवं आवागमन हित को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने अपनी निधि से काफी योजनाओं का कार्य पूर्ण कराया है। उक्त राशि की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार से आवश्यक है, जो अब तक नहीं की जा सकी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सड़क यातायात में इस अभूतपूर्व वृद्धि के कारण देश के सड़क नेटवर्क में व्यापक विस्तार और सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए कुशल तंत्र और प्रशिक्षित जनशक्ति समर्थित भारी धनराशि की आवश्यकता होगी। योजनाओं में स्थानीय प्रतिनिधियों विशेष रूप से संसद सदस्यों और विधायकों की राय और सहयोग लिए जाएं। राज्यों से आए हुए प्रस्तावों को जल्द अनुमोदित करना चाहिए ताकि विलंब के कारण परियोजनाओं का खर्च न बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशिक्षण द्वारा योजना शुरू होने से पूर्व अपने पदाधिकारियों को उचित निर्देश देना चाहिए। रेलवे से एनओसी लेकर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी योजना शुरू होने से पूर्व पूरी कर लेनी चाहिए। योजना शुरू होने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिली है या नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण और स्थानीय कानून व्यवस्था की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर नियंत्रण करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हजारों परियोजनाओं को अवार्ड किये हैं, जिसमें बहुत सारी परियोजनाएं आर्बिट्रेशन में फंसी हुई हैं। इस समस्या का हल तुरंत होना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सक्रिय भूमिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी परियोजनाएं अपने समय से पूरे हों। ठेकेदारों को किसी भी कारण से परियोजनाओं को विलम्ब करने की छूट नहीं देनी चाहिए।

(1745/YSH/KMR)

बेहतर निरीक्षण और निगरानी से काम की प्रगति सुनिश्चित की जानी चाहिए। महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं। मंत्रालयों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य सरकारों और निजी अधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। सड़क परिवहन मंत्रालय को सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को अत्यावश्यक आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एंबुलेंस और राहत देखभाल उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों पर दोनों ओर पार्किंग सुविधा, अन्नपूर्णा और आघात (ट्रोमा) चिकित्सा केन्द्रों की व्यवस्था करके इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। देश के क्षेत्रीय परिवहन के जाल को पूरी तरह कम्प्यूट किया जाए। ओवर लोडिंग पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि सड़कों को बर्बाद करने में उनका बड़ा हाथ है। अन्तर्राज्जीय सड़क, सड़क सम्पर्क, ग्रामीण सड़कों और आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के मालिकों के लिए पुनर्वास तेज किया जाए ताकि परियोजनाओं में बाधा न आए। सड़क परिवहन और राजमार्गों से संबंधित विभागों को अधिक सक्रिय होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाना चाहिए ताकि प्रस्ताव और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो ताकि निधियां जारी हो सके और उनका उपयोग हो सके। धन्यवाद।

(इति)

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):

---

*Laid on the Table.

*SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL):

---

*Laid on the Table

1746 hours

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Chairman, Sir, I will follow the example of my distinguished colleague from the Janata Dal (U) who has not wasted his time starting his speech by dissecting these tens of thousands or lakhs of crores of rupees that the Demand for Grant entails and instead concentrated first on his State and his Constituency. Let me do the same thing right away. It is a salutary example set by my friend in his maiden speech.

My Constituency Puri is the most important place in Odisha, one of the four Dhams in the country. It normally takes 45 minutes from Bhubaneswar to Puri. Yesterday, at the end of Rath Yatra, it has taken me two and a half hours to reach there. It is a horrific situation, for two reasons. One, the ROB for which a proposal has come to the Central Government on the Puri-Konark Road is sourly needed. This proposal has been there since November of 2018. I have already written to the hon. Minister, Shri Gadkari Ji. Now his alter ego Gen. Singh is here. I request Gen. Singh to please take this up personally. Otherwise, on a very busy train line, hours are spent by people in the heart of Puri town. Therefore, this is a major nuisance. This is on National Highway 203.

The second one, of course, is the Bhubaneswar-Puri Highway which has again been left abandoned midway. It is a toll road. It has been abandoned midway. I beseech you to kindly make sure that this is completed at the earliest. जो आपके प्रार्थी थे, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। वे भी तीन-चार दिन पहले दर्शन के लिए गए थे और उन्होंने बड़ा अच्छा ओढ़ना पहनकर कहा कि मैं गडकरी जी को खुद लेकर आऊंगा और यह तैयार कराऊंगा तो हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। वे गडकरी जी को लेकर जाए, पूरा क्रेडिट आपको मिले और गडकरी जी को मिले, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कह रहा हू कि काम करवा दीजिए। चाहे कोई भी क्रेडिट लें मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन पुरी के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। ये दो प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में आपके यहां फंसे पड़े हैं।

Now that I have done my little bit, let me come down to dissecting some of these tens of thousands of crores of rupees that are involved in the Demand for Grant.

Some work has been done, there is no question about it. This whole road construction rate touching 30 kms a day, no doubt, is a very salutary thing. However, there are caveats and I must flag those caveats straight away. One of the most important caveats is the NPAs that these projects are touching.

These NPAs have risen from 1.9 per cent of total advances to now almost 20 per cent. Prof. Saugata Roy had flagged this, a lot of the Members are going to flag this. This is a very serious situation where NPAs have already touched 20.3 per cent in 2017-18. My friend from the JD(U) also mentioned this.

Almost every case is stuck in arbitration. Contractors have now become professional arbitration experts! These contractors now have full libraries. I have actually seen contractors who have full libraries in their homes and they have become self-styled lawyers themselves.

(1750/SNT/RAJ)

It is because their whole point is to take up a project and then push it into arbitration and make hundreds of crores of rupees out of arbitration. So, this is a situation that does not augur well at all. That is point number one.

Secondly, what I need to flag also is that year on year, there is an increased allocation and hats off to the Ministry that they are managing to do this because I do not believe, apart from the Ministry of Defence, any other Ministry manages an increase in allocation year on year. They have managed a 5.58 per cent increase in the allocation in this Ministry. But the disquieting feature is the under-utilization that is happening except last year, when there was an over-utilization. There has actually been an under-utilization to the tune of Rs. 1,040 crore in 2014-15, Rs. 5,744 crore in 2016-17 and Rs. 3,886 crore in 2017-18. This kind of under-utilization speaks volumes for some inefficiencies at a cutting-edge level which need to be ironed out. Otherwise, there is no reason why when you get a year on year increase, you are under-utilizing.

On top of that, you are of course, going to the market and raising funds all the time by all kinds of bonds, saddling yourself with liabilities. Therefore, if there is going to be under-utilization of this nature, then there is no point in saddling yourself with liabilities. The Government moves in mysterious ways as it wonders to perform. I do not know what they do; where they pick up the money from and where they spend it. So, I do not know why you would need to go in for these kinds of external borrowings when there is under-utilization. It is for the hon. Minister to answer.

Now, my friend Mr. Dushyant Singh is not here. He lamented about अध्यक्ष जी के संसदीय क्षेत्र, कोटा में सड़क बहुत खराब है, आप उसका कुछ करिए। सड़क का कैसे कोई कुछ करे, अगर मिनिस्ट्री का टोटल एलोकेशन मेन्टेनैंस के लिए एक प्रतिशत है। अगर आप मेन्टेनैंस

के लिए एक प्रतिशत खर्च करेंगे, तो यह कैसे होगा? अमेरिका में 51 प्रतिशत मेन्टेनैंस के लिए दिया जाता है। हमें उस लेवल पर पहुंचना है in terms of just construction of highways. हमें बहुत साल लगेंगे। फिर भी, एक प्रतिशत और कहां 51 प्रतिशत, इसमें बहुत अंतर है। स्पीकर साहब कोटा से हैं तो शायद वह ठीक हो जाए, लेकिन बाकी सड़कों का तो भगवान मालिक है। If the allocation is one per cent, I do not believe there is going to be any hope but all for road maintenance.

रोड सेफ्टी के लिए सिर्फ 280 करोड़ रुपये हैं, which is 0.3 per cent of the entire allocation. This again, is a pitiable amount. अगर मैं आपको अमेरिका के फीगर्स दूं तो, I think, it is about 8 to 10 per cent. So, therefore, you need to give more allocation. अभी यमुना एक्सप्रेस-वे में जो दुर्घटना घटी है, सौगत दा ने उसके बारे में बात की है। दुर्घटना इसलिए हुई है क्योंकि ड्राइवर सो गया। अगर आप अमेरिका या यूरोप में कहीं भी सड़क देखेंगे तो रोड के साइड्स में हमेशा रम्बल स्ट्रीप्स होते हैं। अगर रम्बल स्ट्रीप्स होंगे तो गाड़ी जैसे ही उस पर जाएगी तो उससे गाड़ी को शेक होगा और इमीडिएटली ड्राइवर उठ जाएगा। हम लोग यहां पर रम्बल सट्रीप्स नहीं बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ हाईवे बना रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे की बात की गई है। In the entire world, I do not think, there is a red light in the highway, whereas at Palwal there is a red light. How can an Expressway have a red light? It is a bizarre situation that there is a traffic intersection in the middle of an Expressway like this. Who planned this? How was this planned? It is unbelievable! So, what I am going to request is please apply your mind to the modern way of building these things. I think, the hon. Prime Minister will tell you how to do it because the Vadodara-Ahmedabad Expressway is apparently one of the finest expressways in the country. So, the time has come now because जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट हो गए हैं, रूरल एरियाज में जमीन चार गुना महंगी है और अर्बन एरियाज में जमीन दोगुना महंगी है। At present, if you go for land acquisition for construction of highways, you are doomed. The only way out is elevated roads but with rumble strips both by way of safety as well as by way of minimal land acquisition cost. जितनी आपकी लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट आएगी, उससे बहुत कम में आपके एलिवेटेड रोड्स बनेंगे। आप एलिवेटेड रोड्स के बारे में हर जगह सोचिए। लैंड एक्विजिशन के रैकेट के बारे में इस हाउस में हम सभी को पता है। कौन अपनी जमीन एक्वायर कराना चाहते है, फिर लैंड एक्विजिशन में पैसे बढ़ती है और कैसे बढ़ती है, यह हम सभी जानते हैं। एक्विजिशन का जो रैकेट है, माफ कीजिएगा, लोकल लेवल के पॉलिटिशियन में हमारे परिवार के बहुत लोग इसमें शामिल हैं। हम राजनीतिज्ञों के परिवार के लोग इसमें शामिल हैं। इस रैकेट को बंद कराइए। एलिवेटेड रोड्स बनाएं।

(1755/IND/GM)

एलेवेटेड रोड्स से कैटेल मेनेस से भी सेफ्टी मिलेगी। आपको पैडेस्ट्रियन क्रासिंग की सेफ्टी मिलेगी। हर दृष्टि से आपको सेफ्टी मिलेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव मैंने आपको दिया है।

'भारत माला' परियोजना की बात कही गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, लेकिन इस परियोजना में मुझे लग नहीं रहा है कि जिस गति से काम होना चाहिए, उस गति से काम हो रहा है। Contracts for 178 projects with an aggregate length of 7,998 kilometres have been awarded till March, 2019. When you are looking at almost 36,000 kilometres, उसमें अगर आपने सिर्फ 7000 या 8000 किलोमीटर सड़क बनाई है, इसका मतलब बेसिकली आप वन फिफ्थ कर पाए हैं। आपका वर्ष 2021-22 का एम्बीशियस प्रोजेक्ट है। यह कभी भी इस अवधि में पूरा नहीं होगा, इसलिए इसमें जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसे आप बढ़ाइए। यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए आपको इसमें सौ प्रतिशत टेंडर दीजिए और प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ाइए।

मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने एक बात वर्ष 2017 में कही है कि from 1995 till June, 2016, out of 388 projects completed, only 55 projects were completed on or before time. These are shameful figures. For this, we have to put in very strict terms and conditions. आप गलती देखिए कि यदि आप लैंड मुहैया नहीं कराएंगे, तो काम पूरा नहीं हो सकेगा। यहां लोगों ने देखा है कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे में किस तरह से काम हुआ है। जहां विल हो, जहां डिजायर हो, वहां काम होता है। अग्रवाल जी, हम आपको बहुत-बहुत सलाम करते हैं कि आपने एमपी रहते हुए जिस तरह से मेरठ की कनेक्टिविटी की है, हम आपको मान गए। As a result of these kinds of delays, the cost overruns become huge, and it is a very detrimental situation for the Ministry. I can't say that I oppose the Demands for Grants, as my friend Prof. Sougata Ray has done. Of course, we have to support the Demands for Grants. But we support the Demands for Grants with these caveats and suggestions, particularly with regard to Puri. I hope the hon. Minister General Singh, who is a doer in his own right, does the needful.

(ends)

RE : EXTENSION OF TIME

1759 hours

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा देर से शुरू हुई है, इसलिए यदि सदन की अनुमति हो, तो सभा का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): यदि हाउस की अनुमति है, तो सभा का समय दो घंटे के लिए बढ़ा देते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

माननीय सभापति : ठीक है, सभा का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

*SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE (RAVER):

---

*Laid on the Table

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Respected Speaker, Sir, roads are part of an integrated multi-model system of transport which provides crucial links to airport, railway stations, ports and other logistical hubs and acts as a catalyst for economic growth by playing a critical role in the supply chain management.

1. The road transportation system of our country needs immediate modernisation and latest technology.
2. Roads are bad and inadequate in India. The Government should spend more on the development of roads especially in rural areas.
3. Roads are not maintained properly in our country. Less than 0.1 per cent of national income is spent on the maintenance of roads in India, while in Japan, it is 3 per cent of national income.
4. There are many cases of undisciplined driving and drink and drive which leads to accidents.
5. A major problem of Indian roads is high traffic condition.
6. Multiple toll fare counter, check points result in driving down the speed of the vehicles and waste valuable time which creates problems for transporter.
7. Road taxes vary from State to State.
8. Lack of essential basic amenities in Indian Highways like first-aid centres, telephone booth, repair shops, clean toilets, restaurants cause serious problems for common people travelling and drivers.
9. There is no sufficient fund for maintenance and construction of roads. Over the years, the percentage of allocation has decreased a lot whereas this task requires high priority. During the last five years, allocation was 6.9 per cent. Now it has come down to 3.6 per cent.
10. Railways need to be engaged in shifting heavy weight goods while road transport should be used for transporting small, sensitive and perishable goods.
11. Truck transport vehicles and buses require immediate replacement. Most of them are outdated and out-modelled. Due to this, major accident occurs as well as environmental pollution increases. We should give priority to this issue.

---

*Laid on the Table

When will these road transportation problems be solved? When will the transportation of goods become easier and can be transported to every corner of the nation making our country a cargo hub?

(ends)

1759 बजे

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा। मेरे से पहले दो सदस्यों ने बात कही है, उन्हीं के जजबातों को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई बात रखना चाहता हूं। माननीय राज्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं। मैं अमरोहा लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। इस क्षेत्र का नाम पहले नेशनल हाईवे नम्बर-24 था, अब उसका नाम नेशनल हाईवे-9 कर दिया है। मेरा तकरीबन पूरा क्षेत्र इसी हाईवे पर है। वहां एक औद्योगिक क्षेत्र गजरौला और बृजघाट है। हरिद्वार नगरी उत्तराखंड में जाने के बाद हम यह दुआ कर रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का हरिद्वारा बृजघाट में बनेगा।

(1800/VB/RK)

लेकिन वहाँ पर यह हो रहा है कि दिल्ली से मुरादाबाद तक कोई ट्रॉमा सेन्टर नहीं है। इस नेशनल हाइवे पर बहुत-से एक्सीडेंट्स होते हैं। ब्रजघाट में एक ट्रॉमा सेन्टर बनाने की योजना थी, उसका काम भी अवार्ड हो गया था। सरकार के तकरीबन 96 लाख रुपये खर्च भी हुए। इसके लिए नेशनल हाइवेज़ अथॉरिटी ने जमीन एक्वायर कर ली और ट्रॉमा सेन्टर का काम रुक गया।

1800 बजे (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन पीठासीन हुए)

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी अपील है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से मैंने जानकारी ली है, वहाँ कम्पेनसेसन नहीं दिया गया है ताकि वहाँ पर ट्रॉमा सेन्टर बन जाए।

दूसरा, गजरौला में जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। वहाँ पर एक तरफ फैक्ट्रीज हैं और हाइवे के दूसरी तरफ आवासीय क्षेत्र है। वर्ष 2018 में तकरीबन सात बड़े एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें कई जानें गईं। सरकार और माननीय मंत्री जी से मेरी माँग है कि गजरौला में नेशनल हाइवेज अथॉरिटी को अंडरपास बनाना चाहिए ताकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनसे निज़ात मिल सके।

कई बार कुछ चीजें जब हाइलाइट होती हैं, तब हमारी निगाहें उस पर जाती हैं। मेरे क्षेत्र में दो टोल पड़ते हैं- एक ब्रजघाट और दूसरा ज़ोया पर। ब्रजघाट पर गंगा के ऊपर एक पुराना पुल था, जिसकी रिपेयरिंग हुई, वह चालू हुआ, लेकिन वह आठ दिनों में ही बंद हो गया क्योंकि उसमें फिर से लीकेज आ गई थी। मेरे ख्याल से, कल पूर्णमासी है। यहाँ आने के लिए जो लोग दिल्ली से मुरादाबाद-लखनऊ वाला रूट लेते हैं, तो वे कई घंटे जाम में फंसते हैं। मैं स्वयं जब यहाँ से अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूँ, तो पता नहीं होता है कि टाइम पर पहुँचेंगे या नहीं। ऐसा कई बार हुआ है।

मंत्री जी से मेरी माँग है कि गंगा के ब्रजघाट पर एक नया चौड़ा ब्रिज़ बनाया जाए। वहाँ इतना ट्रैफिक रहता है और सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं रहता, जब वहाँ गंगास्नान होता है या पूर्णमासी होती है, तो पूरा दिन जाम लगा रहता है।

मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र में दो टोल गेट्स भी हैं। नेशनल हाइवेज़ अथॉरिटी के अधिकारियों को आप कहें कि ये समस्याएँ केवल मेरे क्षेत्र की नहीं है, बल्कि अन्य कई क्षेत्रों की हैं। जो एग्जेम्पटेड लेन्स होती हैं, जिनसे होकर एम्बुलेंसेस निकलते हैं, उसी पर सभी गाड़ियाँ घुसा देते हैं। मेरे यहाँ तो

उल्टा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे लोक सभा क्षेत्र के दोनों टोल गेट्स- ब्रजघाट और जोया में, एग्जेम्पटेड लेन्स परमानेंट बंद करके रखे गये हैं। वहाँ पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया गया है। हमने जिलाधिकारी को भी इसके बारे में फोन किया, उनसे कहा कि एम्बुलेंसेस के सायरन बजते रहते हैं, जो मरीज होते हैं, वे परेशान होते हैं। हम ज्यादा कहेंगे, तो सोचेंगे कि वीआइपी कल्चर के कारण सांसद खुद निकलने के लिए एग्जेम्पटेड लेन का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा नहीं है। एग्जेम्पटेड कैटेगरी में केवल सांसद और विधायक थोड़े ही हैं, exempted category is made particularly for the ambulances. उसमें कई मौतें हो जाती हैं। जिन लोगों को ठेका दिया जाता है, वे वहाँ पर ट्रेन्ड स्टाफ नहीं रखते हैं।

(1805/PC/PS)

माननीय सभापति जी, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आपने बड़ी कंपनीज़ को काम का टेंडर दे दिया, वे कंपनीज़ लोकल स्टाफ को लेकर टोल्स चलाती हैं, लेकिन वहां जो स्टाफ बैठता है, वे बेचारे बच्चे कम्प्यूटर में ट्रेन्ड नहीं होते हैं। …(व्यवधान) यह सिर्फ मेरे क्षेत्र की समस्या नहीं है, यह सबकी समस्या है। …(व्यवधान)

सभापति जी, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी और उनके अधिकारी, जो यहां गैलरी में बैठे हैं, वे मेरी इन बातों को नोट करेंगे और हमें इनसे निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। यह हाइवेज़ का मसला है। मंत्री जी का रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। आप भी मेरी बगल की कांस्टिट्यूएंसी से आते हैं। मेरे ख्याल से आप भी इन समस्याओं से अवगत होंगे। शायद जानबूझकर सरकारें यह करती आ रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज़, यूपीएसआरटीसी या डीटीसी के बारे में कहता हूं।

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : आपकी पार्टी के एक और स्पीकर को भी बोलना है।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सर, मैं अपनी बात एक-दो मिनट में खत्म करूंगा। यूपीएसआरटीसी का पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन खत्म कर दिया गया। इससे दो नुकसान हुए। हमारी पार्टी दलित, एससी, एसटी, ओबीसी की पार्टी है। जो सरकारी नौकरियां थीं, वे नौकरियां खत्म कर दीं। कई इललीगल बसेज़ चल रही हैं। मैं समझता हूं कि अकेले दिल्ली और मेरी कांस्टिट्यूएंसी के बीच में कम से कम तीन हज़ार से ज़्यादा ऐसी बसें चल रही हैं, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच प्रतिदिन चलती हैं।

माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कीजिए।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सर, उत्तर प्रदेश के अंदर 50 हज़ार ऊपर का आंकड़ा है। सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए, जिससे सरकार को जो रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, कम से कम वह रेवेन्यू सरकार को मिले।

मंत्री जी, मैं समझता हूं कि इस विषय को बहुत सीरियसली टेक-अप करना चाहिए। मैं ज़्यादा न कहते हुए इसी उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि मेरे क्षेत्र की जो ये मांगें हैं, इन पर आप ध्यान देंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।

(इति)

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):

*Laid on the Table.

***श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):** माननीय अध्यक्ष जी, मोटर यान अधिनियम का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के नेतृत्व में देश में सड़क निर्माण का ऐतिहासिक काम तेज गति से हो रहा है। लोगों को माननीय गडकरी जी से बहुत उम्मीद है।

मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या -2 के सिक्स लेनिंग का काम कई वर्षों से चल रहा है जो अधूरा है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मेरे संसदीय क्षेत्र में बिहार के औरंगाबाद होते हुए झारखंड के धनबाद और कोलकात तक चल रहा है जिसकी गति अत्यंत धीमी है।

इस सड़क के वाराणसी , (यूपी) से औरंगाबाद-डोभी(बिहार) के भाग में सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें लोगों की जाने जाती है।

औरंगाबाद बाईपास में एक स्थल कामा बिगहा मोड़ दुर्घटनाओं का केन्द्र बन गया है इस सड़क के कई पुल यथा झरही नदी (मदनपुर ब्लॉक, औरंगाबाद जिला, बिहार) मोरहर नदी, सोरहर नदी तथा पिपरघटी सभी पुल बिहार के गया जिले की सीमा में हैं जो जानलेवा स्थिति में आ गए हैं और ट्रैफिक-जाम के कारण बन गए हैं।

एनएच-2 और एनएच-83 का जंकशन (डोभी, गया) का सेवा पथ 1-1 फुट गढ्ढे के कारण जानलेवा स्थिति में है। जिसे देखा जा सकता है।

ऐसे में शुल्क (टॉल टैक्स) देकर सड़क का उपयोग करने वाले प्रयोक्ता एक तरफ जहां दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं वहीं दूसरी ओर वो ट्रैफिक जाम में फंसकर परेशान होते हैं वहीं उनका समय भी बर्बाद होता है।

यही स्थिति एनएच-83 एवं एनएच-139 के अंबा (औरंगाबाद, जिला-बिहार) में बाईपास के निर्माण को आवश्यकता के साथ-साथ ठंढ के मौसम में कुहासा के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़को पर सफेद रंग का चमकने वाला पेंट करना अनिवार्य किया जाना चाहिए जो अत्यंत ही कारगर साबित हुआ है।

(इति)

---

*Laid on the Table.

1804 hours

*SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): In my Constituency, Koraput, we have serious issues/challenges with respect to maintenance of highways, completion of work and safety issues. In ‘NH-26’, a new NH bypass for Jeypore town from Bariniput to Umuri village under Jeypore NH division was proposed. We would request the hon. Minister to take up this work on priority and expedite the construction. Around 4000 plus vehicles ply every day, and in the absence of proper traffic facilities, a lot of accidents take place. Similarly, a new NH bypass for Rayagada town is urgently required in ‘NH-326’. With heavy vehicles plying, no traffic management, the people of Rayagada have to bear with traffic jams, accidents and unsafe roads. Also, the flyover in Rayagada (NH-326) is in dire need of repair – the work needs to be expedited. There is a lot of delay in widening 30 kilometres stretch of NH-326, especially the 5.5 kilometres road at ‘Kailash Kota Ghat’ near Mukundpur. The road at ‘Kailash Kota Ghat’ has virtually become a death trap. NH-326 has been handed over to NHAI. Neither PWD nor NHAI is concerned over its upkeep and maintenance. Kindly expedite the above projects and address the concerns of the people.

(ends)

---

*Laid on the Table

1807 hours

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. I would also like to thank my hon. Chief Minister, Shri KCR and my working President, Shri KTR, for sending me here. I really know that I do not have the luxury of time - the way the larger parties have - to go into the minute details of the Demands. But I would like to focus only on the issues which are related to my State of Telangana, from where I come.

I take this opportunity to place on record that Shri Gadkari Ji has done an excellent job in the last term and he is the most efficient hon. Minister in this Cabinet also. There is no doubt about it. He is very receptive also. Anticipating that the same receptive mode will continue, I would like to put forth certain submissions.

I was going through the Demands relating to the NHAI, which is the heart and soul of this Ministry. I was really shocked to look into the details wherein the allocated Budget has gone down by Rs.630 crore when compared to the Revised Estimates of the last year. In the year 2018-19, the NHAI was given Rs. 37,321 crore, but surprisingly and shockingly, this year, they have got only Rs. 36,691 crore. It is seen that the hon. Finance Minister has increased the Budget of the Ministry of Road Transport and Highways by six per cent only. I really do not know as to how the Ministry is going to take up this.

Secondly, the hon. Finance Minister, in para no. 19 of her Budget Speech, announced that the States would be helped under Bharatmala-II, to develop the State road networks. I really appreciate this. I would like to know from the hon. Minister as to how the States would be helped, especially the State of Telangana. Under Bharatmala-I also, I was told that 250 districts will be connected with the National Highways. The State of Telangana has 33 districts. Through you, I would like to know from the hon. Minister as to how many districts of Telangana are already connected with the National Highways and how many more districts are to be connected with the National Highways.

When it comes to road safety, as other hon. Members of Parliament spoke, the hon. Minister has allocated only 0.3 per cent of the Budget, which is accounting to Rs. 280 crore. I really do not know as to how Rs. 280 crore can suffice to take care of the road safety. As we all know, we are coming across about five lakh accidents every year, killing about two lakh people and injuring

about five lakh people also. As per Brasilia Convention, by 2020, about 50 per cent of road accidents have to come down. But as of now, the road accidents are not coming down.

(1810/RC/SPS)

So I would like to know from the Minister how he is planning to go with 0.3 per cent money on road safety. When is he going to bring Motor Vehicles (Amendment) Bill to address some of the issues relating to the road safety?

When you look into the Economic Survey which was presented to this House very recently, you will see that the Ministry has very ambitious targets to fulfil around 15000 kilometres of road. If you look into the figures of 2016-17, you will find that they could achieve only 50 per cent of their target and in the next year, they could achieve only 70 per cent. I would really want to know from the Minister the constraints his Ministry is facing and the innovative methods he is going to adopt to achieve the targets next year.

I would now come to the State issues. The Government of Telangana has submitted a proposal to develop 354 kilometre four-lane corridor along with Godavari-Pranhita rivers. I would request the hon. Minister to take up this project.

As per the 13th Schedule of A.P. Reorganisation Act, the road connectivity of Telangana was supposed to be increased. As of now, the density of the National Highways in Telangana is only 2.5 kilometres for every 100 kilometres. In compliance to this, the Ministry has given, in principle, approval for 3155 kilometres, but as of now, it is notified only for 1388 kilometres. I would request you to please notify the remaining 1767 kilometres also.

I would request for the notification of five State roads as the National Highways. We were asked to give consent for 50 per cent work on these National Highways. Our Chief Minister was kind enough to give consent also. I would request that the five roads may be notified as the National Highways. They are Choutuppat-Mangal-Shadnagar, Hyderabad overall, Gowrelli-Voligonda, Thorrur-Kothagudem, Medak-Yellareddy-Rudrur, Bodhan-Basara-Bhainsa, and Medak-Siddipet-Yelkurti. I would also request for approval of four-lane express way around Hyderabad city. There is also need to improve urban stretches on the National Highway-44 in North and Southern parts of Hyderabad. There is also a need to take up a small stretch of NH-167 between Jadcherla

and Mahboobnagar. Our hon. Chief Minister, Shri KCR Garu, has also written letter to the hon. Minister to enhance the sanctioned ceiling of Rs.3000 crore for 2018-19. It was not done. I would kindly request you to please look into this.

With these observations, I support the Demands of the Ministry of Road Transport and Highways. There are a few more roads also. Madlur-Bodhan road, Nijampet-Narayankhed road, Karimnagar-Kamareddy, and Zahirabad-Bidar road. I would request you to look into all these roads and please give a special focus on Telangana State which is a newly formed State as the 29^{th} State in the country.

(ends)

1813 hours

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Sir, first of all, I am deeply concerned over poor progress of the National Highway going from Panvel to Panjim. It does not only go through my Konkan area but it also goes to Goa, Karnataka and Kerala. A lot of effort is required to complete this work. Every week, a number of accidents occur there and some people die also. There is a dynamic Minister, Shri Nitin Gadkari, for this particular Ministry. In the last five years, the work has not progressed as it was expected. There are a lot of problems like land acquisition, payment to farmers, environment clearance, etc. Unfortunately, toll will also be charged on this particular highway which passes through Konkan. In the manifesto of BJP of 2014, a call for toll-free Maharashtra and toll-free country was given. It is the only National Highway passing through Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. I do not know whether the toll is charged in Goa, Karnataka and Kerala also. I would request that the toll should be waived off.

Another road which was declared as the National Highway by Shri Gadkari Ji goes from Pune to Mangaon which is an assembly constituency and falls in Konkan area. This National Highway is stuck up. In the Western Ghats eco-sensitive zone which is from Pune to Mangaon, the road is just not existing. I would urge upon the hon. Minister to form a dedicated team for resolving these forest-related issues.

(1815/SNB/KDS)

It should be done so that this particular road connecting Konkan and Western Maharashtra could be completed within the stipulated period which, in turn, would help in promotion of tourism in that area. Another important road is the NH that is connecting the Raigad Fort, the ancient capital of Chhatrapati Shivaji Maharaj. This NH connects Raigad to Mahad. Mahad is a place where Dr. Baba Saheb Ambedkar launched *Satyagraha* in 1927. The construction of this road also has been stuck up because of land and forest issues. I would like to urge upon the hon. Minister that a similar kind of dedicated team should be formed as has been formed for the Mumbai – Nagpur Expressway which is a dream project of the hon. Chief Minister of Maharashtra and Shri Gadkari ji. Same formula should be adopted for development of the region where it is required.

The other National Highway project passes through my Parliamentary constituency -- Pen to Khapoli, Mangaon to Dighi Port, Indapur to Agardanda. The work on all these roads is in progress. But owing to non-payment to farmers for land acquisition, the work has got stuck up. All these roads are being constructed under the Sagarmala project. The Government needs to give more attention to these projects.

Sir, I would like to refer to another highway, namely, the Reves Reddy Coastal Highway, the only coastal highway passing through the State of Maharashtra. The State of Maharashtra has a coast line of 720 kilometre in Konkan region and not in Vidarbha or Western Maharashtra or in North Maharashtra or in Marathwada. This coast line falls only in the Konkan region. On the sides of this road, there is scenic beauty just by the side of the Arabian sea. This road has been accorded a National Highway status but no number has been given to it. Providing a number to this National Highway is important and if the DPR for this road is being prepared, then the entire coastal area would benefit by way of tourism. People travelling from Mumbai to Goa will also be benefited from this road. So, this road should be constructed either under the Sagarmala project or under whichever project the Government may consider appropriate. But the first thing is that a number to this National Highway should be provided. That is very important.

Sir, my district headquarters is Alibag. The area is facing heavy traffic jam now. People are visiting Alibag for tourism activities. It falls in the coastal area. The Kulaba fort also is there. The construction of this road was proposed in the last Budget. The DPR for this should also be prepared at the earliest. So, a dedicated team, as has been formed for the Mumbai – Nagpur Highway, for resolving the issues of forest and land acquisition should be formed. The National Highway passing through Konkan area, especially through my Parliamentary constituency where accidents occur frequently should be taken care of.

Thank you.

(ends)

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)